राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] पंचम् विधान सभा के प्रथम सत्र का 59 वां दिवस [संख्या 27

बुधवार,

दिनांक 17 मई, 1972

विधान सभा की बैठक म०पू० 11-00 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चिकित्सा, राजस्व, पंचायत, श्रम, सिंचाई, यातायात, सैनिक कल्याण खाद्य, सार्वजनिक निर्माण, विकास, विधि एवं समाज कल्याण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ;

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न संख्या 547।

लोकवाणी के श्रमजीवी पत्रकारों की प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि

547. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) :

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. क्या लोकवाणी, जयपुर के श्रमजीवी पत्रकारों को उनकी प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि तथा अन्य देय राशियों के भुगतान हो गये ?

2. क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने लोकवाणी के श्रमजीवी पत्रकारों के हितों तथा उनकी देय राशियों के भुगतान व अन्य प्रश्नों की जांच के लिये उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था ? यदि हां, तो प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

3. क्या राज्य सरकार ने प्रतिवेदन पर कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उनकी क्रियान्विति कब होगी ?

4. क्या राज्य सरकार लोकवाणी का टाइटिल श्रमजीवी पत्रकारों को देने का विचार रखती है ?

श्रम मन्त्री (श्री ओंकारलाल चौहान): अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जानकारी

गृह विभाग से सम्बन्धित है । इसलिए गृह विभाग से निवेदन किया गया है कि इसका जवाब वह दे दें ।

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री ओंकारलाल चौहान : इसका गृह विभाग से सम्बन्ध है । इस लिए गृह विभाग को जवाब के लिए लिख दिया गया है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हाउस में इस पर कई बार चर्चा आ चुकी है । इस बारे में हरिदेव जोशी, हीरालाल शास्त्री जो पहले मुख्य मन्त्री थे, ऐसे कई लोगों की एक कमेटी बनी थी । उस कमेटी ने क्या तय किया ? इस प्रश्न को लटकाया गया है । इस प्रश्न को गृह विभाग को क्यों ट्रांसफर किया है ? यह तो इसको टालने की बात की है । यह कृपया बताने का कष्ट करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए एक कमेटी बनी है ।

श्री अध्यक्ष : अभी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है । स्थगित किया गया है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह क्यों टाला गया है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब तो कमेटियों के फैसले को लागू करने का वक्त है । इसके सम्बन्ध में सूचना नहीं दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर कल सुबह गृह मन्त्रीजी या जो भी देना चाहेंगे, दे देंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय·······

प्रश्न सं. 548

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह । (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

सवाई मानसिंह अस्पताल में मशीनों की खरीद

549. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जोहरी बाजार) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

1. क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में कुछ ऐसी मशीनें हैं, जिनकी खरीद के पश्चात् से उनका उपयोग आज तक नहीं हो रहा है तथा ये मशीनें बड़ी कीमती हैं ?

2. क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल में रक्त कोष में रक्त का सही इस्तेमाल नहीं होता है तथा जो लोग मुफ्त रक्त देते हैं उसका भी हिसाब सही नहीं रखा जाता और रक्त जरूरत पड़ने पर भी प्रायः रक्त उपलब्ध नहीं होता है ?

3. क्या सरकार जयपुर व राजस्थान के अन्य अस्पतालों में ऐसे रोगियों के लिए जो हृदय रोग से पीड़ित हैं, एमरजेन्सी स्क्वैड स्थापित करने का विचार रखती है ?

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

4. क्या यह सही है कि गैस व ग्राक्सीजन की कमी के कारण एक्स रे तथा ग्रॉपरेशन आदि स्थगित करने पड़ते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

5. सवाई मानसिंह अस्पताल में जो दवाएं खरीदी जाती हैं, वे सही तरीके से. इस्तेमाल की गई है या नहीं इसकी चैकिंग का क्या तरीका है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) केवल दो मशीनें ऐसी हैं जिनका खरीद के बाद उचित प्रकार से उपयोग नहीं हो पा रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) राजस्थान सरकार इण्टेन्सिव केयर यूनिट स्थापित करने का विचार रखती है, सर्जीकल मेडिकल व हृदय रोग से पीड़ित चिन्ताजनक रोगियों की चिकित्सा की जायेगी।

(4) जी नहीं।

(5) वार्डों में भण्डार से दवाइयां मुख्याधिकारी के हस्ताक्षर से इण्डेन्ट प्राप्त होने पर दी जाती है और वार्डों में इनका वितरण रोगियों को चिकित्सक के परामर्श से किया जाता है जिसका हिसाब वार्ड में रखा जाता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या यह मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये दो मशीनें कौन सी हैं। और उनका उपयोग क्यों नहीं हुआ है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह तो माननीय सदस्य को पहले ही भाषण में बता दिया था।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप ने पता किया है ?

श्री हरिदेव जोशी . जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह।

राज्य में सम्पूर्ण पथ परिवहन का राष्ट्रीयकरण

550 **श्री राजेन्द्र सिंह** (उनियारा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या राज्य सरकार प्रदेश में सम्पूर्ण पथ परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कब तक हो जावेगा ?

2. आज की तारीख में कितने मार्गों पर राज्य पथ परिवहन की बसें चल रही हैं, जो राज्य में कुल मांगों का कितना प्रतिशत है ?

3. क्या यह सही है कि गुजरात राज्य में शत-प्रतिशत राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो कितना और राजस्थान की तुलना में कितना है ?

4. क्या यह सही है कि उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, तथा टोंक जिलो में अभी तक मार्गों को राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और इनका राष्ट्रीकरण कब तक करने का विचार है ?

यातायात मन्त्री : (श्री हरिदेव जोशी) 1. जी नहीं। राज्य में माल यातायात (गुड्स

Page No 4

(श्री हरिदेव जोशी)

ट्रांसपोर्ट) के राष्ट्रीयकरण की अभी कोई योजना नहीं है। अभी तक केवल यात्री परिवहन के राष्ट्रीयकरण का ही विस्तार किया जा रहा है।

2. निगम की बसें 49 राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चल रही हैं जो कुल मार्गों की लम्बाई का करीब 8% है।

3. जी नहीं। गुजरात में 95/35% मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। जो राजस्थान की तुलना में 12 गुना अधिक है।

4. जी नहीं। उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर व टोंक जिलों के मार्गों पर भी निगम की बसें चल रही हैं। लेकिन चूरू, सीकर, झुंझुनूं में अभी तक निगम की बसें नहीं चल रही हैं। जहां तक इन जिलों के मार्गों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, मामला विचाराधीन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाहता हूं कि बजट भाषण में तो 25% करने को कहा गया था। आपने तो कहा था कि 8% से बढ़ाकर 25% राष्ट्रीयकरण लाजिमी कर देंगे। यह पूर्ण राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया है कि पूर्ण राष्ट्रीयकरण का प्रश्न विचाराधीन है। वित्त मन्त्री जी ने हमारी राय से कोई अलग उत्तर नहीं दिया है। एक कमेटी में ऐसा निर्णय लिया गया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अभी किन किन रूट्स का नेशनलाइजेशन करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : यह कोई प्रश्न नहीं है। जैसे ही योजना हो जायेगी। इसमें कई कठिनाइयां होती हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : पथ परिवहन में अभी क्या प्रगति कर पाये हैं ? मैं मानता हूं कि दिशा स्पष्ट है। जब गुजरात और महाराष्ट्र प्रगति कर सकते हैं। उनके सामने भी ऐसी ही कठिनाइयां आई हैं। मन्त्री महोदय जिन कठिनाइयों की बात करते हैं, उनको जल्दी से जल्दी हल किया जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीयकृत बसें लगाई जा सकें।

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मद्रास, गुजरात, महाराष्ट्र करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। हमारे यहां पर कोई फायदा ही नहीं हुआ है। मन्त्री महोदय को कम से कम एक रिपोर्ट तो प्रस्तुत करनी चाहिए थी कि इतनी बसों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाये या क्या कार्यक्रम है। मन्त्री महोदय ने बड़ी लापरवाही दिखाई है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीयकरण गलत है। जो रुट पर बसें लगी होती हैं, उनकी टिकटें दूसरी पर लग जाती हैं। उनका पूरा का पूरा पैसा गायब हो जाता है। जब तक अण्डर कन्सीडरेशन है तब तक और कोई व्यवस्था हो जानी चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : जो मार्ग राष्ट्रीयकरण से निकल गये हैं, उन मार्गों पर जिन को लाइसैन्स दिये गये थे, वही चला रहे हैं ? चला रहे हैं तो कब से चला रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : चला रहे है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं कहें, वही ठीक है। लेकिन यह प्रश्न पेचीदा प्रश्न है। जो चला रहे हैं, उनको ज्यादा एडवान्टेज मिला है।

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेन्ट ऐसी स्थिति ला रही है जिससे कि ये सारी चीजें अवाइड की जा सकती हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राज्य सरकार बस मालिकों के दबाव में है। आज भी राज्य सरकार उनके दबाब से मुक्त नहीं होना चाहती है।

श्री अध्यक्ष: सप्लीमेण्ट्री पूछिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सदन के माननीय सदस्यों को माननीय मन्त्री महोदय क्या कम्प्लीटली बतायेंगे कि इतने दिनों में हम यह कर देंगे।

श्री हरिदेव जोशी : कई चीजें बताना जरूरी नहीं होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सदन के सदस्यों को यह आशा थी कि इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय कान्क्रीट बतायेंगे कि इतने रूट्स का इतने समय में राष्ट्रीयकरण कर देंगे।

श्री हरिदेव जोशी : कई चीजें डिक्लेअर करने के लिए नहीं हुआ करती हैं, उनमें एक्शन लेना जरूरी होता हैं। हम राष्ट्रीयकरण करें उससे यह जरूरी है कि हम राष्ट्रीयकरण की नीति को स्वीकार करें अथवा न करें। इस क्वेश्चन में, जैसा मैंने निवेदन किया, यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम किन रूट्स का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा): जयपुर भरतपुर, बीकानेर–इन जिलों में राष्ट्रीयकरण करने की योजना है। मंत्री महोदय ने बताया कि बहुत सी बस चलती हैं, तो मैंने बस चलने के बारे में प्रश्न नहीं पूछा। मैंने पूछा है कि राष्ट्रीयकरण करने की योजना क्या है, करेंगे या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : उत्तर दिया हैं। मैंने निवेदन किया, मामला विचाराधीन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय

अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं‥‥

श्री अध्यक्ष : आप पांच सवाल पूछ चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : गंगानगर डिपो है वह सारे राजस्थान के डिपो से कटा हुआ है क्योंकि बीच के रूट्स का राष्ट्रीयकरण नहीं है। इस व्यवस्था के अन्दर विचारणीय प्रश्न यह पैदा होता है ऐसे रूट्स को राष्ट्रीयकरण से जोड़ा जाय जहां डिपो हो, इन्हें लिंक किया जाय। इस दृष्टि से बीकानेर का किया जायगा या नहीं, इस हिसाब से प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर नहीं दिया है।

श्री राजेन्द्र सिंह : आपने बताया कि गुजरात में राजस्थान से बारह गुना राष्ट्रीयकरण हो चुका है। मंत्री महोदय आठ

(श्री राजेन्द्र सिंह)

पर्सेन्ट की जगह पच्चीस पर्सेन्ट स्ट्स का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा कर दें।

श्री हरिदेव जोशी : कहा जा चुका है

प्रश्न सं 551

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल

ग्राम पंचायत छोटी उदेई के पंचों के रिक्त पद

552. **श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल :** क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत छोटी उदेई (गंगापुर) के पंच प्रभु, भोरी, मीठिया को मरे हुए दो साल हो चुके हैं तथा उनके स्थान पंचायत तथा भूतपूर्व एम. एल. ए. के लिखने पर भी रिक्त घोषित नहीं किये गये हैं? अगर रिक्त घोषित किये गये हैं, तो कब?

पंचायत एवं विकास मंत्री : (श्री ओंकार लाल चौहान) : पंच श्री प्रभू की मृत्यु हुए दो वर्ष से अधिक हो चुके हैं। पंच श्री मोरया व श्री मीठ्या की मृत्यु हुए अभी दो वर्ष नहीं हुए हैं। इन पंचों के स्थान अभी रिक्त घोषित नहीं किये गये हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, जब किसी पंच की मृत्यु हो जाती है तो उसका रिक्त स्थान कब तक घोषित किया जाता है और इतने दिनों तक नहीं किया है तो क्यों?

श्री श्रीराम गोटेवाला: प्रासीजर क्या है?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): यह पंच मरे, इनके स्थान पर किसी की नियुक्ति क्यों नहीं हुई?

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : जब तक प्रति मृत्यु नहीं हो जाय तब तक घोषित नहीं करेंगे।

श्री ओंकारलाल चौहान : इस प्रश्न के बारे में काफी छानबीन की गई है। मैंने इसके लिये व्यवस्था की है कि जल्दी से जल्दी इनके स्थान रिक्त घोषित किये जाकर इनकी पूर्ति की जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अभी तक इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करने में क्या दिक्कत है? जब ये मर गये तो रिक्त स्थान घोषित करने में क्या दिक्कत है?

श्री मोहनलाल छंगाणी : उनकी बरसी के बाद मृत्यु होना मान लिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : ऐसा मालूम होता है कि जो पंच मर जायं, जब तक नये पंच जन्म लेकर उतने बड़े नहीं हो जायं तब तक रिक्त स्थान घोषित नहीं करेंगे।

श्री ओंकारलाल चौहान : ऐसे मामलों के अन्दर जांच की जाती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जांच किस बात की करेंगे कि वास्तव में मरे या नहीं? यह मानते हैं या नहीं कि वह मरे हैं?

श्री अध्यक्ष: आप मरे हुए मानिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : यह प्रश्न विचाराधीन है कि वह मरे हैं या नहीं ?

श्री औंकार लाल चौहान : आप कहते हैं...

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : आप उनकी मृत्यु हुई मानते हैं या नहीं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मरने की सूचना प्राप्त हो गई है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर इसमें डिस्प्यूट क्या है ? जांच इस बात की होगी कि मरे या नहीं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, यह इस बात का उदाहरण है कि राजस्थान सरकार की लाल फीताशाही किस गति के साथ में बढ़ती जा रही है। दो वर्ष पहले पंच मरा है, उसके बाद उसके रिक्त स्थान की घोषणा तक नहीं कर सके, इससे अधिक निकम्मापन अधिकारी का क्या हो सकता है ? ऐसे अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ क्या एक्सन लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : One at a time.

श्री गुमानमल लोढ़ा : इतनी शिथिलता और निकम्मेपन के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो कार्य विधि है, पंचायत के अन्दर बी.डी.ओ. होता है वह खबर देता है. उसके बाद में पंच का दुबारा इलेक्शन हो जाता है। फिर क्या दिक्कत पेश आ रही है ? आप रिक्त स्थान डिक्लेअर क्यों नहीं करते हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मृत्यु की सत्यता को जानने में कितना समय लगता है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह राजनैतिक मामला है।

श्री मीठालाल (लालसोट) : मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मृत्यु की घोषणा अब तक नहीं की हैं, वह कब तक कर देंगे—यह निश्चत बता सकते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सवाल यह है...

श्री औंकारलाल चौहान : मैं समझता हूं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब मृत्यु हो गई है तो उसकी घोषणा तो आज कर दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं ?

श्री औंकारलाल चौहान : जो दोषी अधिकारी है...

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप यह घोषणा तो कर दें कि वह मर गये हैं।

श्री औंकारलाल चौहान : जो अधिकारी की गलती है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री मीठालाल : आप घोषणा तो कर दें।

Page No 8

श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल : मैं जानना चाहूंगा, मृत्यु के बारे में सरपंच के स्तर पर से सूचना तो आपके पास या विकास विभाग के पास आनी चाहिऐ, वह आई है?

श्री अध्यक्ष : माइक से मुंह दूर रखें।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मृत्यु की सूचना आने के बाद कागजों का निरीक्षण किया गया। उसके बाद में चुनाव का वक्त आ गया, इसलिए वह नहीं किया गया। इसके बारे में दो अधिसूचनायें जारी करनी पड़ेगी इसलिए इसमें देरी हुई है। वैसे मैं देख रहा हूं कि इसमें क्यों देरी हुई है? जांच के बाद में जिस अधिकारी की गलती से देरी हुई है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिस मंत्री की लैतलाली के कारण देरी हुई उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायगी ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कई मामलों में आठ नौ साल हो गये पंच सरपंचों को मरे, क्या वह आपके रिकार्ड में आज भी जीवित है ?

श्री गुमान मल लोढ़ा : रिकार्ड में वह आज भी जीवित चल रहे हैं।

श्री मीठा लाल : वह मरे ही नहीं हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : वह अमर हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठा लाल।

गेहूँ की खरीद

553. **श्री मीठालाल मीना** (लालसोट) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि सरकारी घोषणा के बावजूद सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न गल्ला मंडियों में किसानों से सीधी गेहूं की खरीद नहीं की जा रही है ?

2, यदि हां, तो क्यों तथा अब खरीद कब से चालू होने की सम्भावना है।

3. क्या यह सही है कि सहकारी समितियों द्वारा खरीद चालू न करने के कारण किसानों में व्यापक रोष है तथा गेहूं का बाजार भाव दिनों दिन गिर रहा है।

खाद्य मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान):

(1) जी नहीं, जहां कहीं भी किसान माल लाते है वहां खरीद की जाती है।

(2) जी नहीं, खरीद विभिन्न मंडियों में चालू है।

(3) जी नहीं। निर्धारित वर्गीकरण (स्पेसिफिकेशन) के अनुसार जो भाव भारत सरकार से स्वीकृत हैं उन पर खाद्य निगम द्वारा विभिन्न केन्द्रों पर जाकर जहां भाव गिर रहे है खरीद जारी हैं।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मान सकता हूं कि सभी जगह पर खरीद की जाती है लेकिन कई जगह पर कोपरेटिव सोसाइटी और खाद्य निगम के बीच में मतभेद होने के कारण खरीद की कार्यवाही सोसाइटी नहीं करवा रही है,

(श्री मीठालाल)

इसलिए सोसाइटी के मार्फत खरीद नहीं हो कर डाइरेक्टली खाद्य निगम कर रहा है। इस तरह का मतभेद कहीं कहीं पर है। क्वालिटी में मतभेद हो सकता है लेकिन खरीद सोसाइटी की मार्फत की जाय, यह व्यवस्था आप कब तक कर देंगे ? गंगापुर में आज इस तरह की स्थिति हो रही है।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है गंगापुर के सम्बन्ध में वह इस सम्बन्ध में और जानकारी देंगे तो एफ. सी. आइ. से बात करके इसको हल करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री पी. के. चौधरी : जहां जहां भाव गिर गये हैं वहां एफ. सी. आइ. खरीद कर रहा है, वह कहां कहां कर रहा है ?

श्री ओंकार लाल चौहान : यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि कहां कहां कर रहा है

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह जानकारी आपने दी है तो यह जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कहां कहां कर रहा है।

श्री पी. के. चौधरी : आपने कहा कि जहां जहां भाव गिर गये हैं वहां वहां खरीद रहा है तो वह कहां कहां पर खरीद कर रहा है—यह बता दें।

प्रश्न संख्या 554

श्री अध्यक्ष : श्री गोरधनसिंह।

ग्राम बिडोली में नदी पर बांध

554. श्री **गोरधन सिंह** (सीकर) : **श्री झाबर मल सुन्डा** (फतेहपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि भू-संरक्षण विभाग द्वारा ग्राम बिडोली तहसील सीकर में नदी पर बांध बधाने की मंजूरी दी गई थी ? यदि हां, तो कब तथा इसका कार्य कब शुरू किया गया ?

2. क्या यह सही है कि इस बांध का कार्य केवल एक माह जनवरी, 1972 में चला और फिर बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

3. क्या यह सही है कि यदि यह बांध वर्षा के पहले पक्का नहीं बनाया गया तो इससे काफी गांवों व खेतों को नुकसान होने का खतरा है ?

4. क्या यह सही है कि इस नदी पर यह बांध केवल मिट्टी का कच्चा ही बांधा गया है जो मौसम की पहली वर्षा से ही टूट जायेगा और गांव बिडोली के काफी किसानों के खेतों व गांव बाडलवास धोंद, सिहोट इत्यादि गांवों के बह जाने का खतरा भी है ? यदि हां, तो इस बांध को पक्का बनाने तथा इसका कार्य पुनः शुरू करवाने का सरकार का कब तक विचार है।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 555

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

श्री भैरूंलाल

अकलेरा तहसील में क्रेश योजना के अन्तर्गत कार्य

556. **श्री भैरूंलाल** (अकलेरा) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. तहसील अकलेरा, जिला झालावाड में क्रेश योजना के अन्तर्गत 1971-72 में कौन कौन से कार्य कब कब स्वीकृत हुए एवं कितनी कितनी राशि उक्त अवधि में प्रत्येक कार्य पर व्यय हुई ?

2. उक्त योजना के तहत तहसील अकलेरा के महाराजपुरा के रोड पर कितनी राशि मंजूर हुई और कितनी राशि का कार्य हुआ तथा किस की लापरवाही से यह कार्य अधूरा रहा ?

3. क्या यह भी सही है कि मजदूरी की राशि में कटौती की गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

4. क्या उक्त कार्य में लगे हुए मजदूरों का अभी तक भी भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो अब यह भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

विकास मन्त्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कुल 56,130 रु० की राशि स्वीकृत हुई और 12,079.88 को राशि का कार्य हुआ। सम्बन्धित तकनीकी विभाग द्वारा एस्टीमेट व तकनीकी स्वीकृति विलम्ब से होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 13-10-71 को हुई व इसके फलस्वरूप कार्य अक्टूबर, 1971 से चालू किया गया और समय थोड़ा होने के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका। अतः इसमें किसी की लापरवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। कटौती की गई है, वह लगभग 58 प्रतिशत होती है।

(4) कटौती के अनुसार भुगतान प्राप्त करने से इन्कार कर देने के कारण···

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता महोदय बैठें। आप कहिये।

श्री ओंकारलाल चौहान : मजदूरों को भुगतान नहीं किया जा सका। अब भुगतान शीघ्र कर दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री पी. के. चौधरी : कटौती किस बात की थी ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, कटौती में ऐसा है कि पी. डब्ल्यू. डी. तो एस्टीमेट बनाता है, बी. एस. आर. के मुताबिक मजदूर काम नहीं करते हैं, जितना कार्य होना चाहिए, उससे कम काम होता है तो उसके आधार पर कटौती का प्रश्न है।

श्री पी. के. चौधरी : क्रेश प्रोग्राम में डेली वेजेज पर मजदूर लिये जाते है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : डेली वेजेज पर लिये जाते हैं, एस्टीमेट पी. डब्ल्यू. डी. के मार्फत बनाये जाते हैं और कार्य उनके मार्फत होता है, कई श्रमिक कम काम करें तो बी. एस. आर. के मुताबिक उनकी वेज काटते हैं।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यह राजस्थान में शिकायत है कि डेली वेजेज में पैसा काटा जाता है। इसका कारण यह बताया जाता है कि जो ओजार दिये गये हैं वह फेमिन एरिया से आये हैं, वह इतने तेज होते नहीं हैं, इस वजह से वह लोग कम काम कर पाते हैं इस वजह से उनका पैसा काट लिया जाता है। जिला समिति की मीटिंग हुई थी उस वक्त इस प्रश्न को लिया गया था, इससे मजदूरों को परेशानी होती है कि उनको काम करने के बावजूद पैसा काट कर दिया जाता है।

श्री औंकारलाल चौहान : इस बात का ध्यान रखा जाय।

श्री पी. के. चौधरी : मिनिमम वेजेज एक्ट के आधार पर क्या क्रेश प्रोग्राम के अन्दर मजदूरी चुकाई जाती है।

श्री औंकारलाल चौहान : यह भारत सरकार की योजना है, 3 रु० 20 पैसे के हिसाब से मजदूरी चुकाई जाती है।

श्री केसरी सिंह (ब्यावर) : मंत्री महोदय का कहना गलत है, 3 रु० 20 पैसे मजदूरी कहीं नहीं दी जा रही है, 3 रु० 10 पैसे दिये जा रहे हैं, यह भी सही है। हमारा वह मानना है, वेजेज फिक्स होनी चाहिए। जो 3 रु० 25 पैसे मजदूरी फिक्स हुई है, यह समझ में नहीं आता, काम करने वाले जो श्रमिक हैं वह काम करते हैं उनमें से कुछ मजदूरों को आप 3.25 दें और कम काम करने वालों को 3.10 दिये जायं- यह बात अनुचित है। इसलिए पूरा पैसा देने की मंत्री महोदय व्यवस्था करें।

श्री औंकारलाल चौहान : 3:20 का मतलब मिनीमम वेजेज से ज्यादा मिलता है, यह 100) प्रति मास हो जाता है।

श्री गुमानमल लोढा : क्या राज्य सरकार पर मिनीमम वेजेज एक्ट लागू नहीं होता या वह एग्जेम्प्टेड है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : उनको मिनीमम वेजेज से ज्यादा मिल रहा है। मिनीमम वेजेज वाली दिक्कत नहीं है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : प्रश्न यह है कि क्रेश प्रोग्राम भारत सरकार की योजना है लेकिन मिनीमम वेजेज एक्ट लागू करना आपकी जिम्मेवारी है, राज्य की जिम्मेवारी है और यह मिनीमम वेजेज एक्ट रिलीफ वर्क्स में, मैं चैलेंज करता हूं मंत्री महोदय को, सारे राजस्थान में कहीं लागू नहीं है।

श्री औंकारलाल चौहान : क्रेश प्रोग्राम का मिनीमम वेजेज एक्ट से ताल्लुक नहीं है। उसके बावजूद जो हमारे रेट्स हैं वे मिनीमम वेजेज एक्ट से ज्यादा है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : क्रेश प्रोग्राम हो, चाहे रिलीफ प्रोग्राम हो जहां पर लेबर हैं, मजदूर काम करते हैं, वहां मिनीमम वेजेज एक्ट आपको लागू करना है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि क्रेश प्रोग्राम की मन्शा है कि जिस परिवार में कोई सदस्य कमाने वाला नहीं है उनको 100) देना है। जहां पर डेली वेजेज के हिसाब से 100) की स्कीम लागू है तो वहां मजदूरी क्यों काटते हैं ?

श्री औंकारलाल चौहान : मजदूरी काटने के प्रश्न के लिए मैंने निवेदन किया कि जो मजदूर काम करते है, कम काम होता

Page No 12

(श्री ओंकारलाल चौहान)

है तो उसकी वजह से मजदूरी काटी जाती है। अगर मजदूर काम न करे, सोता रहे तो कोई व्यक्ति फेश प्रोग्राम के अंतर्गत ...

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : वह अलग से बात है।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री चिमनसिंह भाटी (भीम) : क्या राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि उनको अच्छे इम्प्लीमेंट्स दें ?

श्री ओंकारलाल चौहान : जी हां।

श्री पी० के० चौधरी : फेश प्रोग्राम टास्क बेसिस पर है या डेली वेजेज पर ?

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़): अगर बी. एस. आर. से ज्यादा काम करेंगे तो अधिक मिलेगा।

श्री ओंकारलाल चौहान : पी. डब्ल्यू. डी. का शिड्यूल बना हुआ है।

श्री हीरालाल देवपुरा : टास्क बेसिस पर है तो यदि वे ओवरटाइम काम करेंगे तो उनको ओवरटाइम मिलेगा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मंत्री महोदय, आपका वक्तव्य कम्प्लीटली कान्ट्रेडिक्टरी है। कहीं आप कह रहे हैं कि इनको बांटकर काम दिया जाता है, कहीं पर कह रहे हैं कि अगर वे सो जाते हैं काम नहीं करते हैं ..

श्री ओंकारलाल चौहान : मैंने निवेदन किया कि अगर वे काम नहीं करें तो....

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपका मेजरमेंट क्या है ? मजदूर पर टास्क क्या है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अधिक कार्य करें तो उनको अधिक पैसा देना चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : काम बराबर मजदूर कर रहे हैं लेकिन दूसरे खर्चों को निकालने के लिए मजदूरों का पैसा कम कर देते हैं, आप जांच कर लें।

श्री ओंकारलाल चौहान : ऐसी बात है तो जांच कर लूंगा।

श्री भैरूलाल : सड़क पर मजदूरों ने इतना कम काम किया 58 प्रतिशत कटौती कर दी ?

श्री यशवंतसिंह नाहर : नोटीफिकेशन राज्य सरकार ने नहीं निकाला कि फेश प्रोग्राम पर मिनीमम वेजेज एक्ट लागू नहीं होगा।

श्री ओंकारलाल चौहान : मिनीमम वेजेज एक्ट फेश प्रोग्राम पर लागू नहीं है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : नोटीफिकेशन निकाला है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : जी हां।

श्री भैरूलाल : क्या मजदूरों ने इतनी कम मजदूरी की कि उनका 58 प्रतिशत वेतन आपने काट दिया ?

प्रश्न संख्या 557

श्री अध्यक्ष : श्री भरतलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए।

श्री यशवंतसिंह नाहर।

ग्रामों में नियुक्त डाक्टरों को अलाउन्स

558. श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति पर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति पर ग्रामीण अलाउन्स मिलता रहा है ? आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

2. क्या इस आदेश के अधीन सब डॉक्टरों को जो कि ग्रामों में हैं, रूरल अलाउन्स दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां । आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) जी हां । उक्त आदेश की शर्तों के अनुसार सभी डॉक्टरों को ग्रामीण भत्ता दिया जाता है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री यशवंतसिंह नाहर : यादवपुर हमारे यहां गांव है, 1500 की बस्ती है । यहां के डॉक्टर से कई एप्लीकेशन्स आई हैं कि 75 रूरल अलाउन्स मुझे दिलाया जाए, क्या यह सही है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं नोट कर रहा हूं । मेरी जानकारी में नहीं है । आप बता रहे हैं तो मैं देख लूंगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सांचोर में भी ग्राम पंचायत को डाक्टर नहीं दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी ।

भूतपूर्व सैनिकों व भूमिहीन सैनिकों को आवंटित भूमि

559. श्री मोहनलाल छगांणी (फलोदी) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

1. क्या यह सही है कि गंगानगर में भूतपूर्व सैनिकों व भूमिहीन सैनिकों को भूमि आवंटित की गई है? यदि हां तो कुल कितने सैनिकों को भूमि आवंटित की गई है ? कृपया तहसीलवार सूची-सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

2. क्या यह सही है कि जिन्हें भूमि आवंटित की गई है उनमें ऐसे भी कई भूतपूर्व सैनिक अधिकारी हैं जो राजकीय सेवा में भी उच्च पदों पर हैं या रहे हैं ? यदि हां, तो कौन कौन व किस २ पद पर थे या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

3. क्या यह सही है कि यदि भूतपूर्व सैनिक राजकीय सेवा में कार्य करता हो तो उसे ऐसे आवंटन से पूर्व जिलाधीश अथवा राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है ? यदि हां तो क्या इन नियमों की पालना ऐसे आवंटनों से पूर्व की गई है ? यदि नहीं तो क्या राज्य सरकार ऐसे अनियमित आवंटनों को रद्द करने हेतु कार्यवाही करेगी ?

सैनिक कल्याण मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : इस सवाल की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है इसलिए इसको स्थगित किया जाए ।

Page No 14

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह सवाल मैंने 20 मार्च को पेश किया, 24 को सरकार के पास गया, लगातार स्थगित होता है। कब जानकारी मिलेगी ? मंत्रीजी अगली टर्न पर देंगे ?

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे बड़ी काम्प्लीकेशन्स हैं।

श्री अध्यक्ष (मंत्री महोदय से) : कब जवाब देंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जल्दी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : निश्चित तिथि बतायें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : 26 तारीख को।

श्री अध्यक्ष : इसी सेशन में। प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री जेठमल आर्य।

सिरोही जिला परिषद् की बैठकें

560. **श्री जेठमल आर्य** (रेवदर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. सिरोही जिला परिषद की वर्ष में कितनी साधारण बैठकें हुई तथा नियमानुसार कितनी बैठकें होनी चाहिए थीं ?

2. सिरोही जिले में भंडार, भराना, सिलदर तथा कालन्द्री पंचायतों के सरपंचों के रिक्त स्थान अभी तक क्यों नहीं भरे गए ?

3. क्या यह सही है कि सिरोही जिले की कालन्द्री पंचायत में श्री भीमराज सरपंच का कार्य अवैधानिकरूप से बिना निर्वाचित हुए ही कर रहे हैं ?

4. क्या यह भी सही है कि उन्होंने इस पद का दुरुपयोग करके कालन्द्री शहर में आवास की भूमि पर चार मूल्यवान प्लाट अपने व अपने रिश्तेदारों के नाम लिए हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री ओंकार लाल चौहान) : इसका उत्तर मेरे पास अभी प्राप्त नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता।

बावरिया बांध

561. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बांसूर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. क्या यह सही है कि अलवर जिले के बावरिया बांध की उपरा पश्चिम की ओर पुरानी उपरा की बजाय नहीं खोली गई है ?

2. क्या इस नई उपरा से दारोला का बास के किसानों की जमीन फट जाने की शिकायत है और इस कारण वे पुरानी उपरा ही चाहते हैं ?

3. क्या सरकार किसानों की इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए पुरानी उपरा को ही कायम रखने की आज्ञा देगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी):

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) काश्तकारों की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर उपलाव का कोई दूसरा प्रबंध किया जाएगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बरसात होने से पहले कर दिया जाएगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बरसात तो कल परसों ही आने वाली है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कोशिश तो यह की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री चेतराम।

धवान घोलेटा सड़क

562. **श्री चेतराम** (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सत्य है कि धवान-धोलेटा रोड़ (जिला सवाई माधोपुर) को मंजूर हुए करीब 20 साल हो गए पर अभी तक बनी नहीं है ?

2. क्या यह सही है कि हिन्डौन से टोडाभीम तहसील के आधे गांवों के लिए उक्त सड़क ही एकमात्र आवागमन का साधन है ? यदि हां, तो फिर सरकार इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देती ?

3. जिन काश्तकारों की भूमि पर होकर सड़क का सर्वे करा कर सीमांकन किया गया था जिनकी भूमि अवाप्त की गई उनको कितना मुआवजा दिया गया है ? आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

4. सरकार ने इस सड़क को पूरा करने के लिए कितने वर्षों की योजना बनाई है और इसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) धावन घोलेटा कच्ची सड़क निर्माण की स्वीकृति 19-1-56 को प्रथम पंचवर्षीय योजना में दी थी जो कार्य हो चुका है। 5 किलोमीटर में मेटल रोड़ निर्माण की स्वीकृति 8-11-71 को दी गई है जिसका कार्य प्रगति पर है।

(2) जी हां, 5 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए एक लाख रुपयों की स्वीकृति दी गई है।

(3) पक्की सड़क निर्माण में भूमि अवाप्ति की आवश्यकता नहीं हुई है। फेयर वेदर रोड़ निर्माण में आई सड़क का मुआवजा विभाग द्वारा नहीं दिया गया है। मुआवजा तय कर शीघ्र चुकारे हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को लिख दिया गया है।

(4) वित्तीय साधनों के अनुसार कार्य कराने की योजना है वर्ष 1971-72 में 20,000 तथा 1972-73 में 5000 की स्वीकृति दी गई है।

श्री पी. के. चौधरी : आपने आंकड़े पूरे नहीं दिए पार्ट 3 में। कितना मुआवजा दिया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास में अमाउन्ट नहीं हैं।

श्री पी. के. चौधरी : सवाल पूछा गया था कि कितना दिया गया, आंकड़े पेश करने के लिए कहा था।

Page No 16

श्री हरिदेव जोशी : जो मेटल रोड्स हैं उनके लिए कोई मुआवजे का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री पी. के. चौधरी : जो फेयर वेदर रोड्स में मुआवजा दिया गया है, उसके आंकड़े चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं दिया गया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो भूमि अवाप्त की गई है उसका मुआवजा देना पड़ता है।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा लगता है कि कोई गलती हुई है। फेयर वेदर रोड में एक्वीजीशन नहीं होना लगता है।

श्री चेतराम : इसकी पूरी जांच करा लें और स्थिति स्पष्ट करें।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे जो जानकारी मिली है वह यह है कि मेटल रोड्स में कोई प्राइवेट लैंड नहीं आई है। फेयर वेदर रोड्स में कोई प्राइवेट लैंड आई थी जो 1951 की बात है। उसको एक्वायर नहीं किया गया है और फेयर वेदर रोड बनाई गई थी उसके लिए मुआवजा देने का जब प्रश्न आया तो मुझे जानकारी मिली। मैंने लिख दिया है कि एक्वीजीशन की कार्यवाही करके पेमेंट किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ : फाइव सिक्स सेवन।

श्री अध्यक्ष : नो, फाइव सिक्स थ्री।

आवंटित कृषि भूमि पर खातेदारी हकूक

563. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—क्या यह सही है कि सरकार ने सदन में आश्वासन दिया था कि आवंटित कृषि भूमि पर खातेदारी हकूक देने के लिए गैरखातेदारी की दस वर्ष की अवधि को कम किया जायेगा? यदि हां, तो इस आश्वासन को कब तक पूरा किया जायेगा?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : गैरखातेदारों को दस वर्ष की अवधि से पूर्व खातेदारी अधिकार देने के प्रश्न पर राज्य सरकार विचार कर रही है और निकट भविष्य में इस बारे में निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री केदारनाथ : कमाण्ड और नोन-कमाण्ड दोनों में ही?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी हां, दोनों में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह विचार कब से आरम्भ हुआ है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सन् 71 से।

श्री शंकरलाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, जो जनवरी 71 के अनधिकृत कब्जे हैं उनको जमीनों पर तो खातेदारी अधिकार दे दिए जाते हैं और जिन्होंने काश्त की भूमि अलॉट कराई है और जो ओथोराइज्ड तरीके से काश्त करता है और अपने खातेदारी हकूक मांगता है उसको आप दस साल बाद खातेदारी अधिकार करते हैं, तो जब अनधिकृत कब्जों में खातेदारी अधिकार दे रहे हैं जो इनको देने में क्या आपत्ति है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें नियमों में ऐसा है कि साल भर में किसी को खातेदारी हकूक प्राप्त नहीं होते । पांच साल तक जिसका कब्जा रहता है और उस जमीन पर काश्त करता रहता है तो अगले पांच सालों में अगर वह चाहे तो रकम का डाढ़ गुना देकर खातेदारी हकूक ले सकता है । यह प्रश्न जैसा कि मैंने निवेदन किया राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो पचास साल से काबिज हैं

श्री शंकरलाल (पाली) : एक जनवरी सन् 1971 तक के अनधिकृत कब्जों को आप नियमन कर रहे हैं, जबकि वह साल भर भी काबिज नहीं रहा और जैसी कि राज्यपाल महोदय के भाषण में घोषणा की गई है । अनओथोराइज्ड पजेशन्स को रेगुलराइज कर देंगे, लेकिन जो भूमि अलाट कराते हैं, ओथोराइज्ड तरीके से भूमि प्राप्त करके काश्त करते हैं और वे खातेदारी हकूक प्राप्त करना चाहते हैं उनको आप देना नहीं चाहते, यह कहां तक न्याय है । क्या यह उनके साथ अन्याय नहीं है । यह दोनों में तालमेल कहां होता है।

श्री शंकरसिंह रावत : अगर पट्टा नहीं होता है तो उस पर पेनल्टी होती है और इधर दस वर्ष में भी पट्टा नहीं मिल रहा है ...

श्री रामचन्द्र चौधरी : 1-7-71 से जो रेगुलराइज करने का सवाल है । इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं है उनमें रिहायशी मकान का प्रश्न भी शामिल है ।

श्री शंकरलाल (पाली): क्या ऐग्रीकल्चर जमीन का सवाल उसमें नहीं है, है शायद ।

(विराम)

एग्रीकल्चर लैंड शामिल है या नहीं ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसमें हैं ।

श्री शंकरलाल (पाली) : जब आप एक सवाल के पजेशन पर खातेदारी हकूक देने को तैयार हैं और अनधिकृत कब्जों में भी खातेदार हकूक देने को तैयार हैं तो फिर इसमें क्या आपत्ति है । इसके अलावा काश्तकार के सामने अपनी जमीनों के इम्प्रूवमेंट का, उस पर उत्पादन का सवाल भी है । पांच साल तक आप क्यों उसको अटकाए रखना चाहते हैं ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह नियम तो आपके ही बनाये हुए हैं । नियमों के अन्दर 10 साल का प्रोविजन है, अलाटमेंट के लिए ।

श्री शंकर लाल (पाली) : उसी रूल को तो बदलने की बात है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया कि यही प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि भूमि विकास बैंक में भी जमीन के कब्जे का सवाल सामने आता है और इसलिए उनको खातेदारी हकूक मिलना आवश्यक है । उस जमीन पर वह विकास करना चाहता है और कुछ लोन वगैरा लेना चाहते हैं तो भी उसको खातेदारी पट्टे की आवश्यकता होती है ।

श्री केदारनाथ : इसमें दो दस साल का पीरियड है उसमें अगर कोई दो साल तक काश्त नहीं करे और फिर काश्त करने लग जाय तो उस पीरियड को कण्डोन करने का क्या आपने फैसला कर लिया है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हां

श्री अध्यक्ष : शंकरलाल ।

अध्यापकों की बकाया राशि

564. **श्री शंकर लाल (पाली) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि पाली पंचायत समिति के अध्यापकों को फिक्सेशन के फलस्वरूप जो अधिक धनराशि मिलने का निर्णय हुआ, वह पंचायत समिति के कोष में प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है और पंचायत समिति के कोष में कब जमा हुई ?

2. इस धनराशि को अभी तक अध्यापकों में वितरण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं और अब यह राशि अध्यापकों में कब तक वितरण कर दी जायेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) जी हां । 1,55,000) रु० की राशि पंचायत समिति के निजी खाते में दिनांक 1-3-72 को जमा हुई ।

(2) 24 अध्यापकों को भुगतान कर दिया गया है व शेष 19 अध्यापकों का भुगतान शीघ्र कर दिया जावेगा ।

श्री शंकरलाल (पाली) : सारे अध्यापकों को भुगतान न करने का क्या कारण है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : 19 अध्यापक बाकी रहे हैं । उनमें से 7 अध्यापक तो ऐसे थे जिनमें एडवांसेज बाकी थे । एडवांसेज का हिसाब करने में कुछ समय लगा और 9 अध्यापकों के बिल बनाये जायेंगे । जो बाकी हैं उनके लिए मैंने सात दिन में पेमेंट करने का आदेश दे दिया है कि 7 दिन के अन्दर पेमेंट कर दिया जाय····

श्री अध्यक्ष : श्री नारायण सिंह ।

श्री ओंकार लाल चौहान :····और जिस अधिकारी की गलती है उसका भी एक्सप्लेनेशन लेंगे ।

प्रश्न संख्या 565

श्री अध्यक्ष : श्री नारायण सिंह ।

(अनुपस्थित कृपया : आगे देखिये)

श्री नन्दलाल बैरवा ।

चम्बल नहर से सिंचाई

566. **श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. जिला बूंदी के चम्बल कमाण्ड एरिया में चम्बल नहर से कितनी एकड़ भूमि की रबी व खरीफ में सिंचाई होती है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. जहां जहां चम्बल की नहर खोद दी गई है जैसे खराहता, पापड़ी माखीदा, जसवाड़ा आदि माइनरों पर क्या सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है, यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) जिला बूंदी के चम्बल कमाण्ड एरिया में चम्बल नहर से डिजाइन के अनुसार रबी में 1,35,500 एकड़ और खरीफ में 51,736 एकड़ सिंचाई होती है । सिंचाई की वर्षवार सूची संलग्न है ।

(श्री मूलचन्द)

(2) चम्बल नहरों से खरायता, पापड़ी एवं मारखोदा गांवों में सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है, परन्तु बांसवाड़ा गांव को पानी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इस गांव को सिंचित क्षेत्र से सरकारी आज्ञा संख्या एफ. 8 (62) सिंचाई/कोलो/62, दिनांक 16-7-71 द्वारा बाहर कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री नन्दलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, जहां पर नहरें खोदी जा चुकी हैं और फिर भी गांवों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप कब तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर देंगे।

श्री मूलचन्द : जहां तक पानी पहुंचाने का प्रश्न है आप किसी गांव विशेष के बारे में फरमावें तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं।

श्री नन्दलाल बैरवा : पापड़ी में झाड़ली गांव है वहां पर नहर खोद दी गई है लेकिन पानी नहीं पहुंचा है।

श्री मूलचन्द : इस गांव तक पानी पहुंचाने के लिए जो नहर खोदी जा रही है उसमें तीन गहरे नाले हैं जिन पर क्रोसिंग बनाना है, धनाभाव के कारण इसमें देरी हो रही है।

श्री नन्दलाल बैरवा : यह कब तक पूरी हो जावेगी ?

(कोई उत्तर नहीं)

प्रश्न संख्या 567

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।
(अनुपस्थित ; कृपया आगे देखिये)।

प्रश्न संख्या 568

श्री मालाराम।
(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)।

प्रश्न संख्या 569

श्री वृजेन्द्रपाल।
(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र

ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क प्लाटों का वितरण

570. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :** [श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) की अनुपस्थिति में] क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सभी सदस्य, गांव के छोटे कारीगरों और भूमिहीन श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भवन बनाने हेतु निःशुल्क प्लाट देने का निश्चय किया है ?

2. यदि हां, तो सरकार ने क्या यह भी जानकारी प्राप्त की है कि विभिन्न जिलों में कितनी कितनी जमीन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क प्लाटों के द्वारा दे सकेगी।

3. उक्त प्लाटों को देने की कार्यवाही के बारे में राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में जो कदम उठाये हैं उनकी प्रगति क्या रही है ?

(श्री ओंकारलाल उत्तर देने के लिए खड़े हुए लेकिन फिर बैठ गए)

570. का जवाब दो ना बैठ क्यों गए?

श्री अध्यक्ष : It is for me to ask for authority.

पंचायत मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : इसमें भी माननीय अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू से कुछ जानकारी चाही गई हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मंत्री महोदय से इन्फार्मेशन गेदर करके जवाब दिया जाएगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह बहुत जरूरी प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। इससे सारा का सारा राजस्थान प्रभावित है। इसकी तारीख मुकर्रर कर दें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : तारीख तय कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

चूरू-तारानगर सड़क निर्माण कार्य

571. **श्री मोहरसिंह (चूरू) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. चूरू से तारानगर सड़क का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ ? इस पर अब तक क्या कार्य हुआ और कितना धन खर्च हुआ ?

2. इस सड़क पर कितना घाघला पत्थर पड़ा है ? इसका उपयोग कब किया जायेगा ?

3. इस सड़क का निर्माण कब तक पूरा करवा दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) सहायता कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 में कार्य प्रारम्भ कराया गया था। अर्थवर्क, घाघला बिछाई, सड़क कुटाई क्रमशः 15, 9 तथा 8 मीलों पर हुआ है जिस पर 27,44,357 रुपया व्यय हुआ है।

(2) खानों पर 4,50,000 घनफुट घाघला पड़ा हुआ है। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(3) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर।

पटवार घर के निर्माण कार्य का ठेका

572. **श्रीमती मदनकौर (पचपदरा):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि श्री लक्ष्मण दास आर्य, निवासी बालोतरा ने गांव मेली और कुसीप तहसील सिवाना में पटवारघर ठेका लेकर बनाये थे ? यदि हां, तो इन पटवार घरों का ठेका कितने रुपये में दिया गया था ?

2. क्या उक्त गांवों में पटवारघर ठेके की शर्तों के मुताबिक बनाये गये थे ?

3. क्या यह भी सही है कि उक्त पटवारघर पहली ही वर्षा में गिर गये थे ?

(श्रीमती मदनकौर)

(4) क्या यह सही है कि पटवारघर के निर्माण की रकम ठेके के अनुसार ठेकेदार को पूरी की पूरी चुका दी गई है ?

(5) क्या ठेकेदार से इस रकम की वापस वसूली की कोई कार्यवाही सरकार के स्तर पर चल रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी):
(1) जी हां। ठेका प्रति भवन 5000) रुपया में दिया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। ठेकेदार को उक्त भवनों के निर्माण की सम्पूर्ण राशि भुगतान न कर क्रमशः रुपये 4000) व 3500) का भुगतान किया गया है।

(5) वसूली की कार्यवाही जिलाधीश बाड़मेर के द्वारा हो रही है। राज्य स्तर पर वसूली स्थगितकर दी गई है और ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उजरात पेश करने को कहा गया है। ठेकेदार अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है।

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने भाग 4 में यह कहा है कि उसको पूरी रकम चुकता नहीं की गई है तो वसूली किस प्रकार की जा रही है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने बताया कि चार हजार और 3500) रु० दिया गया है, पांच-पांच हजार के बजाय। ठेकेदार को पांच-पांच हजार का भुगतान करना था उसमें से चार हजार और 3500) का भुगतान अब तक किया गया है।

श्रीमती मदनकौर : क्या उस ठेकेदार ने राजस्थान सरकार के पास कोई रिप्रजेण्टेशन किया था कि यह वसूली उससे नहीं की जावे। यदि हां, तो उसने क्या मुद्दे उठाये थे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हां, उसने रिप्रजेण्टेशन किया है कि मेरे से सारी वसूली वापिस न ली जावे, इस पर उसको सुनने के लिए मौका दिया गया। अभी दो बार तो आया नहीं है।

श्रीमती मदनकौर : जब ठेकेदार आ ही नहीं रहा है तो क्या राज्य सरकार एक्स पार्टी उस पर निर्णय नहीं ले सकती ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हां, अगर वह नहीं आवेगा तो उससे सारी रकम वापिस वसूल की जावेगी।

प्रश्न संख्या 573

श्री अध्यक्ष : श्रीमती भगवती देवी।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखिये)

श्री देवीलाल।

तहसील सराड़ा की सड़क

574. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या जिला उदयपुर की तहसील सराड़ा में परसाद से सगतडा, सेरिया, सलूम्बर, वाया चावण्ड, परसाद सड़क पंचवर्षीय योजना में ली गई है? यदि हां, तो इसके लिये कितनी धनराशि का प्रावधान है ? तथा यह सड़क पक्की कब तक बन जावेगी ?

Page No 22

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : ग्रेवल रोड चावन्ड से सैरिया के नाम से ग्रेवल रोड बनाने हेतु वार्षिक योजना 1971-72 में स्वीकृत है। वर्ष 71-72 में 30,000 हजार का प्रावधान किया गया था इस सड़क को पक्की व डामर रोड बनाने की कोई योजना नहीं है।

श्री देवीलाल : क्या योजना में लिये जाने का विचार है ?

श्री हरिदेव जोशी : नहीं। मैंने निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

मूंडल्या खेड़ी तालाब

575. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा पाटन) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

1. क्या यह सही है कि मूंडल्या खेड़ी तालाब जिला झालावाड़ का कार्य अभी तक अधूरा है ? यदि हां, तो अब तक इस पर कितनी लागत लग चुकी है ?

2. क्या यह सही है कि तालाब में गेट लगानी बाकी है ? यदि हां, तो कितने तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

3. क्या यह सही है कि गत बरसात में अत्यधिक वर्षा के कारण उक्त तालाब से झालरापाटन शहर को खतरा हो गया था जिसकी वजह से पाल तोड़ कर पानी निकाला गया ?

राज्य मन्त्री सिंचाई (श्री मूलचन्द) :

(1) जी हां, अब तक इस पर लगभग 4,43,333 रुपये की लागत लग चुकी है।

(2) जी हां, इस पांच गेट 10"×8" साइज के लगेंगे। इसका कार्य जून, 1972 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

(3) जी हां।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि इस पर लागत लगभग 12 लाख खर्च हुई है ? मन्त्री महोदय फरमा रहे हैं कि 3.4 लाख ही लगा। यह कहां तक सही है ?

श्री मूलचन्द : आपके पास यह सूचना कहां से प्राप्त हुई यह फरमा देवें।

श्री रामप्रसाद बोहरा : सूचना तो आपके पास होनी चाहिये। 15 लाख की योजना 11 लाख खर्च हुए। अब तक कितना फन्ड खर्च हुआ है ? आपने फरमाया 6 लाख।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): सारा खर्चा 6 लाख है न कि 15 लाख।

श्री रामप्रसाद बोहरा : कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जून तक।

श्री पी० के० चौधरी : कौनसा सही माना जाय ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अब तक लगभग चार लाख खर्च हुआ और टोटल 6 लाख खर्च होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य।

माइका माइन्स लेबर वैलफेयर सलाहकार समिति

576. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि माइका माइन्स लेबर वैल फेयर के सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्रम मन्त्री स्वयम् हैं ?

2. उक्त समिति की गत दो वर्षों में कब कब बैठकें हुई और उसमें मजदूरों के कल्याण सम्बन्धी क्या निर्णय लिये गये ? निर्णयों की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर प्रस्तुत की जायं।

3. क्या यह सही है कि अभ्रक श्रमिकों के लिये केन्द्रीय अभ्रक हितकारी कोष में लाखों रुपयों की राशि है ? यदि हां, तो कितनी और उक्त रकम का उपयोग किन हितकारी कार्यों में किया गया ?

4. क्या यह सही है कि केन्द्रीय अभ्रक हितकारी कोष की ओर से गत 1971-72 वर्ष में श्रमिकों के लिये आवास गृहों के निर्माण हेतु एक लाख रुपये का प्रावधान था ? यदि हां, तो क्या उसका उपयोग किया गया ?

5. क्या यह सही है कि गंगापुर स्थित चिकित्सालय के लिये एक एक्सरे मशीन खरीदने हेतु एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया था यदि हां, तो क्या मशीन खरीदी गई ?

उत्तर

श्रम मन्त्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) जी हां।

(2) सन् 1970 में दिनांक 17-5-70 को एवं सन् 1971 में दिनांक 30-10-71 को बैठकें हुई। निर्णयों की प्रतिलिपियां सदन की पटल पर प्रस्तुत कर दी गई हैं।

(3) दिनांक 1-4-72 को सैंतीस लाख गुनसठ हजार अनुमानित रुपया है। उक्त कोष की राशि का उपभोग चिकित्सा सुविधा (एलोपेथिक एवं आयुर्वेदिक) पेय-जल। श्रमिक आवास गृहों, कल्याण केन्द्रों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, महिला समाज शिक्षा केन्द्रों, प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्रों, चल-चित्र प्रदर्शन, खेलकूद प्रतियोगितायें तथा भारत तथा राजस्थान दर्शन आदि श्रमिकों के हितकारी कार्यों पर खर्च किया गया। चिकित्सा सुविधायें श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य नागरिकों को भी प्रदान की गई।

(4) जी हां। 1971-72 में 17 हजार का प्रावधान था। 72-73 में 30 हजार का प्रावधान किया गया।

(5) जी हां। एक्सरे मशीन के लिये निर्देशक, निपटाने एवं संरक्षण विभाग द्वारा क्रय करने हेतु माह दिसम्बर 71 में आदेश दे दिये गये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री निरंजननाथ आचार्य : आदेश दे दिये गये और खरीद की गई ठीक है यह बात ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अभी नहीं खरीदी गई। आदेश दे दिये गये। 25-4-72 को खरीदने का आखिरी आर्डर भेजा गया था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : भाग 4 में श्रमिकों के लिये आवास-गृहों के निर्माण हेतु एक लाख रुपये का प्रावधान था। उसमें से कितना अमेस कर लिया गया और कितना खर्च कर लिया गया ?

श्री औंकारलाल चौहान : यह अलग से प्रश्न है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह मानूं कि कुछ भी खर्च नहीं हुआ ? क्या यह ठीक है ?

श्री औंकारलाल चौहान : यह तो नहीं माना जा सकता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नियमानुसार प्रतिवर्ष चार मीटिंग होनी चाहिए।

श्री औंकारलाल चौहान : ऐसा प्रावधान नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए जल्दी होना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या यह सही है कि राज्य सरकार की यह नीति है कि प्रश्न के जरिये कार्य विवरण आना चाहिए वह इतना अस्पष्ट होना चाहिये कि कोई भी पूरक प्रश्न न पूछ सके ?

श्री औंकारलाल चौहान : ऐसी कोई मंशा नहीं है न पूछा जाय। मुझे खेद है ऐसी बात हो गई।

प्रश्न संख्या 577

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री पीलीबंगा को तहसील बनाने का मामला।

578 **श्री गुरदयाल सिंधु** (करणपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पीलीबंगा को तहसील बनाये जाने का प्रश्न सरकार के पास कब से विचाराधीन है तथा सरकार इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री केदार नाथ : क्या यह सही है कि पीलीबंगा तहसील बनने की सभी कन्डीशन्स को फुलफिल करती हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पीलीबंगा को तहसील बनाने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

कानूनी सहायता देने के लिये वकील को नियुक्ति

579. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जालोर जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के लिये अभी तक कोई वकील मुकर्रर नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों और अब वकील की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री औंकारलाल चौहान): जी हां। सभी जिलों में अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को कानूनी

(श्री ओंकारलाल चौहान)

सहायता देने के लिये वकील की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है और इस पर निर्णय विभिन्न जिलों में मुकद्दमों की संख्या को ध्यान में रखकर लिया जावेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : समाज कल्याण मंत्रीजी ने यहां घोषणा कर दी थी अब उसमें क्या कठिनाइयां हैं?

श्री ओंकारलाल चौहान : इसका शीघ्र से शीघ्र किया जा रहा है।.

श्री रघुनाथ विश्नोई : अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कानूनी सलाह देने का प्रश्न है। आप मुकद्दमों की संख्या के लिये कह रहे हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : मुकद्दमों की संख्या का प्रश्न इसलिये है कि ज्यादा केसेज है तो ज्यादा खर्चा किया जाना है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह आपकी पोलिसी के खिलाफ है। आपने यहां पर पोलिसी की घोषणा की थी सदन के अंदर डिमांड के जवाब में।

श्री ओंकारलाल चौहान : जी हां, घोषणा हुई थी और इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राज्य सरकार प्रत्येक जिले में सरकारी वकील शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के लिये मुकर्रर नहीं कर रही है? 26 के 26 जिलों में कानून सलाह देने के लिये मुकर्रर नहीं कर रही है जब कि घोषणा की गई थी?

श्री ओंकारलाल चौहान : अभी नहीं किये गये हैं। इस वर्ष के लिये इन्तजाम करना है।

प्रश्न संख्या 520

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्र बाला।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रश्न का पहले जवाब मिल चुका है इसलिये मैं दुबारा नहीं पूछना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

गांव अक्कासर के हरिजन मोहल्ले में पानी की व्यवस्था

581. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. क्या यह सही है कि गांव अक्कासर (बीकानेर) के अनुसूचित जाति के मोहल्ले में पानी व बिजली का प्रबन्ध नहीं है? यदि हां तो क्यों?

2. क्या सरकार इस गांव के हरिजन मोहल्ले में पानी व बिजली पहुंचाने में प्राथमिकता देकर इसी वर्ष में प्रबन्ध कर देगी?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकार लाल चौहान) : (1) अक्कासर (बीकानेर) के अनुसूचित जाति के मोहल्लों में पानी व बिजली के प्रबन्ध सम्बन्धित कोई जानकारी समाज कल्याण विभाग में नहीं है। विभाग में इस आशय के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है।

Page No 26

(श्री ओंकारलाल चौहान)

(2) प्रस्ताव पास होने पर विचार किया जा सकेगा।

श्री भीमसेन : भेजे जा चुके हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : प्रस्ताव की बात माननीय सदस्यों ने हाउस में रखी है। जिस जिस जगह के प्रस्ताव हैं, उनकी छान-बीन करके कहां कमी है, जिसके पास रखे हुए हैं, जिनकी गलती होगी उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

श्री भीमसेन : अनुसूचित जाति और जनजाति की बस्तियों में पानी और बिजली की व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री ओंकारलाल चौहान : घोषणा के अनुसार की जायगी व्यवस्था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब माननीय सदस्य ने प्रश्न दिया इसके आधार पर जानकारी की है कि इस ग्राम में हरिजन बस्ती में पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है।

श्री ओंकारलाल चौहान : मेरे पास प्रस्ताव नहीं है। पेयजल और बिजली के लिये दोनों प्रस्ताव देने जरूरी हैं क्योंकि कितना खर्चा होगा पानी और बिजली पर इसको देखना होगा। टेक्निकल प्रस्ताव नहीं आते हैं तब तक कार्य नहीं हो सकते।

श्री पी. के. चौधरी : किसके पास से आने चाहिये?

श्री ओंकारलाल चौहान : पंचायत समिति के पास से आने चाहियें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आफिस में बात करके प्रस्ताव मंगा सकते है।

श्री भीमसेन : सरपंच खिलाफ है तो क्या करेंगे?

श्री ओंकारलाल चौहान : एम. एल. ए. साहब कृपा कर प्रस्ताव भेजेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति की बस्तियों में अपनी घोषणा के अनुसार पानी और बिजली की व्यवस्था करेगी? एम. एल. ए. नहीं भेजते हैं तो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं हर जिले में उनको पाबन्द करेंगे कि सारी बातों की जांच करके उसकी कार्यवाही करने की व्यवस्था करें?

श्री शंकरसिंह रावत : जिला अधिकारी जिलों में रहते हैं, उनसे व्यवस्था करायेंगे?

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : पानी और बिजली उनको नहीं मिल रही है। लोगों को झूठे आश्वासन देकर मंत्रि-मंडल बनाया।

श्री ओंकारलाल चौहान : झूठे आश्वासन का प्रश्न ही नहीं है।

श्री विट्ठल भाई : झूठे आश्वासन आपने दिये। पानी और बिजली का हर जगह आश्वासन दिया और फिर न बिजली दी और न पानी ही दिया और झूठे आश्वासन देकर आपने सरकार बनाई और लोग अभी तक चिल्ला रहे हैं, पानी नहीं है और बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं दिया आपने। लोग प्यासे मर रहे हैं। आपकी नीयत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि पंचायत समिति प्रपोजल बनाती है बिजली और पानी के लिए और उसके बाद भी अब तक जिला समाज कल्याण अधिकारी उसको वेरीफाइ नहीं करता है तब तक उसको सही माना जाता है।

श्री औंकारलाल चौहान : वहां से लिखकर ही आता है और मैं यह ताकीद कर दूंगा।

श्री पी. के. चौधरी : जिला समाज कल्याण अधिकारी उसको जब तक अटेस्ट नहीं करता है तब तक आप उसको सही मानते हैं ?

श्री औंकारलाल चौहान : जी हां।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या मंत्री महोदय, झूठे आश्वासन देना छोड़ेंगे।

श्री औंकारलाल चौहान : मैं कोई झूठे आश्वासन नहीं देता।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि भीमसेन जी के मार्फत सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को मकान व्यवस्था कराने पर विचार करेंगे ?

श्री औंकारलाल चौहान : मैं आपके लिए जरूर निवेदन कर दूंगा भीमसेन जी से।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके लिए समाज कल्याण अधिकारी की सहमति होना आवश्यक है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या 582

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र शर्मा।

श्री चिम्मनसिंह भाटी। (अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

भू-अभिलेखकों के कार्यालय भवन एवं निवास गृह बनाने की योजना

583. श्री **चिम्मनसिंह भाटी** (भीम): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. राज्य में भू-अभिलेखकों (पटवारियों) के कितने कार्यालय व निवास-गृह पक्के बने हुए हैं ?

2. राज्य सरकार द्वारा भू-अभिलेखकों के कार्यालय भवन एवं निवास गृह बनाने की क्या योजना है ?

3. क्या भू-अभिलेखकों के कार्य की कोई सीमा भी निश्चित है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) 1432 पक्के पटवारघर बने हुए है।

(2) योजना अनुसार पटवार घरों के निर्माण हेतु 5 लाख रुपये का धनराशि का प्रतिवर्ष प्रावधान किया जाता है।

(3) राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू रूल्स 1957 के नियम 2 के अन्तर्गत पटवार मंडल के निर्माण हेतु मार्गदर्शक बिन्दु निर्धारित किए

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

हुए हैं एवं पटवारियों के कर्त्तव्यों का उल्लेख उक्त नियमों के नियम 22 से 169 तक दिया हुआ है ।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : राजस्थान में कुल कितने पटवारी हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग से सवाल है ।

श्री पी० के० चौधरी : पटवारी कितने चाहिए राजस्थान में कुल ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह सवाल नहीं पूछा गया है ।

श्री चिम्मनसिंह भाटी: बाकी के जो…

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

प्रश्न संख्या 584

श्रीमती गौरी पूनिया । (अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री भानुकुमार शास्त्री ।

भोइयों की पचोली के पास 'रवाड़ी' की खुदाई पर व्यय

585. **श्री भानुकुमार शास्त्री** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

1. उदयपुर जिले के अन्तर्गत गिरवाल तहसील में भोइयों की पचोली के पास 'रवाड़ी' की किस विभाग द्वारा कब और कितना व्यय कर खुदवाया ?

2. उस कुए से कितने एकड़ क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है ? खेतों को पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने क्या कोई व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो अब तक सिंचाई के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था क्यों नहीं की ? इसके लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी होगा ?

राज्य मंत्री सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) यह कार्य इस विभाग द्वारा नहीं करवाया गया । अतः वांछित सूचना देना संभव नहीं है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ पानी का अभाव और दूसरी ओर मंत्री महोदय उत्तर देते हैं कि प्रश्न ही खड़ा नहीं होता । पानी वहां पड़ा हुआ है और 200 फुट पानी गहरा है जिससे सैकड़ों भूमि की सिंचाई की जा सकती है और हमारी सरकार सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं है । वहां के किसान चाहते हैं कि गिरवा तहसील में आज सरकार व्यवस्था करे और हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि प्रश्न ही खड़ा नहीं होता तो किस विभाग ने करवाया ?

श्री मूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, यदि आपके मस्तिष्क में यह प्रपोजल है तो इसके ऊपर विशेषतौर से अलग से सोचा जा सकता है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपको यह जानकारी है कि इतना बड़ा कुआ किसने बनवाया ?

श्री मूलचन्द : यह प्रश्न मेरे से संबंधित नहीं होने के कारण मैं उत्तर नहीं दे सकता। इसकी जानकारी प्राप्त कर ली जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी ।

बनास नदी के नाले पर पुल

686. **श्री मनोहर कोठारी** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि नाथद्वारा से बागोल के बीच में बनास नदी के नाले पर पुल बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसके लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई है ?

2. स्वीकृत राशि में से कितनी राशि व्यय हुई है और उसमें पुल का कितना निर्माण हो चुका है तथा शेष काम कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री हरिदेव जोशी) : (1) बनास नदी के पुल निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वहां पर पुलिया का नीचे का सारा भाग बन चुका है और केवल स्लेब्स नहीं पड़े हैं।

श्री हरिदेव जोशी : यह पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा नहीं बना है।

श्री मनोहर कोठारी : पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा बना है।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी सूचना नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : टालू मिक्सचर पिलाने में रेकर्ड है।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव

तालाब रतनसागर की मोरियां

587. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि ग्राम जैतपुरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर में सरकारी तालाब रतनसागर की मोरियां मिट्टी आदि के कारण रुक गई हैं ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी ?

2. क्या यह सही है कि उक्त तालाब का पानी सिंचाई के कार्य में आता है ? यदि हां, तो इससे कितनी जमीन की सिंचाई की जाती है।

3. इसको ठीक कराने के सम्बन्ध में आज तक किन किन को शिकायतें की गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इसका सम्बन्ध विकास विभाग से है इसलिए विकास विभाग इनका उत्तर देगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आपस के सम्बन्ध कब तय हुए और कब टूट गये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी सदन में इसी आसन द्वारा यह व्यवस्था दी गयी थी पिछली विधान सभा में कि यदि कोई प्रश्न किसी दूसरे विभाग से सम्बन्धित है तो बजाय इस के कि यहां इस तरह का उत्तर देकर टाल दिया जाय वह विभाग उस सम्बन्धित

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विभाग को उस प्रश्न को भेज दे तो मंत्री महोदय ने इस प्रश्न को विकास विभाग को क्यों नहीं भेजा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : भेजा जा चुका है :

श्री पी० के० चौधरी : इसको इर्रीगेशन रेट्स कौन केलकुलेट करता है पंचायत या विकास विभाग ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो 50 एकड़ या उससे नीचे के तालाब हैं उनका सिंचाई विभाग से ताल्लुक नहीं है, विकास विभाग ही करता है। विकास विभाग न रेट्स वसूल करता है और न तय करता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसका उत्तर कब तक मिल जायेगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अगले टर्न पर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उत्तर कब तक मिल जायेगा यही प्रश्न मिल जाये तो इसी से खुशी हो जायेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ। स्थगित प्रश्न।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3-5-72)

भारत-पाक युद्ध और काश्तकारों की हानि

246. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर): क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. गत भारत-पाक युद्ध (दिसम्बर, 1971) में गंगानगर के सीमावर्ती गांवों में काश्तकारों को खेत व गांव छोड़ने से कहां और कितनी-कितनी हानि हुई ?

2. क्या राज्य सरकार ने उक्त नुकसान का क्लेम केन्द्रीय सरकार से किया है? यदि हां, तो कितना और आज तक कितना मुआवजा राज्य सरकार ने काश्तकारों को चुकाया है ? गांववार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

3. राज्य सरकार द्वारा सीमावर्ती गांवों में रहने वालों को और क्या सुविधायें देने की घोषणा की गई है ?

4. क्या राज्य सरकार काश्तकारों से खरीफ व रबी की फसलों का लेण्ड रेवेन्यू व इर्रीगेशन चार्जेज वसूल न कर उसे मुआफ करने का विचार रखती है ?

5. क्या यह सही है कि उस क्षेत्र के काश्तकारों से बकाया रकम की वसूली को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) गंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र तहसील गंगानगर, करनपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर तथा अनूपगढ़ में काश्तकारों द्वारा खेत व गांव छोड़ने से क्षति हुई जिसका तखमीना फसल खरीफ का 82871.01 बीघा का 1,63,40,300.00 रु. तथा रबी की फसल का 59586.12 बीघा का 62,16,000.00 रु. जिलाधीश पुनर्वास गंगानगर द्वारा आंकी गई है।

(2) जी नहीं।

(श्री ओंकार लाल चौहान)

(3) सीमावर्ती गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को तदर्थ निर्वाह भत्ता मकान के लिए अनुदान, व्यापार करने के लिए ऋण व सहायता देने की केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की है।

(4) लैण्ड रेवेन्यू का मामला विचाराधीन है। इर्रीगेशन चार्जेज के बारे में इर्रीगेशन ड्रेनेज एक्ट 1954 के अनुसार रियायत की जावेगी।

(5) जी नहीं।

श्री केदारनाथ : लासेस केलकुलेशन किये गये इसका आधार क्या है? फसल में जो लासेस हुए हैं उसका कम्पेन्सेशन देने की बात कही गई है उसका आधार क्या है?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैंने जैसा निवेदन किया कि जिलाधीश गंगानगर के द्वारा की गई है और रेवेन्यू के अन्तर्गत नियम बने हुए हैं उसके अनुसार हुआ है।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि तीन साल की एवरेज नहीं लेकर इसी साल के ऊपर आपने लासेस का केलकुलेशन किया है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो जिलाधीश ने किया है इनको क्यों पूछते हो?

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर

श्री केदारनाथ : सेन्टर को राजस्थान सरकार की तरफ से कम्पेन्सेशन के लिये, जलासेज के लिये क्लेम करने के लिये कब लिखा है?

श्री ओंकारलाल चौहान : अभी कोई क्लेम नहीं किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह गम्भीर प्रश्न है। पंजाब ने अपना क्लेम भेज दिया, गुजरात ने भेज दिया और राजस्थान सरकार ने अभी तक कोई ऐक्शन नहीं लिया, कोई क्लेम भारत सरकार को नहीं भेजा है और भारत सरकार के अधिकारी बार बार राजस्थान सरकार को लिख रहे हैं कि क्लेम भेजो।

श्री पी० के० चौधरी : क्यों नहीं भेजा है?

श्री केदारनाथ : आपने अभी जितना पैसा बांटा है वह कहां से आया है?

श्री ओंकारलाल चौहान : यह भारत सरकार से आया है।

श्री केदारनाथ : इसका कोई क्राइटेरिया है?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : राजस्थान सरकार के पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। इनको कुछ रकम दी गई है और वह इन्होंने बांट दी। इन्होंने फसलों का कोई असेसमेन्ट नहीं किया है। जो इर्रीगेटेड एरिया है वह 17 हजार एकड़ बताया है। सारे क्षेत्र के अन्दर यह करीब तीन, चार लाख एकड़ हैं।

श्री केदारनाथ : आपको केवल 80 लाख रुपया मिला है जबकि पंजाब को 5 करोड़ रुपया मिला है।

श्री ओंकारलाल चौहान : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोन्ड कर दिया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मुआवजे के रूप में नहीं मिला है यह एडहॉक ग्रान्ट थी।

श्री ओंकारलाल चौहान : कोई क्लेम राज्य सरकार की ओर से नहीं किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्यों नहीं किया गया ?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं इसकी जानकारी करके बता दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बार्डर के लोगों ने वीरता दिखाई है। इतना अच्छा मोरल इनका रहा है। किसानों की फसल खराब रही है और राजस्थान सरकार इस प्रश्न पर सो रही है उसने कोई क्लेम नहीं दिया।

श्री केदारनाथ : इसको पोस्टपोन किया जाये। कितने विलेज इफेक्टेड हुए है, कितनी फेमिलिज इफेक्टेड हुई है, यह इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है। पैसा सेन्टर दे रहा है।

श्री ओंकारलाल चौहान : जानकारी प्राप्त करके उसकी सूचना दी जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल या परसों ?

श्री गुमानमल लोढा : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : आप मेरा फैसला तो सुनिये।

प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3-5-72)

अनुसूचित जाति व जनजाति के भूमिहीन किसान

271. **श्री यशवन्तसिंह नाहर** (वनेड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में आज तक कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवार भूमिहीन हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : राज्य में आज तक अनुसूचित जाति के भूमिहीन परिवारों की संख्या 1,36,073 व अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन परिवारों की संख्या 66,964 है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कुछ परिवारों की संख्या कितनी है जिनको कि आप भूमि दे चुके हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपने जो सवाल पूछा है उसकी फीगर बता दी है। टोटल परिवार कितने हैं यह तो .....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : गांधी शताब्दी वर्ष में आपने भूमिहीनों को भूमि वितरित की है। फिर भी कितने बाकी रह गये है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दिया है कि

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

2 लाख 33 हजार, 37 परिवार अनुसूचित जनजाति के बाकी हैं जिनको कि भूमि नहीं मिली है। 3 लाख 41 हजार को पहले दी जा चुकी है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : तो कुल कितने परिवार हैं पांच लाख हैं। बाकी और कोई परिवार नहीं है। वह दूसरा क्या धन्धा करते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी । 55 में खातेदारी हक दे चुके हैं और बाकी बहुत से शहरों में रहते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा यह निवेदन था कि गांधी शताब्दी वर्ष में उनको जमीन दी गई। उसके बाद कोई नहीं दी गई। इसका कारण बताइये कि जो तीन लाख भूमिहीन पड़े हुए हैं क्या उनके पास कोई दूसरा रोजगार है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह निवेदन से काम चलने वाला नहीं है। इसके लिये आपको और हम को एकजूट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। कई गांधी शताब्दी निकल जायेंगी और मंत्रियों का यही जवाब आता रहेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चोर बावड़ी सिंचाई योजना

548. **श्री विजयसिंह** (मांडल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या माण्डल तहसील में चोर बावड़ी नामक सिंचाई योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गई है ?

2. क्या यह सही है कि इस योजना का शिलान्यास राज्य के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने गत दो वर्ष पूर्व किया था ?

3. क्या यह सही है कि इस योजना पर अभी तक कार्य आरंभ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इस योजना का कार्य चालू करने में क्या कठिनाई है ?

(उत्तर)

(1) जी नहीं।

(2) जी हां

(3) जी हां, इस योजना की प्रशासकीय स्वीकृति व धनराशि की उपलब्धि न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकता।

सैनिक कल्याण कोष की राशि

551. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

1. सैनिक कल्याण कोष का कितना धन कितने वर्षों से राज्य सरकार के पास जमा है ?

2. क्या यह सही है कि यह राशि बहुत पहिले ही सोलजर बोर्डों को दे दी जानी चाहिए थी ? यदि हां, तो यह राशि अब तक क्यों नहीं दी गई व अब इसे उन्हें देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) सैनिक कल्याण कोष के स्पेशल फण्ड के लिए जिन जिन वर्षों में जितनी जितनी राशि स्वीकृत की गई और जो राज्य सरकार के पास बिना व्याज वाले शीर्षक में जमा है। उसका विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	राशि	स्वीकृति की तिथि
1966-67	4,44,600/-	31-3-67
1967-68	4,44,600/-	26-3-68
1968-69	4,44,600/-	31-3-69
योग	13,33,800/-	

(2) यह राशि स्वीकृति के पश्चात् ही स्टेट सोल्जर बोर्ड को दे देनी चाहिए थी लेकिन महालेखाकार द्वारा इस संबंध में वित्त विभाग से कुछ स्पष्टीकरण चाहने के कारण यह मामला वित्त विभाग और महालेखाकार के दर्म्यान विचाराधीन है इसलिए यह राशि सोल्जर बोर्ड में स्थानान्तरित नहीं की गई। जैसे ही वित्त विभाग और महालेखाकार से निर्णय होगा इस फण्ड को स्टेट सोल्जर्स बोर्ड में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

आमेर तहसील की सड़कें

555. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. आमेर तहसील में निर्मित सड़कों की कुल लम्बाई क्या है ? पृथक पृथक किस्म की सड़कों की तालिका सदन की मेज पर रखें।

2. इस तहसील में राज्य की अन्य तहसीलों के मुकाबले सड़कों का पूर्ण विकास किस कारण से नहीं हो पाया है ?

3. इस तहसील में कौन कौनसी ऐसी सड़कें हैं जिनके निर्माणार्थ वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है किन्तु वास्तव में निर्माण कार्य नहीं हुआ है ?

4. क्या सरकार के पास इस तहसील में आगामी 2 वर्षों में कुछ नई सड़कों के निर्माण की कोई योजना है ? यदि हां, तो कौन कौन सी सड़कों के लिये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग में तहसीलवार सड़क माइलेज के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(2) सड़कों की मंजूरी जिलावार होती है न कि तहसीलवार अतः तुलनात्मक आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

(3) ऐसी कोई सड़क नहीं है।

(4) धनाभाव के कारण आगामी 2 वर्षों में नवीन सड़क निर्माण की योजना नहीं है।

मेन्टीनेन्स डिवीजन

557. श्री भरतलाल (बामनवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. राजस्थान में सिंचाई विभाग के कितने मेन्टीनेन्स के डिविजन है और सी. सी. ए. क्या है तथा सिंचाई योग्य एरिया क्या है ?

(श्री भरतलाल)

2. गत 10 वर्षों में प्रत्येक मेन्टीनेन्स डिविजन को कितनी कितनी धनराशि मेन्टीनेन्स में दी गई है और उसमें से कितना प्रतिशत वर्कचार्ज पर खर्च हुआ तथा कितना मेन्टीनेन्स पर ?

3. क्या मेन्टीनेन्स ग्रान्ट जो डिविजन्स को दी जाती है उसका कोई फार्मूला है ? अगर हां तो क्या ?

उत्तर

(1) सूची 'अ' संलग्न है।

(2) सूची 'ब' संलग्न है।

(3) डिविजनों को मेन्टीनेन्स की राशि देने का कोई निश्चित फार्मूला नहीं है। धन की उपलब्धि को मद्देनजर रखते हुए व बांधों व नहरों की हालत को ध्यान में रख कर उपलब्ध धनराशि को विभिन्न डिविजनों में वितरण किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रींगस-दांतारामगढ़ सड़क

565. **श्री नारायणसिंह** (दांतारामगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या रींगस से दांतारामगढ़ (जिला सीकर) के सड़क निर्माण का कार्य प्लान में सम्मिलित है ? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

2. क्या यह सही है कि पलसाना से खाटू व गोरिया से जीणमाता (जिला सीकर) तक का अकाल सहायता से सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ था जिस पर कच्ची मिट्टी का गोला पूरा तैयार कर दिया गया था और गोले के आसपास पत्थर भी डाल दिये गये थे ? यदि हां, तो इसके पश्चात् कोई प्रगति नहीं हुई और क्या इन सड़कों की पूर्ति की दिशा में अब कोई कदम उठाया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। सहायता कार्य बन्द होने के कारण प्रगति नहीं हो सकी इस वर्ष (72-73 में) जिला ग्रामीण नियोजन कार्यक्रमों के अन्तर्गत इसका कार्य भी लिये जाने की आशा है।

भारत सरकार से प्राप्त प्रस्ताव

567. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. भारत सरकार से गत वर्ष नियोजन सेवा को समृद्ध एवं प्रभावी बनाने हेतु कौन कौन से प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुये तथा इन प्रस्तावों पर मुख्य सचिवों एवं श्रम मंत्रियों की बैठकों में क्या विचार हुए व राजस्थान की ओर से उन पर क्या अभिमत व्यक्त किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. क्या यह सत्य है कि भारत में दूसरे राज्यों ने भारत सरकार के श्रम तथा नियोजन महानिदेशालय द्वारा प्रस्तावित नवीन योजनाओं के लिए स्वीकृतियां भी

Page No 36

(श्री नाथूराम)

थी ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा भी कोई योजना क्रियान्वित की गई ? यदि हां, तो कौन सी योजना और नहीं, तो क्यों ?

3. क्या यह सत्य नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे क्रेश प्रोग्राम आदि के सहयोग व सही प्रेक्षण के निमित्त पंचायत समिति स्तर पर नियोजन सहायता केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष भेजे गये ? यदि हां, तो उन पर कब से अमल किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

4. आदिवासी क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी के निवारण हेतु राज्य सरकार के समक्ष क्या कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या है ? यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या कोई विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। मुख्य सचिवों की बैठक में राजस्थान की ओर से अभिमत व्यक्त किया गया कि इन योजनाओं के लिये राज्य की चतुर्थ योजना में कोई भी उल्लेख नहीं था। यदि इनमें से कोई भी उपयोगी मानी जाय तो उनको क्रियाशील करने हेतु केन्द्र द्वारा ही धन दिया जाना चाहिये।

(2) कुछ राज्यों ने इनमें से कुछ योजनाओं को क्रियान्वित करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

राज्य सरकार ने अभी इनमें से कोई योजना क्रियान्वित नहीं की है। राज्य सरकार के योजना बजट में उपलब्ध धन की कमी के कारण इन योजनाओं पर चतुर्थ योजना काल में कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

(3) जी हां। विभागीय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित बजट राशि में बढ़ोत्तरी सम्भव नहीं होने से इन केन्द्रों की स्थापना नहीं की जा सकी।

(4) सरकार इस सम्बन्ध में जागरूक है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

मांवड़—मेवाड़ा सड़क

568. श्री मालाराम (नीम का थाना) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या मांवड़ा से मेवाड़ा सड़क का सर्वे होकर सड़क बनाने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो इस सड़क का कार्य कब से शुरू किया जावेगा ?

उत्तर

जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

करौली सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन मामले

569. श्री बृजेन्द्रनाथ (करौली)। क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

करौली सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस वर्ष माह मार्च के अन्त तक कितने केसेज पैंडिंग थे ?

उत्तर

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोर्ट करोली में दिनांक 31-3-1972 को फौजदारी मुकद्दमें 264 व राजस्व के 224 मुकदमें पैंडिंग थे।

पंचायत समितियों के पुनर्गठन हेतु आयोग का गठन

573. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंचायत समितियों के पुनर्गठन हेतु एक आयोग का गठन किया गया था ? यदि हां, तो आयोग के कौन कौन सदस्य थे ?

2. उपरोक्त आयोग को किन किन मुद्दों पर जांच करनी थी ?

3. क्या आयोग से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, यदि नहीं, तो आयोग को कितने समय में रिपोर्ट देने के आदेश थे तथा अब रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। श्री श्याम लाल आइ. ए. एस. (सेवा निवृत) की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था।

(2) पंचायत समितियों के क्षेत्राधिकार हटा कर या बढ़ा कर अथवा तहसीलों के क्षेत्राधिकार को घटा कर या बढ़ाकर अथवा दोनों युक्तियां अपना कर प्रशासनिक समन्वय एवं कुशलता लाने हेतु पंचायत समिति एवं तहसील की सीमाओं को समसीमान्तर करने के मुद्दे पर विचार करना था।

(3) जी, नहीं। आयोग को 6 माह में रिपोर्ट देनी थी, उक्त आयोग विघटित कर दिया गया है। अतः रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

महुआ करौली सड़क

577. **श्री उम्मेदी लाल** (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि महुआ से करौली तक सड़क टूटी-फूटी अवस्था में है ? अगर हां, तो इसकी मरम्मत आदि कराने के लिए अब तक प्रयास क्यों नहीं किये गये जब कि वह सड़क खनिज उद्योग के कारण यातायात का मार्ग है। तथा खराब होने के कारण कई दुर्घटनायें भी हो चुकी हैं ? सरकार उक्त सड़क की अब कब तक मरम्मत करा देगी ?

उत्तर

गत वर्ष वर्षा में महुआ, हिन्डौन व करौली सड़क खराब हो गई है सड़क सुधार के लिये कुल पांच लाख रुपये की स्वीकृति दे दी गई है दुर्घटनाओं के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है। पूर्णतया मरम्मत वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

पावटा-डाबला सड़क

582. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. पावटा से डाबला सड़क के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? इस सड़क को कब तक पूरा किया जावेगा ?

2. क्या यह भी सही है कि रोलर न मिलने की वजह से इस सड़क का काम बन्द है।

उत्तर

(1) पावटा में डाबला वाया कल्याणपुरा तथा कोटपूतली डाबला रोड़ स्वीकृत है। इस वर्ष इन सड़कों के लिये 10,000 का प्रावधान किया गया है। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकेगा।

(2) जी नहीं, अर्थभाव के कारण कार्य बन्द है।

मकराना अस्पताल

584. श्रीमती गौरी पूनिया (मकराना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

मकराना खास में किस श्रेणी का अस्पताल है और मकराना की आबादी इस समय कितनी है तथा वहां पर कितने डॉक्टर नियुक्त हैं ?

उत्तर

मकराना में एक राजकीय चतुर्थ श्रेणी चिकित्सालय है एवं मकराना की आबादी 23242 है। इस चिकित्सालय में एक डॉक्टर नियुक्त है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10-5-72)

बांध की मरम्मत ग्राम पंचायत बमेड़ा (हिन्डौन) के

430. श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।--

1. क्या ग्राम पंचायत बमेड़ा तहसील हिन्डौन में एक पुराना पक्का बांध था जो अब टूटा पड़ा हुआ है ?

2. क्या यह सच है कि इस बांध के टूट जाने के बाद आस पास के करीब दस ग्राम के कुओं का पानी बहुत नीचे (लगभग 40 हाथ पानी नीचे) चला गया है ?

3. क्या यह सच है कि पानी का स्तर नीचे जाने के कारण कृषि उत्पादन कम हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बांध की मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गंगनहर क्षेत्र के मोघे

208. श्री गुरदयालसिंह सिंधु (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगनहर क्षेत्र में आउट लेट्स (मोघे) एक नमूने के क्यों नहीं लगाये जा रहे हैं ?

(श्री गुरदयाल सिंह सिधु)

2. क्या यह सच है कि ऐसे आउट लेट्स की मशीनें जिनमें ऊंचाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है, जब नहर के पानी में कमी आती है तो दूसरी मशीनों की बजाय जिनमें चौड़ाई ज्यादा है और ऊंचाई कम है तो पानी कम हो जाता है ?

क्या सरकार गंग नहर क्षेत्र में एक तरह के मोघे लगाएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) क्योंकि भिन्न भिन्न चकों के लेवलों की स्थिति व चकों का क्षेत्रफल एक समान नहीं होता और भिन्न भिन्न मोघों पर नहरों के नाप व लेवल भिन्न भिन्न होते हैं इस कारण सब चकों के मोघे एक ही नमूने के नहीं हो सकते।

(2) जी नहीं।

जी नहीं।

गंगानगर जिले के बागों को पानी

209. श्री गुरदयालसिंह सिन्धु (करणपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. पिछले दस वर्षों में गंगानगर जिले में कितने ऐसे बाग थे जिनको सिंचाई के लिए अधिक पानी मिल रहा था, मनसूख किये गये ?

2. क्या यह सच है कि 40 आर.बी. में सर्वश्री हरीन्द्रपालसिंह, आज्ञापालसिंह, रामचन्द 23 बी. बी. चन्दसिंह मोहनपुरा हरदीपसिंह वगैहरा चक 14 एफ. एफ. ए. का बाग कैन्सिल किया गया था तथा जांच में पाया गया कि मौके पर पौधे बहुत अच्छी हालत में है और बाग मनसूख होने योग्य नहीं है ?

3. क्या यह सच है कि इन बागों के मनसूख किये जाने के उपरान्त बहुत से लोगों के नये बाग मंजूर किये गये मगर आज तक पानी नहीं दिया गया ?

4. क्या यह सच है कि काफी व्यक्तियों के बाग बिना किसी कारण के कैंसिल किये जा रहे हैं ? क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची 'अ' संलग्न है।

(2) जी हां, केवल श्री हरदीपसिंह 14 एफ. एफ. ए. के अतिरिक्त अन्य बाग के मालिकों को अतिरिक्त पानी काटा गया था, हरदीपसिंह के नाम में कोई भी बाग का पानी स्वीकृत नहीं किया गया है। बागों का पानी नियमानुसार जांच करने के बाद ही काटा गया था। जांच में पाया कि बागों की हालत सन्तोषजनक नहीं थी।

(3) जी नहीं, इन बागों को मनसूख किए जाने के बाद जिन लोगों के नये बाग मन्जूर किये गये हैं उन्हें नियमानुसार पूरा पानी मिल रहा है।

(4) जी नहीं, जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 40

सिरोही जिले के बांध

210. **श्री छेठमल आर्य** (रेवदर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. सिरोही जिले की रेवदर तहसील में सेलवाड़ा (सुकली) बांध और धवली बांध का काम कब तक प्रारम्भ होगा ?

2. आबू रोड़ तहसील में बाजणा बांध का काम मंदगति से क्यों चल रहा है ? क्या राज्य सरकार का इस वर्ष कार्य पूर्ण करने का विचार नहीं है ?

उत्तर

(1) सुकली व धवली बांधों का सर्वेक्षण कार्य कर अब तखमीने बनाये जा रहे हैं। प्रशासनिक स्वीकृति होने एवं आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर इन्हें प्रारम्भ करवाया जा सकेगा।

(2) आबू रोड़ तहसील में बाजना नामक बांध का कोई भी कार्य नहीं चल रहा है। किन्तु बाजना गांव के पास गिरवर बांध पर कार्य चल रहा है। गत कई सालों से धनराशि नहीं मिलने के कारण कार्य पर कोई प्रगति नहीं हो सकी है। इस वर्ष इस कार्य पर एक लाख का प्रावधान रखा गया है। इस कार्य को इस वर्ष पूरा कराना सम्भव नहीं है।

गंग व भाखरा नहरों से पानी की चोरी

211. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. श्री गंगानगर जिले की भाखड़ा और गंगनहर परियोजना की नहरों की गत पांच वर्षों में नहरें तोड़ने और पाइप लगा कर पानी लेने की कितनी घटनायें हुईं ? कृपया वर्षवार बतायें ?

2. उपरोक्त कितने मामलों को पुलिस में दर्ज कराया गया ? नहरी पानी की चोरी में कितने अधिकारियों के विरुद्ध साझीदार होने की शिकायतें प्राप्त हुईं और उनमें से कितनों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में नहर तोड़ने, पाइप लगा कर पानी लगाने तथा पुलिस विभाग में दर्ज कराये गये मामलों की सूची संलग्न है।

अधिकारियों के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

गांव डबर तहसील घड़साना की भूमि का तबादला

212. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही कि गांव डबर तहसील घड़साना से बीस-पच्चीस मरब्बों का जो 55 से पूर्व के या खातेदारी के हैं तथा जिनके मालिक लखासिंह, हंसराज, हरिसिंह, तारासिंह, वगैरा हैं का तबादला चक एम. एल. डी. में किया जा रहा है या कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा किन नियमों के तहत किया जा रहा है ?

उत्तर

राज्य सरकार ने कोई आदेश प्रसारित नहीं किये हैं।

Page No 41

भू-राजस्व से आय एवं व्यय

213. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. भू-राजस्व से राज्य सरकार को वर्ष 1970-71 में कितनी आय हुई व व्यय कितना हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. उक्त व्यय में सामान्य प्रशासन की मद से कितनी राशि ली गई व राजस्व विभाग के मद से कितनी ?

3. राजस्व विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनको कुल कितना वेतन मिलता है ?

उत्तर -

(1) भू-राजस्व से राज्य सरकार को वर्ष 1970-71 में रु. 10,71,31,277 की आय हुई। और कुल व्यय रु. 6,19,29,720 का हुआ।

(सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।)

2. 19-सामान्य प्रशासन की मद से रु. 2,84,79,526 तथा 9- भू-राजस्व की मद से रु. 3,34,50,194 का व्यय हुआ।

(3) राजस्व मण्डल एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कुल 19,608 कर्मचारी हैं इन कर्मचारियों के वेतन व भत्ते एवं मानदेय के लिये वर्ष 1972-73 में रु. 7,93,36,400 का प्रावधान रखा गया है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

सिंचाई विभाग द्वारा पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन

214. श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. सन् 1971-72 व 1972-73 में पत्र-पत्रिका, स्मारिका आदि कार्यों के लिये कितना-कितना और कब-कब एवं किस-किस मूल्य का विज्ञापन किन-किन को दिया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

2. यह विज्ञापन किस-किस पत्र-पत्रिका एवं स्मारिका आदि में किस किस तारीखों पर प्रकाशित हुए हैं ?

3. इन विज्ञापनों के लिए कब और कितना-कितना किस-किस को भुगतान किया गया है ? और कितना कितना शेष है ?

4. उपरोक्त विज्ञापनों के सम्बन्ध में उक्त पत्र-पत्रिका व स्मारिका के व्यवस्थापकों व अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा किस-किस को व कब-कब आवेदन-पत्र दिये गए थे और उन पर किस अधिकारी और मंत्री द्वारा कितने-कितने रुपयों का विज्ञापन देने का निर्देश एवं आदेश दिया गया ?

5. क्या यह सही है कि विज्ञापन का भुगतान करने से पूर्व न तो कोई पत्र-पत्रिका एवं स्मारिकाओं का प्रकाशन ही हुआ और ना ही ऐसे विज्ञापन सहित, प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं एवं स्मारिकाओं की प्रतियां विभागों के पास पहुंचीं ? यदि

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

हां, तो इस प्रकार का भुगतान किन-किन को और कब-कब किया और किन अधिकारों के अन्तर्गत ?

(स्थगित किया गया)

जालौर जिले में शक्कर के खुदरा व्यापारी

215. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. जालौर जिले की किस किस तहसील में कौन कौन शक्कर के खुदरा व्यापारी किस आधार से नियुक्त किये गये हैं ?

2. क्या यह भी सही है जिन जिन शक्कर के व्यापारियों के विरुद्ध पहले शिकायतें पेंडिंग थीं उनको भी नियुक्त किया गया है ? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

3. क्या यह भी सही है कि सांचोर तहसील के साकड़, पुर, चीतलवाना, रणोदर, सेवाड़ के व्यापारियों के विरुद्ध पहले से ही शिकायतें थीं तो भी उन्हे डीलर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जालौर जिले में शक्कर के खुदरा व्यापारियों की नियुक्ति सम्बन्धित तहसीलदार, परगना अधिकारी एवं विधायक की सिफारिश के अनुसार की गई है। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

भारत पाक युद्ध के दौरान आए हुए विस्थापित

216. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. सन् 1971 के भारत-पाक युद्ध के कारण भारत द्वारा अधिकृत सिंध (पाकिस्तान) क्षेत्र से कितने विस्थापित अब तक बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में आये और वे किन-किन गांवों में कितनी-कितनी संख्या में बसे हुये हैं ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. उक्त विस्थापितों के लिए कितने शिविर किन-किन स्थानों पर कब कब से स्थापित किये गये हैं उनमें विस्थापितों की संख्या कितनी है ? प्रत्येक शिविर की शिविरवार संख्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

3. उक्त विस्थापितों के लिये शिविरों में राज्य सरकार ने अब तक क्या प्रबन्ध किया है और उनके लिये कितनी राशि किस मद में व्यय की है ?

4. उक्त विस्थापितों को क्या राज्य सरकार काश्त करने के लिये जमीन एलाट करेगी ?

Page No 43

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

5. क्या राज्य सरकार का यह निर्णय है कि राजस्थान के सीमावर्ती बीस मील के अन्दर अन्दर के क्षेत्र में कोई विस्थापित शिविर स्थापित नहीं किये जायें ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय को आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए परिवर्तन करना आवश्यक है ?

6. क्या राज्य सरकार ने भारत द्वारा अधिकृत सिंध क्षेत्र में भी शिविर स्थापित किये है ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उन शिविरों में राज्य सरकार द्वारा अभी तक क्या प्रबन्ध किया गया और कितना स्टाफ कब लगाया गया है और उन पर कितनी राशि व्यय की है ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 20 मील तक शिविर नहीं खोलने का पूर्व में लिया गया निर्णय विचाराधीन है।

(4) जी हां।

(5) सूची सदन (तालिका, "ग") की मेज पर रखदी गई है।

(6) इन शिविरों में किये गये प्रबन्ध स्टाफ व राशि से सम्बन्धित विस्तृत सूचना सदन (तालिका "घ") की मेज पर रखदी गई है।

सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई।

अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों द्वारा रोजगार के लिए पंजीकृत नाम

217. श्री चेतराम (टोडाभीम): क्या श्रम एवं नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. जिला सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर के नियोजन विभाग में पिछले पांच वर्षों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति के कितने व्यक्तियों ने अपने नाम रोज़गार के लिए पंजीकृत कराये थे ? उनमें से कितने आदमियों के नाम साक्षात्कार के लिए भेजे गये है और कितनों को रोजगार मिला है ? वर्ष वार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. क्या यह सही है कि रोजगार पंजीकृत कार्यालयों एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के नाम सही अनुपात एवं मांग के अनुसार नहीं भेजे जाते हैं ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

समाज कल्याण विभाग द्वारा पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन

218. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. सन् 1971-72 व 1972-73 में पत्र-पत्रिका, स्मारिका आदि कार्यों के लिए

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

कितना-कितना और कब-कब एवं किस-किस मूल्य का विज्ञापन किन-किन को दिया गया? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

2. यह विज्ञापन किस-किस पत्र-पत्रिका एवं स्मारिका आदि में किस-किस तारीखों पर प्रकाशित हुए हैं ?

3. इन विज्ञापनों के लिए कब और कितना-कितना किस-किस को भुगतान किया गया है और कितना-कितना शेष है ?

4. उपरोक्त विज्ञापनों के सम्बन्ध में उक्त पत्र-पत्रिका व स्मारिका के व्यवस्थापकों व अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा किस किस को व कब कब आवेदन-पत्र दिए गये थे और उन पर किस अधिकारी और मन्त्री द्वारा कितने-कितने रुपयों का विज्ञापन देने का निर्देश एवं आदेश दिया गया ?

5. क्या यह सही है कि विज्ञापन का भुगतान करने से पूर्व न तो कोई पत्र-पत्रिका एवं स्मारिकाओं का प्रकाशन ही हुआ और ना ही ऐसे विज्ञापन सहित, प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं एवं स्मारिकाओं की प्रतियां विभागों के पास पहुंची ? यदि हां, तो इस प्रकार भुगतान किन-किन को और कब-कब किया और किन अधिकारों के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1971-72 व 1972-73 में पत्र-पत्रिका, स्मारिका आदि कार्यों के लिए किसी को कोई विज्ञापन नहीं दिया गया। राज्य सरकार के आदेशानुसार समस्त विभागों के विज्ञापन निदेशक सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा ही प्रसारित किये जाते हैं। यह विभाग, समाज कल्याण सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन देने के लिए निदेशक सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय को सिफारिश कर सकता है और उन्हें विभागीय विषयों पर विज्ञापन का मसविदा बनाकर भेजता है। किस-किस पत्रिका व स्मारिका को कितने मूल्य का कितना विज्ञापन दिया जावे आदि कार्य राज्य सरकार के आदेशानुसार निदेशक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय ही करते हैं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फलोदी तहसील

219. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत फलोदी तहसील के कौन कौन से गांव का कब कब विद्युतीकरण कर दिया जावेगा तथा कितनों का विद्युतीकरण हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. विद्युतीकरण के प्रयोजनार्थ उपरोक्त तहसील के कौन कौन से गांवों का विद्युत विभाग द्वारा कब कब सर्वे किया गया या योजना बनाई गई ? उक्त सर्वे तथा योजना के अन्तर्गत अब तक क्या क्या कार्य

(श्री मोहन लाल छंगाणी)

कब कब किया गया ? कार्य की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

1. फलौदी तहसील के किन किन गांवों का विद्युतीकरण कब कब कर दिया जावेगा इसके बारे में अभी निश्चितरूप ने कुछ नहीं कहा जा सकता। इस तहसील के केवल फलौदी का ही विद्युतीकरण अब तक हुआ है।

2. सन् 1971-72 में ग्राम कीचन का सर्वे किया जाकर योजना बनाई गई है, जो विचाराधीन है।

नागौर का राजकीय आयुर्वेद औषधालय

220. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नागौर में राजकीय आयुर्वेद औषधालय कब से चालू है तथा उसका भवन कैसा है ? एवं किसका है तथा औषधालय के चालू होने से लेकर आज तक रोगियों की संख्या माहवार कितनी कितनी रही है ?

उत्तर

दिनांक 6-3-52 से भवन में सिर्फ एक कमरा तथा एक गैलेरीनुमा छोटा कमरा है। भवन श्री रामदेव पितीजी का है। औषधालय की गत तीन वर्षों की वार्षिक रोगी संख्या निम्न है:—

वर्ष	नूतन रोगी	पुरातन रोगी	योग
1968-69	14253	20506	=34759
1969-70	12608	12933	=25541
1970-71	13811	19829	=33640

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन

221. श्री निरन्जन नाथ आचार्य (मावली) : क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. सन् 1971-72 व 1972-73 में पत्र-पत्रिका, स्मारिका आदि कार्यों के लिए कितना कितना और कब कब एवं किस किस मूल्य का विज्ञापन किन किन को दिया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

2. यह विज्ञापन किस किस पत्र-पत्रिका एवं स्मारिका आदि में किस किस तारीखों पर प्रकाशित हुए ?

3. इन विज्ञापनों के लिए कब और कितना कितना किस किस को भुगतान किया गया है और कितना कितना शेष है ?

4. उपरोक्त विज्ञापनों के सम्बन्ध में उक्त पत्र-पत्रिका व स्मारिका के व्यवस्थापकों व अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा किस किस को व कब कब आवेदन-पत्र दिए गए थे और उन पर किस अधिकारी और मंत्री द्वारा कितने कितने रुपयों का विज्ञापन देने का निर्देश एवं आदेश दिया।

5. क्या यह सही है कि विज्ञापन का भुगतान करने से पूर्व न तो कोई पत्र-पत्रिका एवं स्मारिकाओं का प्रकाशन ही हुआ और

Page No 46

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

ना हां। ऐसे विज्ञापन सहित प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं एवं स्मारिकाओं की प्रतियां विभागों के पास पहुंची ? यदि हां, तो इस प्रकार का भुगतान किन किन को और कब कब किया और किन अधिकारों के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) यद्यपि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा विज्ञापन पत्र/पत्रिका स्मारिका में प्रकाशित हो जाने के बाद ही विज्ञापन बिल का भुगतान किया जाता है तथापि एक बार विशेष परिस्थिति में विज्ञापन के प्रकाशित होने के पूर्व भी भुगतान किया गया था। यह भुगतान राजस्थान सचिवालय के कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़ियाजी के विदाई समारोह के उपलक्ष में प्रकाशित स्मारिका के लिए प्रधान प्रबंधक महोदय के प्रशासनिक अधिकारों के अन्तर्गत किया गया। इस स्मारिका का प्रकाशन हुआ था। निगम द्वारा कभी किसी ऐसे विज्ञापन के लिए भुगतान नहीं किया गया जिसका कि प्रकाशन न हुआ हो।

सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

मण्डावरी कस्बे की रेगर हरिजन बस्ती में विद्युत लाइन

222. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सच है कि जिला जयपुर के अन्तर्गत लालसोट तहसील के मन्डावरी कस्बे में प्रायः सभी मुहल्ले व गलियों में विद्युत लाइन है, किन्तु सड़क पर स्थित रेगर हरिजन बस्ती में विद्युत लाइन नहीं बिछाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा अब कब तक व्यवस्था कर दी जावेगी ?

उत्तर

जी हां। मन्डावरी की रेगर हरिजन बस्ती की विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग/ग्राम पंचायत/पंचायत समिति से प्राप्त नहीं होने के कारण इसका विद्युतीकरण अब तक नहीं किया जा सका था। वित्त मंत्रीजी की घोषणा के अनुसार शीघ्र ही इस पर कार्यवाही की जायगी।

ग्रामीण विद्युत योजना के अन्तर्गत कोलायत निर्वाचन क्षेत्र का सर्वे

223. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. कोलायत निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विद्युत योजना के अन्तर्गत सर्वे कार्य कब प्रारंभ किया गया और इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

2. क्या यह सही है कि बीकानेर सदर तहसील के नापासर से केसरदेसर अथवा गाढ़वाला से केसरदेसर तक का सर्वे पूर्ण हो चुका है ?

3. यदि हां, तो सरकार इस योजना पर कब तक कार्य प्रारंभ कर देगी ?

उत्तर

(1) सन् 1965 से पूर्व ही तहसील बीकानेर और कोलायत में अब तक 35 गांवों/कस्बों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक 22 गांवों का सर्वे सन् 1969-70 व 71-72 में किया गया है।

(2) जी हां।

(3) योजना लाभप्रद नहीं है। अतः कार्य प्रारम्भ करने का निश्चय नहीं किया गया है।

शिक्षा एवं प्रसार अधिकारी का रिक्त पद

224. **श्री निरंजन नाथ आचार्य** (मावली): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. राज्य परिवार नियोजन विभाग जन शिक्षा एवं प्रसार अधिकारी के पद को पिछले 4 महीने से रिक्त क्यों रखा गया है ?

2. 1971-72 के वर्ष में वाल पेन्टिंग का प्रोजेक्ट किन कारणों से नहीं रखा गया ?

उत्तर

(1) जन शिक्षा एवम् प्रसार अधिकारी का कार्य प्रदर्शनी अधिकारी को अपने पद के कार्य के अतिरिक्त दिया हुआ है। राज्य-स्तरीय परिवार नियोजन कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की सिफारिश के अनुसार इस पद को संयुक्त निदेशक के पद में परिवर्तित करने का प्रस्ताव विचाराधीन होने के कारण इसे अभी भरा नहीं गया।

(2) गत वर्षों में जिन व्यक्तियों को वाल पेंटिंग का कार्य दिया गया था उन्होंने यह दावा दायर किया कि उनका अनुबन्ध भविष्य में भी लागू रहेगा। इस प्रश्न पर अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस कार्य के लिये वर्ष 1971-72 में कोई प्रावधान रखना उचित नहीं समझा गया।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आपरेशन

225. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि परिवार नियोजन कार्य-क्रम के अन्तर्गत जिन लोगों के ऑपरेशन हुए हैं उनमें मुसलमानों की संख्या केवल 1.43 प्रतिशत है ? यदि नहीं, तो कितना प्रतिशत है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। 4.9 प्रतिशत वर्ष 1969-970 में व 3.9 प्रतिशत वर्ष 1970-71 में।

विद्युतीकरण योजना

226. **श्री जेठमल आर्य** (रेवदर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. विद्युतीकरण की क्या योजना है ?

(श्री जेटमल आर्य)

2. क्या सिरोही जिले में एक वर्ष में पूर्ण विद्युतीकरण हो जायगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1972-73 की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अभी तैयार नहीं हुई है।

(2) यह सम्भव नहीं है किसी अमुक जिले का विद्युतीकरण एक ही वर्ष में हो जावे। विद्युत मण्डल को सीमित साधनों के समूचे राजस्थान का शनैः शनैः विद्युतीकरण करना है।

पूंगल क्षेत्र में मोबाइल युनिट

227. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या चिकित्सा व स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पूगल क्षेत्र जिला बीकानेर के लिये मोबाइल युनिट है ? अगर हां, तो पिछले एक वर्ष में इस युनिट ने उक्त क्षेत्र में क्या कार्य किया है ?

उत्तर

जी हां। गत वर्ष में इस युनिट द्वारा किए गए कार्य की सूची एतद् संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 8-4-72)

वृद्धावस्था पेन्शन के प्रार्थना-पत्र

20. श्री गुरदयालसिंह सिंधु (करणपुर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

वृद्धावस्था पेंशन के कितने प्रार्थना-पत्र कब से सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

विभिन्न जिलाधीशों से प्राप्त सूचना के अनुसार पूरे राजस्थान में जिलाधीशों के कार्यालयों में वर्ष 1972 में तीन माह की अवधि के 542 वृद्धावस्था पेन्शन के प्रार्थना-पत्र, सन् 1971-72 में तीन माह से छः माह की अवधि के 292 प्रार्थना-पत्र, वर्ष 1971-72 में छः माह से एक वर्ष तक की अवधि के 219 प्रार्थना-पत्र तथा एक वर्ष से अधिक की अवधि के 309 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सदस्य विधान सभा ने राजस्थान विश्व विद्यालय के कतिपय प्राध्यापकों द्वारा सी. आइ. ए. के मार्फत राजस्थान की सीमाओं के सम्बन्ध में सिंचाई प्रोजेक्ट के अध्ययन के नाम पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

2. श्री केसरीमल और श्री रामानन्द अग्रवाल सदस्य विधान सभा ने राजस्थान विश्व विद्यालय में सी. आइ. ए. से सम्बन्धित खतरनाक गतिविधियों के बारे में एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री रामचरण, सदस्य विधान सभा ने पंचायत समिति अटरू के अध्यापकों को विकास अधिकारी द्वारा कई महीनों से उनके बकाया के बिलों तथा चिकित्सा बिलों के भुगतान न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

4. श्री गुमानमल लोढा और श्री मनोहरलाल सदस्य विधान सभा ने 1972-73 के बजट भाषण में उल्लेखित किये गये आश्वासन के बावजूद केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली विशेष सहायता की राशि केन्द्रीय योजनाओं की सहायता तथा ऋणों की राशि में समायोजित कर लिये जाने के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

5. श्री केशरीमल, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री भानु कुमार शास्त्री और श्री गुमानमल लोढ़ा सदस्य, विधान सभा ने मुख्य मन्त्रीजी के निवास स्थान पर दिनांक 16 मई,72 को बेरोजगारी अभियन्ताओं के साथ पुलिस द्वारा किये गये दुर्व्यवहार और लाठी चार्ज के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

6. श्री केसरीमल, सदस्य विधान सभा ने सवाई मानसिंह अस्पताल में एमरजेन्सी वार्ड में ऑक्सीजन सलेन्डर न होने के कारण दिनांक 16 मई, 1972 को एक बच्चे की मृत्यु के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

7. श्री भीमसेन, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि लूनकरणसर तहसील के कुछ गांवों को तो अभ्यास के लिए खाली करवाने की अफवाह से जनता में बेचैनी व्याप्त हो गई है। यह प्रस्ताव पूर्वाभाष पर आधारित होने के कारण स्वीकृति योग्य नहीं है। अतः मैं इसको स्वीकृत करने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: एक-एक माननीय सदस्य।

श्री गुमानमल लोढ़ा: अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कल बेरोजगार इन्जीनियरों का एक डेपुटेशन, एक प्रदर्शन लगभग 60 इंजीनियरों का मुख्य मंत्री महोदय के निवास स्थान पर गया था। उनके डेपुटेशन को मुख्य मंत्री महोदय से मिलने के लिये उनके निजी सचिव ने बुला लिया और दस इंजीनियर अन्दर गये। उनको वहां पर जो मिलने का कमरा है वहां पर बिठा लिया गया लेकिन एक घण्टे इन्तजार करने के बाद मुख्य मंत्री जी उनसे नहीं मिले और वे दूसरे दरवाजे से चले गये। जब विद्यार्थियों को यह पता चला कि वे उनसे नहीं मिल रहे हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हम को दूसरा टाइम देना चाहिये। इस पर पुलिस ने उन लोगों को गले से पकड़ कर उन्हे मार कर बाहर निकाल दिया और बाहर आकर जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हो, तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मेरा निवेदन यह है कि जानकारी प्राप्त करने के लिए आपने कहा है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी आज सदन में आयेंगे तो उनके आने पर आज ही स्टेटमेंट हो जाय। इतनी जबर्दस्त बेकारी है और उनका कहना है कि हम पूल में है और 200) रु० उनको स्टिपैण्ड का दिया जा रहा है। नई भरती हो रही है तो उसमें उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह उनकी बड़ी न्यायोचित मांग है तो उस पर गवर्नमेंट को विचार करने की जरूरत है। एक तरफ तो भयंकर बेरोजगारी है और रोजगार नहीं होने के कारण डॉक्टर लोग सुसाइड करते हैं। इस प्रकार की भयंकर स्थिति है तो इसकी जानकारी माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिले नहीं और उनके स्थान पर इस तरह का दुर्व्यवहार हो, लाठी चार्ज हो तो यह कदाचित उचित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसका जवाब आज ही शाम को दिलाया जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न कल बेरोजगारी का ही आपके सम्मुख आया है, एक डॉक्टर की हत्या के संदर्भ में आया है। उसके बारे में कोई विचार भेद हो सकता है, परन्तु निश्चित-रूप से जिस समय सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रहे थे, बेरोजगारी समाप्त करने की। आपने यह कहा है कि मैंने अपने निवास-स्थान पर डाइरेक्टर को बैठा रखा है जो कि ग्रीवान्सेज को सुनेगा और ग्रीवान्सेज को सुनकर उसके बारे में निर्णय करेगा। ठीक उसके बाद में मुख्य मंत्रीजी, जो हमारे बेरोजगारी से पीड़ित नवयुवक इंजीनियर्स जो उनसे वहां पर मिलने गये तो माननीय मुख्य मंत्रीजी उनसे नहीं मिले बल्कि मिली इस सरकार की भेजी गई लाठियां। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम सदन के अन्दर आये हैं और इस महान प्रश्न को, बेरोजगारी के प्रश्न को, सदन की आज की कार्यवाही को स्थगित करके विचार नहीं करेंगे तो वह वास्तव में हमारी कर्तव्य-हीनता होगी। इसलिये माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस बारे में आज ही स्टेटमेंट लिया जाय। केवल यहां पर यह कह देने से कि बेरोजगारी समाप्त कर दी, लेकिन परिवार नियोजन के अन्दर रिट्रेन्चमेंट करने पर एक व्यक्ति ने आत्महत्या की और बन्सीलाल नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या की और आत्म-हत्याओं की संख्या बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक और हम केवल घोषणा करके रह जाते हैं। माननीय अध्यक्ष, जो दुर्व्यहार, बेरोजगार इन्जीनियर्स के साथ में किया गया वहां पर वह जले पर नमक छिड़कने की बात है। उनकी बातें यहां पर सुने नहीं और घर पर सुनें नहीं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसके बारे में पूर्णतया विचार किया जाय। आज पुलिस के द्वारा मनोहर लाल सदस्य के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है सदन के बाहर, बेरोजगार इन्जी-नियर्स के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है पुलिस के द्वारा और पुलिस ने एक हरिजन स्त्री को पीट-पीट कर मार दिया। तो यह पुलिस राज चल रहा है, हिटलर-शाही राज चल रहा है, नादिरशाही राज चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष, इस पर आज ही विचार किया जाय।

Page No 51

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक स्थिति इस प्रश्न पर जाननी है। चूंकि यह प्रश्न माननीय मुख्य मन्त्रीजी से संबंधित है और यह प्रश्न थोड़ा सेन्सिटिव होता जा रहा है। उनके खयाल से इस प्रकार यह कितना स्पष्टीकरण का प्रश्न है मुख्य मंत्री केवल इस पर संकेत दे दें और क्या इस पर स्पष्टीकरण का प्रश्न हैं मुख्य मंत्री को संकेत कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : बात करके।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह पीछे के दरवाजे से गये या आगे के दरवाजे से गये यह एक विवाद-ग्रस्त प्रश्न है

श्री गुमानमल लोढ़ा : ही हैज गोन बाई बैकडोर।

श्री अध्यक्ष : आप कह चुके हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एस. एम. एस. हॉस्पिटल में एक बच्चा बीमार था। मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि एस. एम. एस. हॉस्पिटल में एक साहू नाम का बच्चा बीमार था वह आक्सीजन के बगैर मर गया। आज हॉस्पिटल में यह हालत हो रही है कि आक्सीजन का सिलेण्डर नहीं मिलता है और लोग उसकी वजह से मर जाते हैं। इमर्जेन्सी वार्ड है तो वहां पर एक्सीजेन्सीज की कोई व्यवस्था नहीं है। मन्त्री महोदय को इस बारे में पहले से ही मालूम होगा और इसमें जानकारी करने की बात नहीं है। इसलिये मंत्री महोदय से कहा जाय कि इसके संबंध में टेलीफोन से जानकारी करके आज ही उनसे बयान दिलवाया जाय। आज एक बच्चे की जान गई और कल और बच्चों की जान जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : मि० सुरेन्द्र व्यास।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, घन्टों तक वह सिलेण्डर तलाश होते रहे। पहले तो सिलेण्डर्स नहीं ऑक्सीजन के और और जब मिले तो उनके अन्दर ऑक्सीजन नहीं। राजधानी का हॉस्पिटल है, और सबसे बड़ा राजस्थान का हॉस्पिटल है और इस स्थिति में वहां पर गैस के सिलेण्डर एवेलेबल नहीं हो तो जनता के जीवन से इससे अधिक खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह अस्पताल नहीं बूचड़खाना है। इस हॉस्पिटल के लोन में बच्चे पैदा हो जाते हैं, पट्टियां तक नहीं मिलती हैं, मिन्ट नहीं मिलते हैं। 10-10, 20-20 मरीज पड़े रहते हैं बाहर। अध्यक्ष महोदय, टेलिफोन से ही मंत्री महोदय, इस सारी स्थिति का पता लगायें। छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं नौनिहाल बच्चे मर जाते हैं एक साधारण सा ऑक्सीजन सिलेण्डर नहीं मिलने के कारण इस प्रश्न को गम्भीरता से लिया जाय और इस सारे प्रश्न पर स्टेटमेंट हो सदन में।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है मेरे स्थगन प्रस्ताव पर कि उसको जानकारी के लिए भेज दिया गया है, वह तो शिरोधार्य है।

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मसला है। अमेरिका से रिसर्च स्टूडेन्ट्स आये हुए हैं उनको बाउन्ड्री पर जाने का मौका दिया गया और वह जो कुछ इन्फर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं वह प्रोफेसर ईकबाल नारायण और प्रोफेसर एस. एन. शर्मा जो कि कानपुर की इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, कानपुर के हैं, उन्होंने जो कुछ इन्फर्मेशन कलैक्ट की है वह अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए कलैक्ट कर रखी है वह बोर्डर एरिया को क्रास कर जायगी और मैं नहीं समझता हूं कि उसके बाद में मिल सकती है।

वह रिसर्च है Research Proposal submitted to the National Science Foundation by the Center for Comparative Studies in Technological Development and social change, The University of Minnesota Minneapolis, Minnesota-Modelling Regional Development: A celibrated systems analysis of Irrigation Projects in India.

अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर दो महत्वपूर्ण तथ्य मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं और जिससे साबित हो जाता है कि किस प्रकार की रिसर्च ये कर रहे हैं—

Richard N. Blue-In 1967-(Summer) U.S. Department of State Faculty Fellow, Pakistan Desk,

Intern, Research position on Pakistan Desk.

जो इसके अन्दर काम कर रहे हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट पर उनका नाम है रिचर्ड एन्ड्रू जो अमेरिका के अन्दर 1967 में "Basic Democrats and PL 480 Ayub Khan's Political Strategy" a paper prepared for the US Department of State 1967.

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मसला है कि पाकिस्तान के विषय पर अमेरिका के अन्दर जिन्होंने पेपर्स तैयार किये हैं और अमेरिका के डिफेन्स डिपार्टमेंट में जो पाकिस्तान के सेक्शन के इन्चार्ज हैं उनके नेतृत्व में यह रिसर्च चल रही है। दूसरे है डाइरेक्टर ड्यूरिब Darrell A. Frohrib.

श्री अध्यक्ष : बहुत सूक्ष्मरूप से कह दें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : यह है अध्यक्ष महोदय, His responsibilities were in design optimization of defence systems and electro-magnetic devices in shock and vibration environments and in the development and application of shock and vibration instrumentation:

यह डिफेन्स के आदमी हैं। इन दोनों के तत्वावधान में इकबाल नारायण और श्री के. एन. शर्मा जो कानपुर के हैं रिसर्च कर रहे हैं इस प्रकार से इनसे जानकारी मंगा कर सारी इनफर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले तो···

श्री अध्यक्ष : निर्णय की बात कहें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : कल मिलेगा क्या आज मैं यहां पर भाषण दे रहा हूं वह अखबार में छपेगा और कल ही कागजात गायब हो जायेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह सुरक्षा का प्रश्न है कम से कम इसके बारे में...

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसके बजट के अन्दर

Expenditure supplies e.g., postage including freight costs of shipping research materials from India to U.S. paper printing expenses—

1,041,00 dollars.

कौन सी इनफर्मेशन इन्होंने अमेरिका के अन्दर भेजी है वह भी मैं सदन के सामने कह देना चाहूंगा क्योंकि बार बार आप फरमा रहे हैं इसलिए अपना भाषण लम्बा नहीं करना चाहूंगा। राजस्थान में बीकानेर और गंगानगर की कैनाल वगैरह के नक्शे वहां भेज चुके हैं, सड़कों के नक्शे बनाकर भेजेंगे। वहां के पोलिटिकल सेट अप को स्टडी किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप को स्टडी किया जा रहा है। उसमें गंगानगर में पंजाबी बोलने वाले 76 परसेन्ट, मारवाड़ी बोलने वाले इतने परसेंट और लोकेशन ऑफ इरिगेशनल सिस्टम। इस तरह से इसकी स्टडी चल रही है–

Field studies will be undertaken in the Kotah and Bikaner districts in Rajasthan, India to investigate the following topics-

1. The interactin between social structure, processes and technological change in the regional system.
2. The interaction between local government, political leadership and political organizations, and technoilogical change.
3. The organisation and behaviour of developmental agencies seeking to direct technological change.

अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा एक पाइंट पोलिटिकल सेट पर। वे पोलिटिकल सेट अप को स्टडी करना चाहते हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं दो चार मिनिट और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : जल्दी करें। मैंने मौका दिया है रिलेक्स करके।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मसला है।

श्री अध्यक्ष : गम्भीर मसला है तो और मौके हैं बोलने के लिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बड़ा गंभीर मामला होता है तो रात-दिन नहीं देखा जाता है, कोई वक्त नहीं देखा जाता है। जिस समय भी मामला नोटिस में आ जाता

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है गवर्नमेंट और आपके नोटिस में तो इमीजियेट एक्शन लिया जाय इस बात की आवश्यकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं अध्यक्ष महोदय, यह सुझाव देना चाहता हूं, ये जो सभी डाकुमेण्ट्स हैं, इनके बारे में वाइस चांसलर को आदेश दिये जाएं, ताकि वह सारे डाकुमेंट्स सीज कर लिए जायें। जिससे कि उन पर आगे बहस हो सके।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : इसी वक्त इकबाल नारायण को गिरफ्तार किया जाना चाहिए अरेस्ट के लिए गवर्नमेंट को कहना चाहिए—

Two districts have been selected Kota district reg. chambal river and Bikaner...

यह स्नेप्सस में भेज दिया गया है। यह बीकानेर में हो रहा है। हमारे बार्डर पर हो रहा है। इस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद दी है। यह अप्रेल, 71 में किया गया है। जब कि बंगला देश की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। बीकानेर और गंगानगर के इलाके से सूचनाएं इकट्ठी की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बातें और कहूंगा।

Prof. Iqbal Narayan prepared papers on Pakistan.

अध्यक्ष महोदय, प्रो. इकबाल नारायण ने, उन्होंने खुद पाकिस्तान का पेपर लिया है। किस प्रकार से उन्होंने सजेशन किया है। अध्यक्ष महोदय, आप डिबेट कभी भी अलाउ करें लेकिन इन दोनों आदमियों को गिरफ्तार करना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया है। मैं देखता हूं कि सी.आइ.ए. की एक्टीविटीज अपनी युनिवर्सिटीज के जरिये से और दूसरी युनिवर्सिटीज में फैलाता है। उनका पैसा जो एम्बैसीज में होता है, उनके जरिये से वह वहां के इण्टेलेक्चुअल्स को खरीदा करते हैं। पी. एल. 480 का पैसा अमेरिकी एम्बैसी के पास है। चाहे जैसे वह खर्चा करें। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया मालूम भी नहीं कर सकती है। वह पैसा सी. आइ. ए. के काम में आता है। हिन्दुस्तान के खिलाफ ही वह उसका प्रयोग करते हैं। डॉ० हरिश्चन्द्र जो हिण्डनबर्ग में प्रोफेसर हैं। उससे उनका सम्बन्ध है। उनके जरिये से शोध कार्य के नाम से यहां से स्टुडेण्ट्स को बुलाते हैं। उन लोगों को खरीदने के लिए यह किया जाता है। हमारे हिन्दुस्तान के हित के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। एक श्रीमती खन्ना हैं। उनको करीब 3 लाख रुपया अनुसन्धान के लिए दिया जा रहा है। अनुदान लिया जा रहा है। एक प्रो. नटराजन हैं, उन्होंने सी. आइ ए. पर एक किताब लिखी है। उसमें उन्होंने सी.आइ.ए. की इसी प्रकार की एक्टीविटीज का भण्डाफोड़ किया है। उन्होंने लिखा है कि इसी प्रकार से दूसरे देशों की युनिवर्सिटीज के जरिये से वह सूचनाएं प्राप्त करते हैं। मेरा निवेदन है कि यहां की युनिवर्सिटी भी इसी प्रकार से सी. आइ. ए. का कम्पार्ट काम कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है जिन सम्बन्धित कागजातों के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बारे में कहा है, उन कागजातों को कब्जे में लिया जाये। जो मशकूक लोग है, उनको हिरासत में लिया जाना चाहिए। उसकी जांच करके, अभी तो पूरे फैक्ट्स हमको मालूम भी नहीं हैं। जांच की जाये ताकि यह पता चले कि इनका जाल कहां कहां फैला हुआ है। बड़ोदा युनिवर्सिटी और दूसरी युनिवर्सिटी में भी इनका सम्बन्ध है। वह गाइड भी कर लेते हैं। इनका एक जाल बिछा हुआ है। इस समय सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट से भी सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। सी.बी. आइ. से भी सम्पर्क किया जाना चाहिए। युनिवर्सिटी राजस्थान में इन सम्बन्धित लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। इनके अनुदानों को रोक लेना चाहिए। कोई अनुदान नहीं लेना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास: अध्यक्ष महोदय, माननीय रामानन्द जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसकी फोटो स्टेट कॉपी मेरे पास है।

It is too bad, there is so much unrest and trouble in your country. As long as the communists keep pushing people around we will have unrest. Unfortunately. They don't have it in their plans to change this principle of world Conquest.

यह इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, अमेरिकन इण्ट्रेस्ट के लोग हिन्दुस्तान में है। यह साफ जाहिर होता है।

श्री अध्यक्ष : यह बात आ चुकी है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास: ऐसे कई है।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है, उसके बारे में निवेदन है कि वहां काफी बेचनी है। उसका कोई निराकरण हो सके ......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यह जो माननीय सदस्य रामानन्द जी और सुरेन्द्र व्यास ने विषय प्रस्तुत किया हैं, इसको मैं होम डिपार्टमेन्ट को भेज दूंगा ताकि वह इस पर नोट लें और जो कार्यवाही हो वह करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि उदयपुर विश्वविद्यालय में भी जब एक साहब अमेरिका से आये तो एक नया प्रोजेक्ट लेकर आये।

श्री अध्यक्ष : वह कह दिया है :

श्री भानुकुमार शास्त्री : वह जो वहां आये तो एक नया प्रोजेक्ट लेकर आये। उन सारे कागजात को कब्जे में लिया जाये तो अच्छा हो।

श्री केदार नाथ : अध्यक्ष महोदय, यह नया प्रस्ताव नहीं है। यह तो रिसर्च स्टडी के नाम से मनी का ट्रांसफर है। इससे पहले कि इस पर डिबेट हो, सम्बन्धित डाकुमेण्ट्स को सीज किया जाये। दूसरे जो हमारा यह शासन चलता है. उसका एक नमूना हमारे सामने है। पी.एम.टी. के छात्र अगर किसी

(प्रो० केदार नाथ)

मिनिस्टर के घर पर चले जायें तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाये। सेसन के दौरान उन पर लाठी चार्ज हो जाय। मैं नहीं समझता कि यह कोई ऐसी चीज है, जिसको आप और हम नहीं मानें। सेशन के दौरान ऐसी घटना हो, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि इसको सीरियस नोट किया जाये।

श्री अध्यक्ष : पहले ही नोट किया है। I have already said that the Home Ministry should take note of it.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह जो सी. आइ. ए. के युनिवर्सिटी में ...

श्री अध्यक्ष : आप कह चुके हैं, दुबारा फिर वही कहेंगे, और क्या कहेंगे...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपने आदेश दिया है...

श्री गुमानमल लोढ़ा : सीज करने का आदेश देना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि जो डिस्कशन हुआ उसका नोट होम मिनिस्टर लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उससे क्या होने वाला है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमें इससे संतोष नहीं होगा। यह काफी नहीं है, अध्यक्ष महोदय, इतना काफी नहीं है, इस तरह यदि नोट लिया होता...

श्री अध्यक्ष : मैं निर्णय जब दे सकता हूं जब पूरे फेक्ट्स मेरे सामने आ जायं।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, उन कागजातों को कब्जे में करने का आप आदेश दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो शोध कार्य युनिवर्सिटी में चल रहे हैं, उनको कब्जे में लिया जाय। जो कुछ भी थीसिस लिखी गई है, वह युनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ताल्लुक रखती है, जैसा माननीय सदस्य ने फर्माया कि यह प्रीविअस में हो चुका है, इसलिए उनको कब्जे में लिया जाय :

श्री अध्यक्ष : I have given the direction.

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपके डाइरेक्शन को यह मान लें तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इस डाइरेक्शन से कुछ नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, डाइरेक्शन को आप इफेक्टिव बनाना चाहें तो होम मिनिस्टर को आप चेम्बर में बुला लें, यह तथ्य उनके सामने रख दें, पहले की मान्यताओं को भी उन्हें बतला दें, उनसे यह कह दें कि माननीय सदस्य चिन्तित हैं डाकुमेंट्स के इधर उधर हो जाने के सम्बन्ध में, डाकुमेंट्स की सेफ्टी के प्रश्न को उनके सामने रख दें। डाइरेक्शन इफेक्टिव आपकी तरफ से होना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, डाकुमेंट्स आज कब्जे में नहीं लिये जायेंगे तो कल गायब हो जायेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : निश्चित रूप से आपको अपनी राय उनको बतानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं यहां से नहीं कह सकता कि अरेस्ट कर लिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन डॉकुमेंट्स को अपने कब्जे में लेने का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैं नियमों से पाबन्द हूं, नियमों में ही कह सकता हूं। इसलिए जो मैंने कहा है वह काफी होगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : नियमों के अन्तर्गत मैं निवेदन करदूं ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट के सामने यह प्रश्न आया है, गवर्नमेंट के प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं, उनका क्या रिएक्शन हुआ है, क्या कदम वह उठा रहे हैं-यह आश्वासन मिलना चाहिए। वरना अध्यक्ष महोदय, गेलरी में अभी कई ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके द्वारा वहां सूचना पहुंच जायेगी और वह पूरे डाकुमेंट गायब हो जायेंगे। इसलिए इसकी सीरिअसनेस पर आप विचार कीजिये, क्योंकि यह नेशनल डिफेन्स का भी सवाल है। सी. आइ. ए. इस देश का दुश्मन है और अमेरिका ने भारत पाक युद्ध के समय इस देश की पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश की है, जो वियतनाम के अन्दर बमबारी कर रहा है, उस अमेरिका के बारे में कम्प्लीमेंट एटीट्युड जो है, वह बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इसलिए इस-तमाम मामले में बहुत गहराई से सोचें। यह मामला ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकते है, इस क्वेश्चन को आप पोस्टपोन साधारणरूप में कर रहे हैं, और इस पर कुछ न किया जाय यह बर्दाश्त नहीं होने वाला है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट क्या रीएक्शन कर रही है ? गवर्नमेंट रीएक्शन कर रही है ?

श्री गुमान मल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं, उसके बाद आप आज्ञा दें, एक सेकिंड के पश्चात ही। ट्रेजरी बेंच की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री, या गृह मंत्री, या पुलिस के मंत्री, या स्टेट मंत्री किस प्रकार देखते हैं इस प्रश्न को ? यह राजस्थान की ढाई करोड़ जनता की सुरक्षा और साथ ही देश की सीमा की सुरक्षा का प्रश्न है इस प्रकार पर सरकार द्वारा सदन को विश्वास में न लेना मैं समझता हूं, गम्भीर प्रश्न है। इस प्रश्न पर पूरा सदन एकमत है क्योंकि यह राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न हैं। पाकिस्तान और अमेरिका द्वारा जो साजिश की जा रही है, उसके कारण सीमा के ऊपर आग कभी भी भड़क उठ सकती है! ऐसी स्थिति में इस प्रदेश में कुछ गद्दार लोग बैठे हुए हैं वह इस प्रकार के डाकुमेंट बनाये और शिक्षा विभाग में उनको पनाह दी जाय इससे अधिक शर्मनाक बात और नहीं हो सकती हैं। इस सदन की भावनाओं को देखते हुए, इसमें किसी दल विशेष का प्रश्न नहीं है, यह राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है, इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्री, गृह मंत्री इस सदन की भावनाओं का आदर करते हुए इस बात का ऐलान करें और फौरन पुलिस ऑफिसर को भेज कर युनिवर्सिटी के पास जो भी कागजात है उन पर कब्जा कर लिया जाय। यदि माननीय मुख्य मंत्री या गृह मंत्री ऐसा अश्वासन नहीं देते हैं तो इस सदन के माननीय सदस्यों को विचार करना होगा कि सदन के अन्दर भावनाओं के व्यक्त हो जाने के पश्चात आसन की गरिमा को रखने के

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लिए, शासन के द्वारा संकेत होने के बाद ट्रेजरी बेंचेज मौन रहती है और इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो किस माध्यम से हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

श्री पी. के. चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव था, सदन की भावनाओं को देखते हुए मैं यह सुझाव दूंगा, आप माननीय गृह मन्त्री जी को या स्टेट मिनिस्टर होम हैं उनको कह दें कि सदन की कार्यवाही खत्म होने के पहले, पांच बजे तक इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, उसके सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट के द्वारा सदन को जानकारी दें। इतना करेंगे तो इससे माननीय सदस्यों को सन्तोष हो सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, यह टाइम फेक्टर......

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये मैं अर्ज कर दूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह सारे मामले में टाइम फेक्टर बहुत इम्पार्टेंट है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आप यह कह चुके हैं।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, जो बातें आपने रखी हैं एडजोर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में, मैं इसकी गम्भीरता को महसूस करता हूं, यह महसूस करता हूं कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी चाहिए। इसमें आपने जो फरमाया, हालांकि एक तरीके से वह ठीक है, लेकिन वह बात नहीं है, मैं खुद समझता हूं। इस सारे मामले में मेरी सीमायें हैं जिनके अन्तर्गत ही मैं कार्य कर सकता हूं, यहां के जो नियम हैं उनके अन्तर्गत ही मैं कार्य कर सकता हूं। मैं इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय दिया था, आपके समक्ष होम मिनिस्टर को डाईरेक्शन दिया था कि होम मिनिस्टर, जो सदन में डिस्कशन हुआ है, जो माननीय सदस्यों ने कहा है उसको नोट लें। अब जैसा मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, वह तरीका है, इस मामले से कार्यवाही की जायगी। नियमों की जो मन्शा है, उसमें रह कर जो कर सकता हूं वह करूंगा। इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी, वह अभी है नहीं, उनसे बात की जायगी और ट्रेजरी बेंचेज की ओर जो मन्त्री है, वह इस वक्त कुछ कहना चाहते हैं वह कहेंगे, वरना चेम्बर में... –

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपनेता हैं।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : उपनेता इज प्रजेण्ट हीअर।

श्री अध्यक्ष : जैसा मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, चेम्बर में बात करके स्पीकर की तरफ से हो सकता है वह कार्यवाही की जायगी, गवर्नमेंट को जो कहना है, खुद वह कह देगी। इसे सीरिअसली लिया जायगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जो सी. आइ. ए. का प्रश्न आया है...

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा माननीय अध्यक्ष ने ओब्जर्व किया, सीमायें हैं, नियमों का प्रश्न है। लेकिन इसके संबंध

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

में एक व्यवस्था है, और वह व्यवस्था नियम का रूप धारण कर चुकी है। यहां सुपरिन्टेन्डेन्ट, एस. एम. एस. हॉस्पीटल का एक प्रश्न उठा था, जिसमें हृदय रोग के सम्बन्ध में कोई फेब्रिकेशन डाकुमेंट में था। उस समय यह व्यवस्था रही कि डाकुमेंट को सीज करने का आदेश दिया गया था। वह व्यवस्था नियमों के स्तर पर आपको मजबूत बनायेगी।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया चेम्बर में बात करने के लिए।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज कार्यवाही नहीं की गई तो बाद में कागज कभी नहीं मिलेंगे, डाकुमेंट गायब कर दिये जायेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी :-कम से कम डाकुमेंट को सीज करने के लिए आदेश दे दें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : उपनेता क्या कहते हैं इस सम्बन्ध में।

श्री मोहनलाल छंगाणी : डाकुमेंट सीज करने के सम्बन्ध में व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : अलग अलग आदेश नहीं दिये जायेंगे। इस मामले पर पूरी तरह विचार कर लिया जायगा।

उपनेता कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने बतलाया, न आप लाइटली ले रहे हैं न हम लाइटली लेना चाहते हैं। अभी जो इस सम्बन्ध में चर्चा हुई है उसको मुख्य मन्त्रीजी को कम्युनिकेट कर देता हूं, क्योंकि गृह विभाग उन्हीं के तहत है, वही आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री द्वारा वक्तव्य।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : आवश्यक कार्यवाही का प्रश्न नहीं है ··

श्री अध्यक्ष : आपने कह दिया, दुबारा क्या कहेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह है

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : यहां पर विचार हुआ है, डिस्कशन हुआ है उसके बाद इतना टाइम लेंगे तो वहां पर कौन से डॉकुमेंट मिलेंगे तमाम डॉकुमेंट गायब कर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अलग बात यह नहीं है, यह कह दी है।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सवाल इम्पार्टेन्ट यह है, जैसा मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, रिसर्च डिपार्टमेंट के आदमी है जो युनिवर्सिटी में डेपुटेड हैं और जिनके अण्डर में रिसर्च की जा रही है, सबसे आब्जेक्शनेबल बात यह है, वेदर इट इज ए फेक्ट, जो अमेरिकन का नाम बताया है Whether it is a fact that they are the employees of the American Defence Deptt. उनके अण्डर में रिसर्च हो रही है if this is a fact उनके हाथ में यह मामला छोड़ने का सवाल नहीं उठता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है, गवर्नमेंट की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तरफ से केवल इतना कहा गया है कि आवश्यक कार्यवाही की जायगी, मेरे ख्याल में इस मामले को उठाया है ....

श्री हरिदेव जोशी : Whatever is necessary would be done. इससे ज्यादा क्या कहूंगा, आप कहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, ऐसे डाकुमेंट हैं जिनमें भारत पाक बोर्डर के ऊपर शोध कार्य किया गया है, वह डाकुमेंट हैं जिनको थीसिस के रूप में उन्होंने तैयार किये हैं, वह डाकुमेंट है जिनके द्वारा शोध किया है उसकी थीसिस बनाई जा रही है, जो अमेरिकन ग्रान्ट के तहत यहां पर हो रही है युनिवर्सिटी के उन तमाम डाकुमेंट पर कब्जा कर लिया जाय ।

श्री हरिदेव जोशी : आप ज्यादा क्यों कह रहे हैं, मैंने निवेदन किया, इस सारी पृष्ठभूमि में जो कुछ चर्चा हुई है, उस पर एक्शन लेना है, वह मुख्य मन्त्री लेंगे । मैं यहां जो डिस्कशन हुआ उसको मुख्य मन्त्री को कन्वे कर दूंगा । इससे ज्यादा क्या चाहते हैं...

(शोरगुल—कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन आप क्लीयरली बता दें ।

श्री गुमान मल लोढ़ा : किस प्रकार की डिफीकल्टी आती है They must be hanged at the nearest electric pole.

श्री हरिदेव जोशी : एडमिनिस्ट्रेटिवली जो जरूरी है, जो कदम उठाए जाने चाहिएं, वे उठाये जायेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कब उठाये जायेंगे ? बोर्डर के सारे मैप्स हैं उनके पास ।

(शोरगुल)

बोर्डर के सारे कंटूर्स हैं, मैंने खुद उनको बोर्डर पर फिरते हुए देखा है । एक सज्जन हैं ऐरोनॉटिक्स के डेरल फारेन, इनका न कोई इर्रीगेशन से संबंध है, न सोश्योलॉजी से, ऐरोनॉटिक्स के आदमी हैं, उसमें स्पेशलाइज्ड हैं और इर्रीगेशन की रिसर्च कर रहे हैं । दूसरे सज्जन हैं रिचर्ड एन्ड्रयू, पार्किन्स में अमरीका का जो विभाग है, उससे संबंधित हैं, यह जो सर्वे है वह पाकिस्तान एग्रेशन से पहले का सर्वे है । मैप्स बनाए गए हैं, कन्टूर्स बनाए गए हैं, वाटर कोर्सिज के मैप्स बनाए गए हैं, सड़कों के मैप्स बनाए गए हैं, लिंक रोड्स के मैप्स बनाए गए हैं और जो सारा एरिया है, उसमें सैंड ड्यून्स कहां हैं, लो लेविल लैंड कहां है, सारी की सारी आर्मी की स्ट्रेटेजी से ताल्लुक रखने वाली चीज है, उनके पजेशन में है और यह सदन आदेश नहीं दे सकता कि इस रेकार्ड को फोरन सीज किया जाए सी. आइ. डी. के द्वारा, दर्शक दीर्घाओं में बैठे हुए सारी बातों को सुन रहे हैं और सारे मैप्स जला दिये जायेंगे सारे कन्टूर्स जला दिये जायेंगे और उसके बाद क्या फायदा होगा गृह विभाग को इन्डीकेशन देने का ? क्या लाभ होगा जोशीजी का मुख्य मंत्री को फोन करने का ? इसलिए मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मांग की

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

है वह गंभीर मांग है। सारे का सारा रेकार्ड जो है अगर कम से कम जो कन्टूर्स के मैप्स हैं, टोपोग्राफी से ताल्लुक रखते हैं, जोग्राफी से ताल्लुक रखते हैं, सारे का सारा रेकार्ड रिसर्च के नाम पर पाकिस्तान की सहायता के लिए तैयार किया जा रहा है, देश के साथ गद्दारी की जा रही है, फौरन आइ. जी. को फोन किया जाए, वह युनिवर्सिटी में जायं और इक्बाल नारायण और शर्मा को अरेस्ट किया जाए और उनके चेम्बर से उस रेकार्ड को फौरन ताला लगाया जाए तब तो समझेंगे कि…

श्री **निरंजन नाथ आचार्य** : उनके मूवमेंट्स को वाच करने का प्रबंध कर दें।

श्री **सुरेन्द्र प्रसाद व्यास** : कोई भी आदमी सी. आइ. ए. का एजेंट हो सकता है।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : आज टिथवाल में पाकिस्तान ने अचानक हमला कर दिया, जिन वीरों की हत्या की, यह सब सरकार की काम्प्लेसेन्सी का परिणाम है कि वह आज पाकिस्तान के कब्जे में है। राजस्थान की सीमा में षड़यंत्रों के बावजूद…

श्री **योगेन्द्र नाथ हांडा** : कोई थोड़ी धनराशि नहीं है। मावली से आने वाले माननीय सदस्य पूरी राशि नहीं बता पाए इस रिसर्च के अंदर 14 लाख 636 डालर युटीलाइज हो रहे हैं और हर प्रकार की सुविधा…

श्री **निरंजन नाथ आचार्य** : टेरीबुल।

श्री **योगेन्द्र नाथ हांडा** : हर प्रकार की बढ़िया से बढ़िया जीपें उनके पास अवेलेबल हैं और उन जीपों में चारों सज्जन जिनमें से विशेषकर दो अमरीका के हैं, सारे के सारे बीकानेर और गंगानगर जिलों में बोर्डर पर फिरते हैं, उस समय से फिर रहे हैं जब पाकिस्तान से संघर्ष होने वाला था उससे पहले फिर रहे हैं और सारे के सारे मैप्स बना रहे हैं। सारे रेकार्ड को देखिए, इस रिसर्च से राजस्थान को क्या फायदा होगा। कौनसे इर्रीगेशन के स्पेशलिस्ट्स हैं, कौनसे कालोनाइजेशन के या सोश्योलोजी के स्पेशलिस्ट्स हैं, कौनसी इन्होंने कालोनाइजेशन की स्कीम्स को स्टडी किया है। ऐरोनैटिक्स का आदमी डिफेंस सर्विसेज का आदमी इर्रीगेशन को क्या स्टडी करेगा? प्रश्न यह है कि रेकार्ड फौरन सीज किया जाए।

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : कितना प्रेशर लग रहा है, कितना रुपया खर्च हो रहा है, वह इतना मैटीरियल नहीं है जितना कि हिंदुस्तान की सलामती का सवाल है, वह मैटीरियल है। अगर फौरन कदम नहीं उठाए गए और वे दस्तावेज खतम हो गए, तो जो एवीडेन्स है हमारे पास तो वह एवीडेन्स भी डेस्ट्राइ हो जाएगा। इसलिए आपका फरमाना है इस मामले में आप सरकार को क्या इन्स्ट्रक्शन्स देना चाहते हैं वह इसमें जितने भी दस्तावेज हैं उनके पास, जो नक्शे बने हुए हैं जो गंगानगर की टोपोग्राफी ली है उस बारे में जो भी मामलात हैं उसके अनुसार सरकार को कदम उठाए जाने चाहिए, यह शाम तक हो जाएगा। उपनेता महोदय मौजूद हैं, वह मुख्य मंत्री से कान्टैक्ट करें और फिर इन्स्ट्रक्शन्स दे दें फिर आइ. जी. को सूचित करें।

श्री **योगेन्द्र नाथ हांडा** : मुख्यमंत्री क्यों नहीं आता है?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मिनिस्टर आफ स्टेट फार होम भी यहां पर नहीं हैं। मेरी गुजारिश है कि तुरन्त उनको आना चाहिए या आपको आइ० जी० को इन्सट्रक्शन्स देने चाहिए कि डाक्युमेंट्स को सीज किया जाए। गिरफ्तारी हो या नहीं हो लेकिन वह चीज जो लीक आउट करके खतम हो सकती है, उसको रोका जाय। इस मामले में मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय आप सरकार को इन्स्ट्रक्ट करें कि तुरन्त कदम उठाए जायें और फौरन कागजात को सीज करने की कार्यवाही करें। जैसे माननीय सदस्य ने फरमाया यहां परम्परा रही है पहले भी इस तरह कागज सीज किए गए हैं, यह हिन्दुस्तान की सिक्योरिटी की बात है।

श्री हरिदेव जोशी : अब तक अगर माननीय सदस्यों ने बोलना बंद कर दिया होता तो मैंने कम्युनिकेट भी कर दिया होता लेकिन अफसोस की बात है कि इस मामले को लंबा कर रहे हैं, मुझे मौका नहीं मिल रहा है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : दूसरे मंत्री को कह दें, वह कम्युनिकेट कर दें।

श्री गुमान मल लोढ़ा : कम्युनिकेट करना, क्या उपनेता पोस्ट आफिस का काम करेंगे, यह उचित नहीं उनको ही इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि उन डाक्युमेंट्स को सीज किया जायगा, सदन की भावना के अनुकूल कार्य किया जाएगा और उन लोगों को अवसर नहीं दिया जाएगा डाक्युमेंट्स से टेम्पर करने का। हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसी बात हो जाए आप कहते हैं जो कुछ है किया जाएगा। इसका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ तो यह है कि हम पता लगायेंगे, प्रिन्सीपल को बुलायेंगे उसको बाद दिन गुजरते जायेंगे और खुलेरूप से उनको छूट मिल जायगी। मैं चाहूंगा कि उपनेता स्पष्ट करें कि डाक्युमेंट्स को सीज कर रहे हैं या नहीं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : उपनेता सदन के बाहर थे। पौन घंटे से यह डिस्कशन चल रहा है। पौन घंटे से फोन कर सकते थे, पुलिस से कह सकते थे, अब तक कागज सीज हो सकते थे। एक घंटा और लगायेंगे, यह सीज होने वाले नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस मामले में काफी बात-चीत हो गई है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रश्न है वह कोई पार्टी विशेष का नहीं है और जो उपमंत्री ने उत्तर दिया ......

कई माननीय सदस्य : उपनेता कहिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपका उत्तर संतोषजनक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सदन से बढ़कर देश है, यदि देश है तो सदन है। देश नहीं बचेगा तो सदन बचने वाला नहीं है इसलिए आप टाइम के आधार पर क्वेश्चन अवर समाप्त हो जाए...

श्री मोहन लाल छंगाणी : माननीय सदस्य अमरीका को गालियां निकाल रहे

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

हैं और सी० आइ० ए० को भी। यह तो बधाई का विषय है, इस ओर फौरन ध्यान दें.......

(दोनों साथ साथ बोलने लगे)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपनेता जायें और मुख्यमंत्री से सम्पर्क करें चाहे आइ० जी० से सम्पर्क करें। आज 4 बजे सदन में जो कुछ कार्यवाही पुलिस करे, भारत की सुरक्षा के नाम पर, वह सदन में 4 बजे बतायें वक्तव्य के द्वारा। यह मामला किसी पार्टी विशेष का मामला नहीं बनाया जाना चाहिए। इसलिए उपनेता को छुट्टी दें, 4 बजे सदन को जानकारी करायें।

श्री अध्यक्ष : काफी समय हो गया है, अब और कार्यवाही होने दें। मैंने डाइरेक्शन्स दिए हैं, आपने भी कुछ कहा है, उस पर अमल होने दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम इस सदन का एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं।

लेकिन मुझे यह निवेदन करना है कि यह मामला केवल रस्मी तौर पर उठाना इस सदन में नोटिस में लाना केवल इस हद तक यह मामला है। मेरा यह निवेदन है कि अमेरिका से आज हमारे जो रिलेशन्स हैं इस हाउस में उससे किसी पार्टी का मतभेद नहीं है। अमेरिका का रवैया हमारे मुल्क के प्रति दुश्मनाना रवैया है, वह पाकिस्तान को आर्म्स भेज रहा है और दूसरे मुल्कों के जरिये आर्म्स भेज रहा है, ऐसी कन्डीशन पर भी गवर्नमेन्ट रिएक्ट न करे, सीरियसली रिएक्ट न करे। माननीय सदस्य ने कहा उपमंत्री महोदय के लिये कांग्रेस के सदस्यों ने रिएक्ट किया वैसा रिएक्ट करते तो संतोषजनक बात होती।

We will not allow this kind of research in any of our Universities and they should immediately be stopped. No research should be allowed in Rajasthan with American aid. जो भी शोध कार्य के नाम पर हो रहा है, डाक्युमेन्ट्स इसी समय सीज किये जाने चाहिए

This should be the decision.

हाउस जब ही सैटिस्फाई हो सकता है। इस प्रश्न पर आप और हम में कोई मतभेद नहीं है। आप और हमने अमेरिकन इम्पीरियलिज्म का मुकाबला किया है। सब लोग साथ दे रहे हैं फिर समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं। इकोवोक्ली निक्सन साहब नाराज हो जावेंगे अमेरिका नाराज हो जावेगा। निक्सन साहब को भारत बता चुका है। जब ब्लोकेड किया तो सोवियत रस ने कहा कि खबरदार इसको हटा दें। चेतावनी दी। 12 दिसम्बर को प्रधान मंत्री ने घोषणा की हम सातवें बेड़े को परवाह नहीं करते। इसी प्रकार की घोषणा करेंगे तो इस सदन को संतोष होगा और जो राष्ट्रीय कर्तव्य है, गवर्नमेन्ट का दायित्व है उसको पूरा करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ज्यादा बोलते हैं, मुझ से भी अपेक्षा करते हैं कि ज्यादा बोलूं। सदन

Page No 64

(श्री हरिदेव जोशी)

में अमुक प्रकार की भावनाये,व्यक्त की गई हैं और मुझ से यह चाहा गया है कि मैं उस पर कुछ कहूं, मैं यहां यही कह सकता हूं कि सारी बातें जो सदन में हुई हैं वे माननीय मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में लाऊं, मैं समझता हूं कि मैं अपने कर्त्तव्य को पूरा करता हूं और कहीं कोई चीज नहीं रह जाती है अपेक्षा की और लाइटली लेने की। कुछ माननीय सदस्य ऐसा समझते हैं कि किसी एक विषय पर जितना ज्यादा कहा जाय उतना ज्यादा उपयोगी होता है। मैं ऐसा समझता हूं कि जहां कहने की जरूरत हो वहां कहा जाय और एक्शन लेने की जरूरत हो एक्शन लिया जाय। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मर्यादायें हैं उनको समझने की कोशिश की जाय। I cannot direct the I.G.P. today.

इसी प्रकार चीफ मिनिस्टर साहब मेरे हैड ओफ दी डिपार्टमेन्ट को डाइरेक्शन नहीं देते हैं, मुझे देते हैं। इन सारे कारणों से होम डिपार्टमेन्ट- के मंत्री हैं चीफ मिनिस्टर साहब उनको एप्रोच करना चाहता हूं। और फर्स्ट ओपोर्चुनिटी अवेल करना चाहता हूं

श्री गुमानमल लोढा : देश की मर्यादा का प्रश्न है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मेरा यह निवेदन है कि टेम्पर ग्रांफ हाउस को देखते हुए मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करें, माननीय सदस्य अपने चेम्बर में चले जायं और उप नेता भी चले जायं और मुख्य मंत्रीजी को सूचना देदें।

श्री हरिदेव जोशी : इस विषय को यहीं पर समाप्त करें। मैं एक सैकिन्ड भी खोना नहीं चाहूंगा। जब मैं बैठा हुआ हूं सदन में चर्चा चल रही है मैं बीच में उसको छोड़ कर जाऊं यह उपयुक्त नहीं होगा।

श्री पी.के. चौधरी : माननीय उपनेता ने बताया कि होम डिपार्टमेन्ट को डाइरेक्शन नहीं दे सकते हैं He represents the Government today in this House and he can therefore order directly.

सदन की भावना है उसके लिये क्यों नहीं डाइरेक्शन दे सकते हैं ? कम से कम इतनी बात कहिये कि एक्शन लेना चाहते हैं You can tell it.

4 बजे सदन में बता दीजिए कि यह एक्शन लिया। आपने कहा उससे कतई सहमत नहीं हूं।

You represent the Government. Any Minister can represent the Government. That is not necessary that the concerned Minister should be present in the House. चीफ मीनिस्टर नहीं हैं तो हाउस नहीं चलेगा। किसी डिपार्टमेन्ट का सवाल आता है तो यहां पर सदन में कह देते हैं Any Minister can represent the Government.

सदन की भावना है उसको देखते हुए ऐसे ऑर्डर आइ०जी० पी० को दे सकते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उप नेता महोदय ने कहा कि आई० जी० पी० को डाइरेक्शन नहीं दे सकते। इन्डियन पीनल कोड के अनुसार एक सब इन्स्पेक्टर दे सकता है इन्स्ट्रेक्शन्स। इन देशद्रोही व्यक्तियों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। सदन की भावना के विपरीत गैर जिम्मेदारी के अनुसार यह बात कही उसके लिये मैं और मेरा दल सदन से वाकआउट करते हैं।

(जनसंघ सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय जोशीजी, मुख्य मन्त्रीजी से बात करना चाहते हैं आप दस मिनिट के लिये, अध्यक्ष महोदय, हाउस को एडजोर्न कर दीजिये। ऐसा सीरियस मामला है।

श्री अध्यक्ष : मैंने यह बात कही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसी सीरियस बात है। वे सुन रहे हैं। आप रिपोर्ट कर दें। आप भी चिन्तित हैं, सारा सदन चिन्तित है। मैं इस से इन्कार नहीं करता। चिन्ता है उसका ठोस नतीजा निकले। सामने आये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं किसी काम के लिये बाहर जा रहा हूं, वाक आउट नहीं हैं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : ट्रेजरी मिनिस्टर और जैसा उपनेता महोदय ने कहा है कि जरूरी कार्यवाही की जावेगी चेम्बर में जाकर।

अब सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र वित्त मन्त्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री एवं माल कर अधिनियम, 1959 की धारा 21(3) के अन्तर्गत वित्त (राजस्व एवं लेखा 2) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 16(3) वित्त/वा० कर/71 जी. एस. आर. दिनांक मई, 1972 को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण नियम 1959 में और संशोधन किये गये हैं।

शासकीय वक्तव्य

आयुर्वेद सेवाश्रम, उदयपुर की स्थिति पर श्रम मन्त्रीजी का वक्तव्य

श्री ओंकारलाल चौहान (श्रम मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अग्रवाल के स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरा निम्नांकित वक्तव्य है :

आयुर्वेद सेवाश्रम उदयपुर के श्रमिकों की ओर से केमिकल मजदूर संघ उदयपुर ने एक मांग पत्र दिनांक 1 जनवरी 72 को तथा फिर एक विस्तृत मांगपत्र दिनांक 4-2-72 को प्रस्तुत किया जिसमें निम्न मांगें थीं :—

(1) दिनांक 1-1-72 के पत्र द्वारा 5 रुपया प्रतिदिन कुल न्यूनतम वेतन अर्थात् 150 रुपया प्रतिमाह (सवेतनिक साप्ताहिक अवकाश सहित) नये नियुक्त किये गये श्रमिकों के लिये 1-1-72 से लागू किया जाये और मौजूदा सभी अकुशल श्रमिकों को उनके सेवाकाल के आधार पर तरक्की देकर न्यूनतम वेतन के अतिरिक्त निम्न प्रकार से वेतन दिया जाये :

वेतन शृंखला	महंगाई भत्ता
75-3-90-4-130	75 रु० प्रतिमास

(श्री औंकार लाल चौहान)

नोटः—उदाहरण के तौर पर जिन अकुशल श्रमिकों का सेवा काल 5 वर्ष हो चुका है, उनका मूल वेतन 90 रुपया प्रति माह व महंगाई भत्ता 75 रुपया प्रतिमाह अर्थात कुल वेतन 165 रुपया प्रतिमाह दिनांक 1-1-72 से होगा।

(2) अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिकों के लिये दिनांक 1-1-72 से वेतन श्रृंखला व महंगाई भत्ता निम्न प्रकार से होगा :

श्रेणी	वेतन
अर्द्धकुशल श्रमिक	90-5-165
कुशल श्रमिक	120-8-240

नोटः—सभी श्रमिकों को जो अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिकों का कार्य करते रहे हैं, उनको सेवा काल के अनुसार उपरोक्त वेतन श्रृंखला में तरक्की के साथ मूल वेतन लागू किया जाये।

(3) महंगाई भत्ता

जनवरी, 1971 तक के औसत महंगाई सूचक अंकों के साथ जोड़ा जाकर महंगाई भत्ता, महंगाई के आंकड़ों के अंकों में परिवर्तन का आधार निम्न प्रकार होगा :

मूल वेतन	महंगाई भत्ता	परिवर्तन का आधार
(क) 149 रुपया मासिक तक	75 रुपया प्रतिमाह	75 पैसे प्रति पाइन्ट
(ख) 150 रुपया से ज्यादा	85 रुपया प्रतिमाह	95 पैसे प्रति पाइन्ट

(4) सभी श्रमिकों को मकान भत्ता अथवा मकान की व्यवस्था होनी चाहिए।

(5) सभी श्रमिकों को एक गर्म जर्सी प्रति दो वर्ष में दी जाये जैसा कि पिछले समय में दिया जाता रहा है।

(6) दिनांक 10-7-71 के दिन राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया के प्रथम बार उदयपुर आगमन पर स्वागतार्थ गये श्रमिकों को उस दिन का वेतन दिया जाये।

प्रादेशिक सहायक श्रम आयुक्त, उदयपुर द्वारा इन मांग पत्रों पर प्रबन्धक से टिप्पणी मांगी। प्रबन्धक ने दिनांक 1-1-72 के मांग पत्र पर टिप्पणी दिनांक 21-1-72 को भेजी तथा दिनांक 4-2-72 के मांग पत्र पर टिप्पणी दिनांक 7-2-72 को भेजी। अपनी टिप्पणी में प्रबन्धकों ने मुख्यतः यह बताया कि वर्तमान वेतन दरें इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल राजस्थान के अवार्ड दिनांक 13-3-70 के अनुरूप प्रचलित है। इसके अनुसार बेसिक वेतन 2.31 पैसे बढ़ाकर 2.85 पैसे प्रतिदिन दिया जा रहा है तथा वार्षिक बढ़ोत्तरी भी अवार्ड के अनुसार दी जा रही है, साथ ही माथुर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार फिक्स्ड महंगाई भत्ता 45) रु. प्रतिमाह के दर से दिया जा रहा है एवं भविष्य का महंगाई भत्ता मूल्य सूचना अंकों के अनुसार जुड़ा हुआ है। प्रबन्धक ने यह भी जाहिर किया कि श्रमिकों को अवार्ड के अनुसार वेतन देने के पश्चात् भी उत्पादन केवल 50 प्रतिशत दिया जा रहा है। व्यापारिक दृष्टि से कारखाने को इन हालात में चलाना असम्भव हो गया है।

(श्री ओंकार लाल चौहान)

जहां तक दिनांक 10-7-71 को गैर हाजिरी का प्रश्न है प्रबन्धकों ने यह बताया है कि श्रमिक बिना पूर्व स्वीकृति के 8 घंटों की शिफ्ट में 6 घन्टा 20 मिनट अनुपस्थित रहे। अतएव 6 घन्टों का वेतन, वेतन अदायगी अधिनियम 1936 के अनुसार काटा गया।

जर्सी के बारे में यह बताया गया कि जर्सी के एवज में 40) रु. प्रति श्रमिक दे दिया गया है। यदि श्रमिक 40 रु. वापिस कर दें तो उन्हें जर्सियां दिला दी जायेंगी। प्रबन्धक के अनुसार एक जर्सी का मूल्य लगभग 30 रु. आता है।

अन्य मांगों से सम्बन्ध में यह बताया गया है कि वे सब मांगें पूर्व में दिये गये अवार्ड के अन्तर्गत आती है, अतएव इनका कोई औचित्य नहीं है।

प्रादेशिक सहायक श्रम आयुक्त, उदयपुर ने दोनों पक्षों को प्रारम्भिक वार्ता के लिए दिनांक 15-2-72 को बुलाया। इस दिन दोनों पक्ष उपस्थित हुये, परन्तु यूनियन ने कहा कि वे प्रबन्धकों से तब तक बात नहीं करेंगे, जब तक प्रबन्धक उन्हे मान्यता प्रदान नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में समझौता अधिकारी ने दोनों पक्षों से अलग अलग बातचीत की। श्रमिक प्रतिनिधियों ने प्रबन्धकों के उपरोक्त रवैये के कारण बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला तथा दिनांक 21-2-72 से श्रमिक समझौता वार्ता के दौरान हड़ताल पर चले गये। कारखाने में कुल 104 श्रमिक कार्य करते हैं। इस समय सभी श्रमिक हड़ताल पर हैं।

वह हड़ताल औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 23 एवं 24 के अन्तर्गत अवैधानिक प्रतीत होती है, चूंकि प्रबन्धकों एवं श्रमिकों के मध्य केजुअल लीव के विवाद पर तथा अन्य कुछ विवादों पर इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन अवस्था में है।

प्रादेशिक सहायक श्रम आयुक्त उदयपुर ने हड़ताल के उपरान्त भी दोनों पक्षों को दिनांक 21-3-72 तथा दिनांक 13-4-72 को पुनः वार्ता के लिए आमंत्रित किया परन्तु श्रमिक संघ की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जबकि प्रबन्धक पक्ष की ओर से इन दोनों तिथियों पर उनका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। यूनियन इस बात पर बल देती रही कि जब तक प्रबन्धक यूनियन को मान्यता नहीं देते तथा सभी निकाले हुए श्रमिकों को वापिस काम पर नहीं लेते, तब तक यूनियन किसी भी समझौता वार्ता में भाग नहीं लेगी।

इस बीच प्रबन्धकों ने हड़ताल पर गये हुए श्रमिकों में से 28 श्रमिकों को, इस आरोप पर कि वे हड़ताल में प्रमुख रूप से भाग ले रहे थे तथा अन्य श्रमिकों को हड़ताल करने के लिए उकसा रहे थे, आरोप पत्र देकर जांच कार्यवाही प्रारम्भ की। जांच कार्यवाही में यूनियन की ओर से तथा श्रमिकों की ओर से किसी ने भी भाग नहीं लिया इस पर प्रबन्धकों ने दिनांक 8-4-72 को एकतरफा कार्यवाही कर 22 श्रमिकों को सेवा मुक्त कर दिया तथा ट्रिब्यूनल में कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण इन 22 श्रमिकों के सेवा मुक्ति के प्रार्थना-पत्र ट्रिब्यूनल को औद्योगिक विवाद अधिनियम

(श्री ओंकार लाल चौहान)

की धारा 33 (2) (बी) के अन्तर्गत अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये। वे प्रार्थना-पत्र अभी भी ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन हैं।

श्रम विभाग के समक्ष विवाद को सुलझाने में मुख्य कठिनाई यह महसूस हुई कि यूनियन द्वारा प्रस्तुत मांग पत्रों में मुख्यत: मांगें इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल राजस्थान द्वारा दिये गये अवार्ड दिनांक 13-3-70 द्वारा निर्णित हो चुकी है और कानूनन यह अवार्ड हड़ताल प्रारम्भ करते समय लागू था, चूंकि यूनियन ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 19 (6) के अनुसार, अवार्ड को समाप्त करने का दो माह का कानूनी नोटिस दिनांक 3-2-72 को दिया था। इसके अतिरिक्त यूनियन के समझौता वार्तों में भाग न लेने से उदयपुर में समझौता अधिकारी के समक्ष वार्ता में प्रगति नहीं हो सकी तथा अवार्ड के लागू रहने की अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही हड़ताल कर दी गई।

यूनियन के पूर्व निश्चित प्रोग्राम के अनुसार उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ के कुछ श्रमिकों ने दिनांक 26-4-72 से 29-4-72 तक विधान सभा तथा श्रम आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इसी बीच श्रम आयुक्त ने दोनों पक्षों को दिनांक 28-4-72 एवं दि० 1-5-72 को वार्ता के लिए बुलाया तथा समझौते के प्रयत्न किए। दिनांक 1-5-72 को कम्पनी के मालिक श्री कमलनयन बजाज के आकस्मिक निधन के कारण प्रबन्धक प्रतिनिधि वार्ता में सक्रिय भाग न ले सके। मैंने भी दोनों पक्षों को दिनांक 16 मई, 1972 को वार्ता के लिए बुलवाया तथा अपने स्तर पर समझौते का प्रयत्न किया। इससे पूर्व मैंने तथा श्रम आयुक्त ने भी दोनों पक्षों को यह सुझाव दिया कि श्रमिक तत्काल हड़ताल समाप्त कर दें तथा प्रबन्धक सभी श्रमिकों को काम पर पुन: ले लें। समस्त विवादग्रस्त प्रश्नों को दोनों पक्ष पंच निर्णय के लिए सुपुर्द कर दें। इस सम्बन्ध में प्रबन्धकों की ओर से यह उत्तर प्राप्त हुआ

(1.11 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

कि 22 जिन्हें उनके द्वारा सेवा मुक्त किया गया है, के सेवा मुक्ति के प्रार्थना-पत्र अनुमोदनार्थ इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल राजस्थान के समक्ष विचाराधीन, सब जुडिस हैं तथा ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुसार वे इस पर अमल करेंगे। उन्होंने यह भी प्रकट किया कि हड़ताल का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि वार्ता समझौता अधिकारी उदयपुर के समक्ष चल रही थी एवं यूनियन ने वार्ता में भाग न लेकर वार्ता में गतिरोध उत्पन्न किया।

पंच निर्णय के बारे में प्रबन्धक का अभी तक कोई निश्चित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सम्भवतया वे इसके पक्ष में नहीं है।

यूनियन का अब यह कहना है कि 22 श्रमिकों को जिन्हें सेवा मुक्त किया गया है, पुन: काम पर लिया जाय तथा यूनियन को मान्यता प्रदान की जाये। अन्य मांगों के बारे में यूनियन इन्हें आपसी वार्ता अथवा पंच प्रणाली द्वारा तय कराना चाहता है।

दिनांक 5-5-72 को यूनियन द्वारा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा के कई कारखानों में एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल कराई गई।

(श्री ओंकार लाल चौहान)

हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रबन्धक व यूनियन विवादों को पंच निर्णय के लिए सुपुर्द करना स्वीकार कर ले। दिनांक 16-5-72 को मेरे समक्ष बातचीत में यूनियन ने 22 श्रमिकों को काम पर रखने के पश्चात् शेष मांगों को पंच निर्णय के सुपुर्द करना स्वीकार कर लिया है वे प्रबंधक की ओर से मैनेजिंग डाईरेक्टर श्री सोनी से कल रात्रि को जयपुर में बातचीत हुई लेकिन उनका रुख श्रमिकों के साथ सहानुभूति का दिखाई नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में यह सोचना पड़ेगा कि प्रबन्धक यदि श्रमिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं तो उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाय? ऐसी परिस्थितियां राजस्थान में कई कारखानों में देखने में आ रही हैं जो कि वास्तव में चिन्ता का विषय है, फिर भी वैधानिक तरीके से जो कुछ भी हो सकता है, किया जायगा। श्रम विभाग के पास इन मांगों को इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को सुपुर्द करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं रहता, लेकिन यूनियन इसके पक्ष में न होने के कारण अभी यह कदम नहीं उठाया गया है। मैं आशा करता हूं कि विवाद आपसी सद्भावना से, बातचीत या पंच निर्णय से शीघ्र तय हो सकेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्रीजी ने जो उत्तर इस सम्बन्ध में दिया है, उससे दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह कि 1 जनवरी 72 को जब कि यूनियन की तरफ से अपना मांग पत्र प्रबन्धकों को पेश किया गया और उसकी प्रतिलिपि श्रम विभाग को भेजी गई तो डेढ़ महीने तक श्रम विभाग ने कोई कंसीलियेशन प्रोसीडिंगस प्रारम्भ नहीं की। 1.1.72 से 15.2.72 को जाकर कंसीलियेशन प्रोसीडिंग शुरू की गई हैं। श्रम मंत्रीजी के उत्तर में जो दृष्टिकोण श्रम विभाग का इस सदन में यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले जो मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य दिया उसमें श्रम विभाग का दृष्टिकोण रखा है वह पूरी तरीके से मालिकों का दृष्टिकोण है कि इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला दे दिया था। उस फैसले के अन्तर्गत वेतनमान थे, सालाना प्रमोशन उसमें थे इसलिए सब मांगे फिजूल थी, हड़ताल करना गैरकानूनी था अगर इसलिए यह सब जो उन्होंने हड़ताल वगैरा की है यह उचित नहीं है। लेकिन स्थगन प्रस्ताव आने के बाद में श्रम मंत्रीजी ने ध्यान दिया इस बात के लिए तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने खुद इण्टरवीन करके सारे मामले की जानकारी की। मुझे मालूम नहीं था कि इसका उत्तर देने में इतनी देर क्यों हो रही थी, मंत्रीजी अभी बातचीत पूरी नहीं कर पाए हैं लेकिन आपने इस बात को माना है अपनी बात करने के बाद कि प्रबन्धकों का रुख सहानुभूति का नहीं है। श्रम मंत्रीजी ने प्रबन्धकों को यह कहा कि इन 22 वर्कर्स को जिनको केवल हड़ताल करने के कारण आपने नौकरी से निकाल दिया उनको सब को वापिस रख लें और तमाम मांगों को पंच फैसले के लिए आप सुपुर्द कर दें। आपने यह भी कहा कि मालिकों का रुख इस बात को स्वीकार करने का नहीं मालूम पड़ता और इसलिए उनकी श्रमिकों के प्रति हमदर्दी का रुख नहीं मालूम पड़ता। और जो आपने एक डिसपेशनेट तरीके से सारी समस्या को समझ कर जो राय आपने दी, उसको प्रबन्धकों ने ठुकरा दिया, उसको प्रबन्धकों ने नहीं माना। पहले

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तो मैं यह पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका यह विभाग, आपसे नीचे जो लोग हैं, जिन्होंने इसको हैंडिल किया, आपका दृष्टिकोण इस बारे में यह है कि 22 श्रमिकों को काम पर लिया जाय और बाकी मामला पंच फैसले के सुपुर्द किया जाय। मैं यह कहना चाहूंगा कि यूनियन शुरू से इस बात को कहती रही है कि हम पंच फैसले के लिए तैयार हैं। मीडियेशन के लिए बैठ कर, बात चीत के जरिए फैसला हो तो हम उसके लिए तैयार हैं या किसी को बीच में डाल कर फैसला दे दिया जाय उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन मालिक लोग इस मामले को इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भिजवाने के पक्ष में हैं ताकि वे लोग कानून दाव पेचों के जरिए, डिस्ट्रक्टिव टेक्टिक्स इस्तेमाल कर इस तरह से वर्षों तक इस मामले को टाल दिया जाय, वर्षों तक यह मामला वहां घूमता रहे और वे इसको छिन्न भिन्न कर दें। यहां पहले भी जो इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अन्दर फैसले हुए, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें भी कई वर्ष निकल गए और कई वर्षों के बाद कई बार ऐसा होता है कि मंहगाई कितनी बढ़ जाती है कि जिस समय मजदूर अपनी मांग रखते हैं, तीन वर्ष बाद जब उस पर फैसला होता है तो वह मांग और आगे चली जाती है और यह सब मांगें पुरानी पड़ जाती हैं, इसलिए इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इस रूप में बिल्कुल बेकार हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न केवल सेवाश्रम के मजदूरों का ही नहीं बल्कि आज हिन्दुस्तान के तमाम मजदूरों का है। तमाम केन्द्रीय मजदूर संगठन इस बात को सोच रहे हैं कि यह आपका जो कंसीलियेशन प्रोसीडिंग्स का तरीका है, आपका इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का तरीका है यह मालिकों को पनाह देने का तरीका है, यह मालिकों के हित में जाता है और इस तरह से यह तमाम और से मांग की जा रही है, या तो इण्टक के द्वारा, एटक के द्वारा, एच. एम. एस. और सीटू सभी की तरफ से मांग की जा रही है कि यह जो प्रजेंट कौंसिलियेशन प्रोसीडिंग्स का तरीका है, यह इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का तरीका है या लेबर कोर्ट्स का तरीका है ये लेबर आफिसर्स हैं, इस तमाम को हटा दीजिए और जो मजदूर और मालिक हैं इनको आप खुला छोड़ दीजिए। वे अपने आप पंच फैसले के जरिए या अपनी अनुपातिक शक्ति के जरिए वह फैसलों को लागू करवा लेंगे, अपनी मांगों को मनवा लेंगे अगर गवर्नमेंट जबरदस्ती पुलिस का हस्तक्षेप करके मालिकों को संरक्षण न दें। यही एक कारण है जिसकी वजह से मालिकों का अपर हैंड रहता है और मालिक पुलिस के जरिए न्यू हैंड्स को रिक्रूट करके हड़ताल तुड़वा देते हैं। अभी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की हड़ताल हुई उसमें पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया गया, यह एक अच्छी परम्परा कायम की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से मजदूरों और मालिकों के झगड़े के अन्दर भी जब तक ला एण्ड आर्डर का प्रश्न पैदा न हो जाय पुलिस का किसी तरह से उपयोग नहीं करेंगे। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस मामले में भी अगर पुलिस का उपयोग नहीं किया जाता तो मालिक इतने दिनों तक मजदूरों को बेरोजगार नहीं रख सकते थे। यह जो स्ट्राइक तीन महीने से चल रही है वह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

स्ट्राइक अब तक नहीं चलती बल्कि थोड़े ही दिनों में मामले का हल निकल सकता था। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल एक तरीका था इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से दकियानूसी फैसला कराने का लेकिन आपके खुद के डिपार्टमेंट का जो मालिकों के प्रति एटीट्यूड है कि पहले तो प्रोसीडिंग्स का इनिशियेटिव नहीं करना और कंसोलियेशन प्रोसीडिंग्स बाद में इनिशियेट भी करें तो पूरी तरह से मालिकों का पक्ष का समर्थन करना और मजदूरों के प्रति हमदर्दी दिखाने के लिए ढोंग रच देना।

उपाध्यक्ष महोदय, जो भी मांग है, उसको आप देखें कि आज उदयपुर के अन्दर इस किस्म के कारखानों में मजदूरों का मिनिममवेज 160 रुपया प्रतिमास है और इस कारखाने में 115) रु० प्रतिमास मजदूरों का है। उनको पांच साल के बाद दो रुपया सालाना तरक्की दी जाय। मैं समझता हूं कि आज से 20 वर्ष पहले इस प्रकार की बात हो सकती है लेकिन आज जो इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इस तरीके का फैसला दे दें तो इसको कोई मजदूर संगठन मंजूर नहीं करेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसलिये आज जो आपने सुझाव मालिकों के सामने रखा है, मालिक उसको मानने के लिये तैयार नहीं है। अगर मालिक उसको मान लें तो मैं समझता हूं कि जैसा कि आपने खुद ने कहा है, मजदूरों की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है कि वे पंच फैसले को मान लेंगे और वे अपनी इस स्ट्राइक को वापिस लेने को तैयार हैं। उनके बाईस मजदूरों को वापिस ले लिया जाय। उनका विक्टीमाइजेशन नहीं किया जाये। इससे ज्यादा कन्सलेटरी मूड और क्या हो सकता है ? वे रोटी रोजी की मांग करते हैं। आज इस कारखाने के अन्दर एक सौ चार मजदूर काम करते हैं। एक सौ चार मजदूरों को सब को मिला कर करीब ग्यारह हजार की पगार मिलती है और एक जो डाईरेक्टर है उनके ऊपर वह उतना ही खर्च करता है जितना कि एक सौ चार मजदूर करते हैं। अगर मजदूर थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हैं, अवकाश की मांग करते हैं, बढ़ोत्तरी की मांग करते हैं और उस पर इस तरह का रवैया अपनाया जावे तो यह खेदजनक है। मैं श्रम मंत्री महोदय से कहूंगा कि अगर मालिक किसी तरीके से आपकी राय को नहीं माने, आपके रखे हुए सुझावों को मन्जूर नहीं करे तो आप होम डिपार्टमेंट को रिक्वैस्ट करें आप उनको कहें कि मालिक जिद्दी है, वह अनुचित रुख अपना रहा है, इसलिये पुलिस का इमीडियेट इन्टरफियेरेन्स बंद कर दें। पुलिस के जरिये ट्रकों के अन्दर मजदूरों को बिठा कर के उनको ले जाया जाता है और इस तरह से हड़ताल तोड़ने का प्रयत्न कराया जाता है। यह एक इनडाईरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से मालिकों को हैल्प है। इसको तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये। दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट के पास में पावर्स हैं, आपका स्टेच्यू है, उसके तहत कन्डीशन आफ सर्विस ले डाउन कर सकते हैं, इस स्टेच्यू के तहत जिसे इस अगस्ट हाउस ने पास किया है। इस मामले में मजदूरों की मांग, वेतन स्तर की मांग उचित है। उसको लागू करते हुए डाइरेक्शन आप मालिक को दे दे सकते हैं कि ये तनख्वाहें देनी पड़ेगी और इसके आधार पर कारखाना चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि श्रम मंत्रीजी ने जिस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तरह का सही रुख अपनाया है, मालिक परस्त जो आफिसरस् है उनकी वे तब्दीली करेंगे, उनकी छुट्टी करेंगे, वे मजदूरों के हित में काम नहीं कर सकते हैं। वे बड़े लोगों का काम कर सकते हैं। इसलिये आप अपने डिपार्टमेंट को पर्ज करिये इन मालिक परस्त आफिसरों को छुट्टी देकर। बार बार डिपार्टमेंट को शिकायत होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे और इन सुझावों के आधार पर आप एक्शन लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को यह निवेदन करना है कि जो उत्तर हमारे श्रम मंत्रीजी ने दिया है उससे ऐसा लगता है कि मजदूरों की शांति-पूर्ण तरीके से अपनी मांग मनवाने की मांग थी। उन्होंने अपनी मांगों का नोटिस जनवरी में दिया था तो क्या कारण था कि श्रम विभाग ने इसको इतने लम्बे अर्से तक लटका रखा। अनेक मसलों के अन्दर मैं देख चुका है, क्योंकि ट्रेड मूवमेंट में काम करते हुए मुझे 45 साल हो गये हैं, श्रम विभाग, हमेशा हर मामले को इसी तरीके से टालने का रास्ता अपनाता है। बाद में जब मामला तुल पकड़ने लगता है तो ऐसी कार्यवाही करते हैं जिससे मालिकों को फायदा होता है और मजदूरों को फायदा नहीं होता है। श्रम विभाग ने समय पर कार्यवाही की होती और समझौता वार्ता की जाती तो यह फैसला हो जाता। मजदूर संघ पंच फैसले को मानने के लिये तैयार था। तो कोई कारण नहीं कि समझौता वार्ता क्यों नहीं चलाई गई और मामले को पंच फैसले के लिये सुपुर्द क्यों नहीं किया गया? इसके विधान में यह प्रावधान है कि चाहे तो मामलों को पंच के सुपुर्द करवा सकते हैं। इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्युनल के सामने मजदूर नहीं जाना चाहते हैं। मेरा यह निवेदन करना है कि इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्युनल के सामने आज कोई श्रम संगठन जाने को इसलिये तैयार नहीं है और इसका कारण यह है कि हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं है। उसके द्वारा लम्बे समय तक मामले को उलझाया जाता है। अगर आप इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्युनल की जांच करें तो पता लगेगा कि कितने मुकद्दमे वहां पर पड़े हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्रम की सामान्य नीति पर तो काफी लम्बे समय तक बोला जा सकता है।

श्री केशरीमल : यह उसी से ताल्लुक रखता है। आज इक इस मामले को पंच के सामने नहीं भेजा गया है। इसके पीछे क्या कारण है। मैं यह कहता हूं कि संक्षेप में ही यहां पर कह देना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्युनल का बड़ा काम है। कई लोग रिटायर हो गये और दूसरी ट्रिब्युनल नहीं बिठाई गई है। जिन जिन इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्युनल की स्थापना होनी चाहिये थी उसको टाल रखा है। लेबर कोर्ट की कार्यवाही आज एक ही आदमी कर रहा है। खैर मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन यह सही है कि पांच पांच साल तक मुकद्दमों का फैसला नहीं होता है, लम्बे समय तक चलते हैं। इसलिये जब भी हड़ताल होती है तो मजदूर पंच फैसले को तैयार होते हैं क्योंकि वहां पर मामला जल्दी निबटता है। इसलिये कोई मामला लम्बा नहीं चलना चाहिये।

(श्री केसरीमल)

इससे अपील होने की गुंजाइश कम हो जाती है। इस मामले को इस तरह से नहीं भेजा गया। समझौता वार्ता नहीं चलाई गई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई संगठन यह मांग करता है कि हमारी यूनियन को मान्यता दी जावे। तो क्या कारण है कि श्रम विभाग और राजस्थान सरकार इस प्रकार के कोई नियम नहीं बना सकती कि इन लोगों को किस प्रकार से मान्यता दी जावे। इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट में यह प्रावधान कर रखा है कि जो मजदूर संगठन काम करते हैं और मान्यता का प्रश्न उठावे तो वोट के जरिये मजदूर यह तय कर दें कि वे कौन से संगठन को चाहते हैं और उस यूनियन को मान्यता मिले। यह हल नहीं किया जा रहा है और झगड़े होते हैं। यहां पर जो व्यवस्था की गई है। इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल ने एक फैसला दिया है और वह ताज्जुब से भरा हुआ फैसला है। एक मजदूर को पांच साल के बाद दो रुपये की तरक्की मिलेगी। ट्रिब्युनल में बैठने वाले जो जज लोग हैं वह इस तरह का फैसला देते हैं, तो उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा यह निवेदन करना है कि इस मामले में उन्होंने जो मांग की है, वह ऐसी कोई मांग नहीं थी जिसको कि स्वीकार करने में कोई दिक्कत होती हो, जो भी पंच फैसला हो जावे, वह मान्य हो इसके पीछे यही राज है। इसको नहीं मानने के पीछे यह राज है कि इससे मजदूर पस्त हिम्मत हो जाये और आगे कोई मांग नहीं करे और जब अदालत का फैसला होगा तब तक तो परिस्थितियां चेन्ज हो जायेंगी। लेबर डिपार्टमेंट मालिकों के हित में चलता है और इस तरह से काम करने का प्रयास करता है। जिस मामले में मजदूर जल्दी बात करना चाहते हैं लेबर डिपार्टमेंट उसको उलझाने की बात करता है और जहां मालिक जल्दी करने की बात करता है वह कोशिश करते हैं कि जैसा मालिक चाहे वैसा कर दे। श्रम विभाग स्वयं मामले को उलझा रहा है और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है और हमारा श्रम विभाग वहां पर पुलिस को भेज कर इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करवा रहा है। पुलिस उनको मदद कर रही है ताकि मजदूर बेकार बैठे रहें। यह हमारी सरकार का निकम्मापन है। मेरा निवेदन है कि इस मामले को फौरन पंच फैसले के लिये सुपुर्द किया जाये। मजदूरों की मांगे पूरी करने की व्यवस्था की जाये। साथ ही वहां पर जो पुलिस जाती है उसको हटाया जाये और जो वहां का व्यवस्थापक है उसका रुख किसी तरह से बात करने का नहीं है तो हमें बहुत से ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जिसके अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये। अब उस कारखाने को चालू कराने के लिए सरकार ऑर्डर दे सकती है। इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अमेन्मेंट में उस कारखाने को अब तक बन्द रखा और चालू कराने का आर्डर नहीं दिया। तनख्वाहें दिलाने का आर्डर सरकार दे सकती है, लेकिन समझ में नहीं आता कि वह क्यों नहीं करती है। हड़ताल चलाने के लिए और पैदावार घटाने के लिए मालिक अपने ढंग से इम्मोरल काम करें और सरकार उनकी मदद करे और मजदूरों की मदद न करे, यह बात समझ में नहीं आने वाली है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री केदारनाथ : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ऐसे मजदूर आन्दोलन में इतनी लम्बी हड़ताल और वह शान्तिपूर्ण हो, तो

(श्री केसरीमल)

यह मजदूरों को दाद देने की बात है, वर्ना इतनी लम्बी हड़ताल में कभी भी शान्ति नहीं रह सकती है। आपकी तरफ से आफिसर्स नहीं गये, सेटलमेंट का प्रस्ताव नहीं गया और आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढंग से चल रहा है तो मजदूरों के हित में सरकार को सोचना चाहिए। अमूमन यही हुआ करता है कि जिस दिन हड़ताल शुरू हुई तो उस दिन की सर्विस कन्डीशन्स को वहां पर ले डाउन करना चाहिये। जो मजदूर निकाले गये और जिनके मामले ट्रिब्यूनल को रेफर किये गये हैं वे सारे काम पर हों और जितने दिन हड़ताल पर रहे उसके पैसे के लिए और बाकी जो टेक्निकल मामले हैं उनको रेफर कर दे पंच को। अगर सरकार पक्के डिटरमिनेशन से इस तय कर दे तो मालिक की कभी हिम्मत नहीं, लेकिन आप यह करते हैं कि पहले तो उसको इल्लीगल स्ट्राइक करार देते हैं और पुलिस को भेजा करते हैं और फिर झगड़ा होता है। मालिक को मनवाने के लिए सरकार अगर डिटरमिनेशन से काम करेगी और जहां पर इस तरह के मामले हों तो आप इन्टरवीन करें और इस तरह के इन्स्ट्रक्शन्स आप दे दें डिपार्टमेंट को तो मालिक की हिम्मत नहीं हो कि वह पंच की बात न माने।

श्री गुमानमल लोढ़ा: माननीय मंत्रीजी, यह बताने का कष्ट करेंगे कि यदि मालिकों के साथ में उन्होंने मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उसके औचित्य को समझकर उनके साथ में बातचीत की और मालिकों का रवैया मजदूरों के विरुद्ध पाया गया तो क्या वे ज्ञात कारण थे कि जिसके कारण से सरकार ने इस हड़ताल को अवैध घोषित किया ? सरकार ने अपने वक्तव्य में कहा है कि यह हड़ताल अवैध है। इस सदन के अन्दर यह कहा है तो आपसे वे क्या अपेक्षा करते हैं ? एक ओर तो मंत्री महोदय कहे कि हड़ताल अवैध है और दूसरी ओर मालिकों के ऊपर दबाव डालकर मजदूरों के हित में तस्फिया कराया जा सकता है ? मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से हड़ताल की वैधता और अवैधता की यहां पर घोषणा न करें। यदि मानवीय मूल्यों के नाते गरीब मजदूरों को राहत दिलाने का प्रयास करें तो चाहे बजाज साहब के उद्योग का प्रश्न हो या किसी धन्ना सेठ के उद्योग का प्रश्न हो, उसको राजनीति से दूर रखकर करें। उसमें हो सकता है कि पुराने मंत्रियों के किसी तरह के हित हों और उनका दबाव हो, लेकिन यहां पर मैं मांग करूंगा कि मजदूरों को हर तरह से राहत देने के लिए इस हड़ताल को अवैध नहीं घोषित कर, मजदूरों के आर्तनाद और चीत्कार को सुनकर उनको राहत दिलाने का प्रयास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रम मंत्रीजी।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय उपाध्यक्षजी, इस संबंध में मैंने विस्तार से माननीय सदस्यों को सूचित किया। इसमें 2-3 पाईन्ट्स फिर उठाये गये हैं। एक तो यह है कि प्रोसीडिंग्स जो हैं वह देर से हुई। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि 4-2-72 को लिखा जवाब और मिला 7-2-72 और 15-2-72 को उन्होंने इन्टरवीन किया है। इसलिए मै समझता हूं कि बातचीत देर से करना समझ में नहीं आता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसी तारीख को मिला ?

श्री ओंकारलाल चौहान : 7-2-72 को और 15-2-72 को वह किया....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यूनियन का कहना है कि 1-1-72 को मांगपत्र की कापी के साथ लेबर डिपार्टमेंट को भेजा है और 4-1-72 को मिला तो बात समझ में नहीं आती है।

श्री ओंकारलाल चौहान : दूसरी बात जो विचार की गई है वह मालिकाना तौर की। मैं समझता हूं कि मैं अपने वक्तव्य में सबसे पहले यह निवेदन कर चुका हूं, और फिर माननीय सदस्यों के समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं खुले रूप से कि राज्य सरकार कोई मालिकाना रुख नहीं लेना चाहती और श्रमिकों के प्रति सहानुभूति रखती है, क्योंकि जितने भी कारखाने हैं यह देश के कारखाने माने जाते हैं, और देश के कारखानों में देश के मालिकों का जहां पर हक है वहां श्रमिक जो उसमें काम करते हैं उनका भी उतना ही हक बनता है, और मेरी यह मान्यता है और मैं यह चाहता हूं कि इस प्रकार के जो विवाद राजस्थान में चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाय और सुलझाने का पूरी तरह से प्रयास मैं कर सकूं। हो सकता है कि कुछ देरी लगे, लेकिन मेरी मान्यता है कि आपस में बैठकर समझ बूझकर इस प्रकार से निबटाया जाय कि जिससे मालिक और मजदूरों के बीच में एक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बना रहे और कारखाने चलते रहें। मगर इसके बावजूद मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कई मुद्दे मालिकों की ओर से आते हैं तो उन्हें भी निबटाया जा सकता है और इसके लिए उपाय सोचे जा सकते हैं कि किस प्रकार से उन कारखानों को चालू किया जाय।

श्रम विभाग के संबंध में कहा गया कि यहां पर ढिलाई बरती जाती है, काम करते नहीं हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हों और बराबर सतर्क हों। श्रम विभाग के अन्दर अगर ढिलाई कहीं होती है तो मैं स्वयं देखूंगा और आयन्दा आने वाले मामलों के प्रति दिलचस्पी लेकर काम करें और कहीं भी इस तरह की बात नहीं हों कि इस तरह के मसलों में देरी हो। इस बात को मैं स्वयं देखूंगा और इस बात का ध्यान रखूंगा कि श्रम विभाग पूरी जागरूकता और सतर्कता से काम करे।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में भी बता दें। यूनियन में जब सैन्ट-पर्सेन्ट लेबर हैं तो मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : लेबर डिपार्टमेंट ने दे दी है जिससे कि मान्यता मानी जाय और उन्हें देना चाहिए, लेकिन उनको विभाग की ओर से बाध्य नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि कुछ प्रश्न ऐसे जटिल हैं....

श्री रोशनलाल शर्मा : मान्यता देने के प्रश्न में क्या दिक्कत है।

श्री ओंकारलाल चौहान : मान्यता देने का सवाल मैनेजिंग बोर्ड पर आता है। श्रम विभाग ने मान्यता दे रखी है और मालिकों से भी कहा है कि मान्यता दें, लेकिन उनको बाध्य नहीं किया जा सकता।

मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की मिसालें हैं कि जिनमें हमारी श्रम नीति मालिक और मजदूरों के प्रति उलझी हुई

(श्री ओंकार लाल चौहान)

नजर आती है। जगह जगह इस प्रकार के झगड़े, जगह जगह इस प्रकार की बातें और जो मालिकों का रुख देखा जा रहा है तो मैं समझता हूं कि 22-5-72 को दिल्ली के अन्दर श्रम मंत्रियों की बैठक हो रही है, उसके अन्दर इस प्रकार के फैसले लिये जायेंगे। मान्यता के बारे में और लाक अप्स के बारे में जो इस प्रकार के सुझाव वहां पर प्रस्तुत हुए हैं कान्फ्रेन्स के द्वारा उन पर विचार किया जायगा कि किस प्रकार का इन मसलों के ऊपर साल्यूशन आता है और कैसे उनको हल किया जाय।

श्री रोशनलाल शर्मा : तीन महीने तो उनको घर बैठे हुए हो गये हैं और कितने महीने रहेंगे, यह तो थोड़ासा बता दें।

श्री ओंकारलाल चौहान: श्रम विभाग की ओर से इसके अन्दर ढिलाई नहीं बरती जा रही है।

श्री रोशनलाल शर्मा : जब आप समझते हैं कि पूरी शांति के साथ में हड़ताल चल रही है तो पुलिस क्यों इन्टरफियर करती है।

श्री ओंकारलाल चौहान : कोई पुलिस इन्टरफियर नहीं करती है।

श्री रोशनलाल शर्मा : हो रहा है!

श्री ओंकारलाल चौहान : अगर ऐसी बात होगी तो जानकारी ले लूंगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : पुलिस आगई है तो गृहमंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया (बून्दी) : माननीय श्रम मंत्रीजी कृपया बतायेंगे कि वह हड़ताल लीगल है या इल्लीगल ?

श्री ओंकारलाल चौहान: माननीय सदस्य ने, जो मैंने वक्तव्य दिया है उस समय ध्यान से नहीं सुना।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : आपने कहा है कि "जो इल्लीगल प्रतीत होती है"। इस बात को आप साफ तौर से बतायें क्योंकि यही तो खास मुद्दा है। सबसे पहले जब भी हड़ताल होती है तो गवर्नमेंट और मालिक हड़ताल को इल्लीगल करार कराने की कोशिश करते हैं तो इसके रीजन्स बता सकते हैं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं निवेदन कर रहा था, वास्तव में जिस प्रकार की स्थिति है वही मैंने निवेदन की है। फिर भी मेरा वह दृष्टिकोण रहा है और रहेगा कि उन श्रमिकों को वापिस लिया जाये और काम पुनः चालू हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी ही यह मामला निपट जाये। ताकि हड़ताल खत्म हो। मैं समझता हूं कि 104 श्रमिक हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : 104 ही हड़ताल पर हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : 104 ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय ......

श्री उपाध्यक्ष : विचार हो चुका है। वित्त मन्त्री जी।

अनुदान की मांगें

मांग सं. 2,3,4,5,6,7 व 46 का का प्रस्तुतीकरण

श्री चन्दनमल बैद : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 2, मुख्यशीर्षक 10 राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,67,13,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता चाहता हूं कि मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11 गाड़ियों को पर कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 24,02,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदत राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12 बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,06,15,000 रु. तक की राशि, जिसमें लेखा अनुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 5, मुख्यशीर्षक 13 अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,32,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 6, मुख्यशीर्षक 14-स्टाम्प्स के सम्बन्ध में 31 मार्च 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल की 8,12,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 7, मुख्यशीर्षक 15-पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में 31 मार्च 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,97,000 रुपये तक की राशि, जिसा जिसमेंलेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46, मुख्यशीर्षक था राज्य संघीय क्षेत्र

सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

के सम्बन्ध में 3 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 17,49,05,000 रु. तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है; प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मांगे प्रस्तुत हुई। कटौती प्रस्ताव।

मांग सं० 2, 3, 4, 5, 6, 7 व 46 पर कटौती प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा) :

1. मांग सं० 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग

Page No 78

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में शराबबंदी नहीं की गई इस पर चर्चा के लिये) ।

2. मांग सं० 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर लगाने के बुनियादी आधारों पर चर्चा के लिये) ।

3. मांग सं० 6, मुख्य शीर्षक 14–स्टाम्प्स के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्टाम्प्स कर निर्धारण के आधार बनाने पर चर्चा के लिये) ।

4. मांग सं० 46, मुख्य शीर्षक–था–राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा देय विभिन्न ऋण राशि के अनुदान में बंटवारे के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्रीमती भगवती देवी (भिनाय) :

5. मांग सं० 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मद्य निषेध लागू नहीं की गई इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री नाथूराम (बागीडोरा) :

6. मांग सं० 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी कर की वसूली में शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

7. मांग सं० 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराबबन्दी की घोषणा को सरकार द्वारा वापस लिये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

8. मांग सं० 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोटरगाड़ियों पर कर की वसूली में शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

9. मांग सं० 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की वसूली की प्रणाली पर चर्चा के लिये) ।

10. मांग सं० 5, मुख्य शीर्षक 13–अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करों की चोरी की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

11. मांग सं० 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मद्य निषेध को क्रियान्वित करने हेतु चर्चा के लिये) ।

12. मांग सं० 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मद्य निषेध जिला जालोर में नाजायज शराब की बिक्री पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

13. मांग सं० 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

100 रुपया कम कर दिया जाय (यातायात विभाग विशेषकर आर. टी. ओ. आफिसेज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

14. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11- गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में कच्चे रास्तों पर यात्री गाड़ियों की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

15. मांग सं० 4, मुख्य शीर्षक 12- बिक्री कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर एवं भंडार फ्लाईंग स्क्वेड को एसेसमेंट एवं सीजर की शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री महेन्द्र कुमार (पाडवा) :

16. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10- राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्र में शराबबन्दी के निर्देशों का राज्य कर्मचारियों द्वारा उल्लंघन किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

17. मांग सं० 4, मुख्य शीर्षक 12- बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विलास की वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य कर जिनका प्रभाव किसानों पर पड़ता है उस पर चर्चा के लिये) ।

18. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14-स्टाम्पस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासियों को न्यायालयों में वाद प्रस्तुत करने पर स्टाम्प्स ड्यूटी में रियायत देने पर चर्चा के लिए) ।

19. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15-पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासियों को पंजीयन शुल्क में रियायत देने पर चर्चा के लिए) ।

श्रीमती निर्मलाकुमारी (चित्तौड़गढ़) :

20. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मद्य निषेध अब तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किए जाने पर चर्चा के लिए) ।

श्री जयकिशनलाल (फागी) :

21. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय आबकारी कर सम्बन्धित विवाद के मामलों को विभाग द्वारा शीघ्र निपटाने हेतु चर्चा के लिए) ।

22. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर निर्धारण की राज्य सरकार की दोषपूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिए) ।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन):

23. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर कालोनी

(श्री नंदलाल बैरवा)

में सरकारी दुकान द्वारा शराब की बिक्री किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

24. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में नशाबन्दी नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

25. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में शराब की कीमत तय किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

26. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वेतन के दिन शराब की दुकानें बन्द नहीं रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

27. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13 अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोटर गाड़ियों के टिकटों पर समय पर कर वसूल न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

श्री भैरूलाल (अकलेरा):

28. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10 राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कर कर दिया जाय (देशी शराब या तो कतई बन्द किया जावे या इस पर लगने वाले कर में कमी की जाने हेतु चर्चा के लिए)।

29. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12 बिक्री कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों द्वारा पैदा किये जाने वाली वस्तुओं पर बिक्री कर की दरें कम किये जाने हेतु चर्चा के लिए):

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):

30. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10 राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रेल, 1972 को सम्पूर्ण शराबबन्दी के निर्णय की योजना के उपरान्त भी उसके क्रियान्वयन न करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

31. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10 राजकीय सरकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर एवं जालोर जिलों में शराबबन्दी की जा चुकी है, परन्तु आबकारी विभाग द्वारा उसके क्रियान्वयन में निष्क्रियता एवं उदासीनता बरती जा रही है जिसके कारण दोनों जिलों की जनता में घोर असंतोष है इस पर चर्चा के लिए)।

श्री बनवारीलाल (निवाई):

32. मांग संख्या 2 मुख्य शीर्षक 10 राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय आबकारी कर की वसूली में होने वाली अनियमितता पर चर्चा के लिए)।

33. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12 बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर विभाग द्वारा दुकानदारों को परेशान किये जाने हेतु चर्चा के लिए।)

श्री किशन मोटवानी (अजमेर):

34. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10 राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देशी शराब के ठेकों की सार्वजनिक एवं संरक्षण जगहों के पास स्थापना व वहीं पर बैठाकर पिलाने की बाबत चर्चा के लिए)।

35. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12 बिक्री कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कामर्शियल टेक्सेशन का स्पेसिलाइज्ड केडर बनाकर इस विभाग के पदाधिकारियों की स्क्रीनिंग करवाकर विभाग को सुचारु रूप से चलाने के बाबत चर्चा के लिए)।

36. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12 बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हाथ से बेकरी गुड्स बनाने वालों की प्रोडक्ट्स कर मुक्त कराने के बाबत चर्चा के लिए)।

37. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खादी व विलेज इंडस्ट्री एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त हाथ से साबुन बनाने वालों की बिक्री कर छूट वापस लेने के बाबत चर्चा के लिए)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):

38. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान पथ परिवहन निगम के बस अड्डों के पास से शराब के ठेके की दुकानों को हटाने पर चर्चा के लिए।)

39. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11 गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा मोटर गाड़ियों पर बढ़ाये जा रहे करों के अनौचित्य पर चर्चा के लिए।

40. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11 गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की मोटरगाड़ियों को परमिट देने की प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

41. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनाजों, दालों, हाथ से बनाये साबुन, हलवाइयों द्वारा बनाई मिठाई और नमकीन आदि पर बढ़ाये बिक्री टैक्स के अनौचित्य पर चर्चा के लिए)।

42. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14-स्टाम्पस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (भूतपूर्व बीकानेर नरेश और उनके भाई द्वारा गंगा टाकीज जयपुर की बिक्री में कम स्टाम्प लगाकर स्टाम्प टैक्स की चोरी की इस पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा):

43. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की वसूली की व्यवस्था और कानून के सरलीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री भगराज चौधरी (रानीबाड़ा):

44. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री भगराज चौधरी)

रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की चोरी को रोकने हेतु राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये) ।

45. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-था-राज्य संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा दिये जा रहे ऋणों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल):

46. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (बिक्री कर के निरोपण के आधार सही नहीं हैं इस पर चर्चा के लिए) ।

47. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (प्रशासनिक व्यय के अनुपात में कर की वसूली नहीं होने पर चर्चा के लिए) ।

48. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं को देय मनोरंजन कर के भाग निर्धारण के आधार पर चर्चा के लिए) ।

49. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक था राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगरपालिका को नगर विकास योजनाओं हेतु दिए जाने वाले ऋण पर चर्चा के लिए) ।

श्री चेतराम (टोडाभीम) :

50. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12 बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर का भार आम जनता पर पड़ता है जबकि अनुपात से धन वाले पर अधिक होना चाहिए इस पर चर्चा के लिए) ।

51. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बजट में लगाये गये बिक्री कर का प्रभाव गरीब जनता पर पड़ता है जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाता इस पर चर्चा के लिए) ।

श्री मीठालाल (लालसोट):

52. मांग संख्या 4 मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की सीमा पर वसूल किए जा रहे एडवांस-सैलसटैक्स को समाप्त किया जाने हेतु चर्चा के लिए) ।

53. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में वसूल किए जा रहे एडवांस सैल्स-टैक्स को समाप्त किया जावे इस पर चर्चा के लिए) ।

श्री जानमोहम्मद (पिड़ावा) :

54. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में

(श्री जान मोहम्मद)

पशुपालन विभाग द्वारा भराये जाने वाले मेलों में मवेशी बिक्री पर 5 प्रतिशत बिक्री कर पर चर्चा हेतु) ।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) :

55. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में बिक्री कर की बकाया रकम वसूल न करने के सम्बन्ध में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

56. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में बिक्री कर की चोरी न रोकने व बिक्री कर विभाग द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने पर चर्चा के लिए) ।

57. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बस मालिकों को बिक्री कर अधिकारियों द्वारा परेशान करने पर चर्चा के लिये) ।

58. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15 पंजीयन शुल्क के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसीलों में रजिस्ट्रेशन के समय लोगों को परेशान करने एवं समय पर रजिस्ट्रेशन न करने की समस्या पर चर्चा के लिये) ।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) :

59. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13 अन्य कर और महसूल के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार की कर वसूली संबंधी प्रणाली के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री गौरीशंकर (खानपुर) :

60. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14 स्टाम्प्स के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्टाम्प वेंडर्स के साथ किये जा रहे भेदभाव को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर):

61. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आनन्द आश्रम क्षेत्र व राजापार्क सिन्धी कालोनी, जयपुर में आवास हेतु मकान निर्माण के लिये दिये गये ऋण के आवंटन में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) :

62. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा कृषकों को प्रदाय किये जाने वाले पावर मीटर्स की समस्याओं पर चर्चा के लिये) ।

63. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले की ग्रामीण विद्युतिकरण की योजनाओं की समस्याओं पर चर्चा के लिये) ।

मांग सं० 2, 3, 4, 5, 6, 7, व 46 पर विचार एवं उनका पारण

श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बिक्री कर के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव दिया है। इस सम्बन्ध में माननीय वित्तमन्त्री जी ने बजट प्रस्तुत किया था। वित्तमन्त्री कोई भी हो लेकिन वह बिक्री कर को टटोले बिना नहीं रह सकता है। मैंने प्रयास किया कि विभिन्न राज्यों में जो बिक्री कर की दरें है वह प्राप्त हो जायें। मैंने इसके लिए यहां के बिक्री कर विभाग को पत्र लिखा लेकिन उसके बावजूद भी उनके विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं कर सका। यार्न पर 3% लिये जाने की घोषणा थी। पहले 1% था। उसका परिणाम यह होगा कि जो अब तक प्राप्त होता था, मैं समझता हूं कि उस मद में लगभग 10 लाख रुपया सालाना आय बिक्री कर में होती थी। वह आय अब 10 पैसा भी नहीं होगी। जयपुर में जयपुर स्पीनिंग मिल और राजस्थान स्पीनिंग मिल ये दो मिल हैं। जो यह उत्पादन करती हैं। इनके हैड आफिसेज बाम्बे में हैं।

श्री चन्दनमल बैद : वह यार्न वह यार्न नहीं है। यह सिन्थेटिक यार्न है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं निवेदन करूंगा कि वह अपना सारा माल बाम्बे को ट्रांसफर कर देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता था कि उनको यहां पर कठिनाई है, दिक्कत है। यहां के बिक्री कर में वह व्यवस्था नहीं है। हमें जो जानकारी इनके विभाग से मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली ताकि मैं सदन में यह कह सकता कि यहां पर पड़ोसी राज्यों में कितनी असमानता है। यहां का व्यापार चौपट हो रहा है। आप ने उनके ऊपर 15% कर दिया है। आप रुपया प्राप्ति करके, साधन बढ़ा कर हमारे प्रांत में जो दुविधाएं हैं उनको समाप्त करने का लक्ष्य है। लेकिन वह हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा था, बिक्रीकर सन् 54 या 55 में लगा है। उसके बाद लोगों की आदत बदली। लोगों के पास पैसा आया। पहले जो रेट्स थे, उनके मुकाबिले में 3 गुने हो गये हैं। जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको कहां प्राप्त कर पाये हैं।

मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि आय को बढ़ाने के लिए जिस जिस प्रकार के कदम उठाये जाने चाहिए थे, वह नहीं उठाये जा रहे हैं। यहां पर जो धन के असेसमेंट का जिक्र आता है जिससे कि 36 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। उसमें 10 करोड़ रुपया निश्चित रूप से उनकी जेब में जायेगा जो असेसमेंट से जांच करने वाले हैं। मैं इस सम्बन्ध में, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आय और साधन बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से बिक्री कर पर कर चढ़ाकर करना चाहते हैं, उस संबंध में मैं, सुझाव दे रहा हूं। आय के साधन बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। जब हम बिजली की छूट देते हैं। लाखों का कर्जा देते हैं। लेकिन उन्होंने राजस्थान को बहुत ही नगण्य बनाया है। जो बड़े बड़े कल और कारखाने चल रहे हैं, उनके हैड आफिसेज राजस्थान में होने चाहिए। आप 36 करोड़ साधारण आदमी से वसूल करना चाहते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

राजस्थान में हैड श्राफिसेज हों तो लगभग 4 करोड़ रुपया की राशि आप को प्राप्त हो जायेगी। मैं यहां के विभागों के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। यहां पर जो व्यक्ति हैं वह कन्फर्म भी नहीं हैं। उनको सहायक वाणिज्य अधिकारी नियुक्त रखा गया है। ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए जो कि परीक्षा में बैठ सकें। एक क्लेरीकल जोब के व्यक्ति से यह सम्बन्धित न रहे। इस सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर जो आयकर अधिकारी हैं, वह लगभग 200 केसेज निपटाते हैं। उनका कोटा 200 केसेज निपटाने का है। इसमें बिक्री कर के अधिकारी आन एन एवरेज पचास-साठ केसेज को निपटाते है, मैं निश्चित रूप से यह निवेदन करता हूं कि तीन सी. टी. ओ. थे वहां आज दस के करीब काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, उसके बाद भी असेसमेंट करने के लिए केसेज वर्षो तक पड़े रहते हैं लेकिन असेसमेंट नहीं होता है। मेरा निवेदन है, विलम्ब करने की जो नीति है इसको बदला जाय। आज जिस प्रकार आय कर अधिकारी दो सौ के करीब केसेज निपटाते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिक्री कर अधिकारी को भी पाबन्द किया जाय कि दो सौ केसेज के आस पास हर महीने वह निपटाये।

मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन और करना चाहता हूं, आज आम व्यापारी को इस बात की शिकायत है कि उसके यहां कर के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकारी जाते हैं तो साधारण व्यापारी को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता हैं। बड़े व्यापारी के सम्बन्ध में, जैसे मैंने डी.सी.एम. का प्रश्न परसों उठाया था, उनके बारे में, मैं निवेदन करूंगा, उनके यहां कभी अधिकारी नहीं पहुंचते हैं, कभी कोई बात नहीं होती है। आम आदमियों को, मैं निवेदन करता हूं, हलवाइयों को इस बात के लिए असंतोष है और उसका मुख्य कारण यह है, वह मान कर चलते हैं कि हर छोटे आदमी को यह अधिकारी, कर्मचारी परेशान करेंगे। हलवाइयों से आप कितना कर प्राप्त कर सकेंगे या नहीं यह अलग बात है। यह बात निश्चित है कि गांव गांव में एक एक किलो बर्फी मुफ्त में इन्हें दिलवाने का आप प्रबन्ध कर देंगे। मैं निवेदन करता हूं कि हलवाइयों पर जो टैक्स लगाया है उसके सम्बन्ध में आप दुबारा सोचें, और जो सराफे पर टैक्स लगाया है और जो भी टैक्स है, उनके संदर्भ में, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब सारे राज्यों के अधिकारियों, पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों और मंत्रियों की बैठक में निर्णय लिया गया था, सब राज्यों में कर की दर समान रहेगी। मैं मान कर चलता हूं, आज भी दिल्ली में टैक्स की दर है, उत्तर प्रदेश में जो दर है उसके मुकाबले में राजस्थान के अन्दर दर ऊंची है, और ऊंची होने का परिणाम, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है, मैंने निवेदन किया रेफ्रीजरेटर के सम्बन्ध में, जैसा मैंने निवेदन किया, यार्न के संबंध में, आपने कर दिया 1 का 3 पर्सेन्ट लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस संबंध में आप सोच समझ कर निर्णय लें तो मेरा ख्याल है, राज्य की आय बढ़ाने के अच्छे जरिये रहेंगे और आम आदमियों को परेशानी नहीं रहेगी। इसके अलावा राज्य के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि के बारे में थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा, जयपुर शहर में तीन सी.टी.ओ. है, 6 ए सी.टी.ओ.

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

थे, वहां अब 10 सी. टी. ओ. हैं और 60 ए सी. टी. ओ. हैं। इससे जहां व्यापारियों को परेशानी होती है, वहां प्रशासन का खर्च भी बढ़ा है। आफिसर्स के पास काम है, उसके संबंध में मैंने निवेदन किया कि आयकर विभाग के प्रत्येक अधिकारी के पास कितना काम है। लेकिन जयपुर जिले में यह आम शिकायत है कि ए.सी.टी.ओ. है और सी.टी. ओ हैं यह बिना पैसा लिये असेसमेंट नहीं करते और बहुत कम असेसमेंट के केसेज करते हैं। इसके संबंध में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले एक साल के अन्दर कितने फैसलों के खिलाफ अपील हुई है ? और कितनी ऐसी अपील आई है जिनमें सहायक वाणिज्य कर अधिकारी के खिलाफ आक्षेप लगाये हैं अपील अधिकारी ने ? और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? आय कर विभाग का कानून है, जैसा मैंने निवेदन भी किया, अपील अधिकारी जिनके खिलाफ रिमार्क लगाते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। तो जिस प्रकार आय कर विभाग में आफिसर्स पर पाबन्दी है उसी प्रकार बिक्री कर अधिकारियों को पाबन्द नहीं किया जाता है। जिन के असेसमेंट के निर्णय पर अपील अधिकारी आक्षेप होते है, मैं निवेदन करना चाहता हूं. मंत्री महोदय इस पर भी अपना ध्यान रखें, जिन ए सी. टी, ओ. के फैसले के खिलाफ टी.सी.ओ. ने अपना फैसला दिया है, आपत्ति की है या आक्षेप लगाया है उसका ध्यान में रख कर कभी उन्हें तरक्की का मौका नहीं दिया जाय।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, एक आम दिक्कत है कि बिक्री कर विभाग का एक कार्यालय जलेब चौक में है, दूसरा रामबाग रोड़ पर है, तीसरा अस्पताल के पास में है। यह तीनों कार्यालय एक जगह पर स्थित होने चाहिए ताकि आम आदमी को दिक्कत नहीं हो।

एक दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप आय कर विभाग में जाइये तो वहां पर जो फार्म भरा जाता है, उसको भरने में वहां का आदमी गाइड करेगा, किस ढंग से फार्म भरना है, जिस तरह से फार्मलिटी पूरी करनी है। लेकिन बिक्री कर विभाग में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो व्यक्ति टैक्स चुकाता है उसके बैठने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। उसको कई घण्टे तक धूप में खड़े रहना पड़ता है। इसलिए आम लोगों की भावना है, आय कर को वह दीवानी के मुकद्मा मानते है। तो बिक्री कर को क्रिमिनल केसेज मानते हैं। तो जिस प्रकार का वातावरण है, जिस ढंग से व्यवहार किया जाता है व्यापारियों के साथ मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि वह उचित नहीं है। आज जो करदाता है उसको उचित सम्मान मिलना चाहिए।

आज जो कर में चोरी होती है, जो गड़बड़ी की जाती है उसको रोकने का रास्ता तो है लेकिन वह आपके अख्तियार की बात नहीं है क्योंकि वह लोग मिल जुल कर व्यवस्था कर लेते हैं, आपस में उनके निर्णय हो जाते हैं, आपस में निगरानी हो जाती है और वह अपील में जाते नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को थोड़ा आप देखें ताकि जो टैक्स में चोरी होती है, उस चोरी को रोकने के लिए आपने जो विभाग कायम किया है, उस विभाग में आज तक जो कुल खर्चा हुआ है, उसके बाद उसने कितनी चोरियों को पकड़ा

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

है ? उस विभाग को कायम करने के बाद उसके बिक्री कर की कितनी आय बढ़ाई है यह मैं जानना चाहता हूं । और मैंने जैसा निवेदन किया था, जो अलग अलग जगह विभाग हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) पांच मिनिट मैं और निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है कि साढ़े चार बजे मुखबन्द है ।

श्री चन्दनमल बैद : उससे पहले गवर्नमेंट का रिप्लाई होना है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पांच मिनिट मैं और निवेदन कर दूं, उससे ज्यादा टाईम नहीं लूंगा ।

सारे विभाग एक जगह हों, यह मैंने सुझाव तो दे दिया है । आप कह सकते हैं कि जगह की कमी है । मैंने दो तीन दफा पहले कहा है, जहां इनका आफिस है उसके पीछे आतिश की बिल्डिग है, वहां पर बिल्डिग बना कर यह कार्यालय वहां स्थानान्तरित कर सकते हैं । वह बिल्डिग सरकार की है, सरकार का उस बिल्डिग पर कब्जा हो जाना चाहिए था, वह आज तक नहीं किया गया है । मैं निवेदन करता हूं, उस बिल्डिग पर कब्जा करके तुरन्त वहां बिल्डिग ठीक तरह से बनानी चाहिए और तमाम बिक्री कर के आफिसेज को वहां स्थानान्तरित कर देना चाहिए । बिक्री कर को देने वाले हैं उनको आपको सुविधा देनी चाहिए । मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि समय नहीं है, लेकिन एक बात अवश्य निवेदन करूंगा ....

श्री उपाध्यक्ष : फाइनेंस बिल अलग से आ रहा है, उस समय इस सम्बन्ध में कहने का आपको मौका मिलेगा ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दो मिनिट में अर्ज कर रहा हूं ।

मैं निवेदन कर रहा था कि वांचू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिक्री कर की दर बढ़ती है उसका परिणाम होता है कि काला धन अधिक मात्रा में पैदा हो जाता है । लोग टैक्स की चोरी करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल नहीं, दस एग्जाम्पल दे सकता हूं । उदाहरण के तौर पर गोटे पर मंत्री महोदय ने टैक्स लगाया था; वह छः पर्सेन्ट था, हमने उसको दो पर्सेन्ट करवाया इस गारन्टी के साथ करवाया कि जितनी वसूली छः पर्सेन्ट से होती है उससे ज्यादा वसूली हो जायेगी । अगर हो जाय तो आप कहें बाकी फिर चाहें तो बढ़ा दें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो पर्सेन्ट से ही ज्यादा आमदनी हो गई ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की आय का सबसे बड़ा स्रोत है वह बिक्री कर है । इस कर को इस प्रकार से लेना चाहिए कि आम आदमी यह महसूस न करे कि उसको तंग किया जा रहा है । आज की हालत यह है , इसको आप बदलें मैं कहता हूं कि आप केवल 36 करोड़ की बात करते हैं, मैंने जैसा आपको निवेदन किया, जो डी. सी. एम. है, के.जे. सिन्थेटिक है, इनके अन्दर करोड़ों रुपये आप देते हैं, कर्ज देते हैं, इनका आफिस यहां है नहीं, उसके कारण आपको एक पैसे का भी लाभ नहीं है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इनके आफिस यहां हों तो उनके प्रोड्यूस पर आप

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

एक प्रतिशत कर लगा कर भी काफी आमदनी कर सकते हैं। लेकिन वैसा न करके आप हजारों लाखों व्यापारियों को अनधिकृत रूप से इन्सपेक्टर्स के हाथ में कर वसूल करने को छोड़ देना चाहते हैं जिनके बारे में मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा था कि मैं इन्सपेक्टर राज्य को खत्म करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूं, एडवान्स में टैक्स वसूल करने के बारे में कई बार चर्चा हुई है। यह बैंक डोर से कर वसूल करने के सम्बन्ध में वर्तमान वित्त मंत्री ने तो कहा ही है, भूतपूर्व वित्त मंत्री ने इस सदन में कहा था, एडवान्स में टैक्स लेना बन्द कर दिया जायगा। होता क्या है, अधिकारी ग्यारह महीने तक तो सोते रहते हैं, लेकिन मार्च के महीने में उनकी आंख खुलती है और एक एक व्यक्ति एक एक जगह धन बटोरने के लिए चला जाता है। दस आदमी जीप में जाकर खड़े हो जाते हैं और जबर्दस्ती व्यापारी को मजबूर कर देते हैं. कहीं से दो हजार का चैक लेते हैं, कहीं से पांच हजार का चैक लेते हैं, और अगर कोई नहीं देता है तो उसके बही और खाते जब्त कर देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस तरीके से तंग करने का और जो कर वसूल करने का तरीका है, जो एडवान्स में टैक्स लेने का तरीका है, इसके बारे में सदन में बहुत कहा जा चुका है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि इस एडवान्स टैक्स को वसूल नहीं किया जायगा। मैं आश्वासन नहीं चाहता, मैं तो इसको क्रियान्वित होते देखना चाहता हूं। यह नहीं हो कि मार्च के महीने में एक तरफ इस तरह धन बटोर लिया जाय और दूसरी तरफ ऐसी व्यवस्था की जाय (समय समाप्ति-सूचक घंटी) और जिसके अन्दर व्यापारी लोगों को अधिकृत रूप से परेशान किया जाय (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं एक मिनिट में समाप्त कर रहा हूं।

मुझे और भी टैक्सेज के बारे में कहना था लेकिन वित्त मंत्री जी से एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा। जो गोटा वर्क था, जो जुलाही का काम था, जिससे हजारों लोगों को काम मिलता था, रोजगार मिलता था, उन सारी चीजों को दिमाग में रखकर आपको टैक्स लगाना होगा। अगर आप राजस्थान को विकासशील बनाना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आपकी विभिन्न राज्यों में जो करों की दर है, जो करों की स्थिति है, उन सब बातों को ध्यान में रखकर टैक्स लगाना चाहिये वर्ना यहां का सारा धन्धा देहली और यू.पी. में चला जायेगा और बहुत से लोगों के सामने रोजगार का मसला खड़ा हो जायेगा।

आपको ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए जैसी हरियाणा के मुख्य मंत्री ने की थी। हरियाणा के मुख्य मंत्री ने वहां पर लोगों को बिठाकर बात की। आपने 36 करोड़ रु. का टार्गेट रखा है, आप 36 करोड़ रुपये के लक्ष्य के बजाय 40 करोड़ का, 45 करोड़ का लक्ष्य बनायें पर आप बिठाकर बात करें। आप ऑफिसर्स के दृष्टिकोण को छोड़ें और जनता के दृष्टिकोण को अपनायें। उन दिन तो मैं तैयार नहीं था, लेकिन मेरे पास आज प्रमाण हैं और मैं साबित कर सकता हूं कि डी.सी.एम. से राज्य सरकार को चार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। जे. के. सिंथेटिक्स के भी मेरे पास कागजात हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि कहां कहां

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

गफला हुआ है । आपका दिमाग हमेशा छोटे आदमी की तरफ ही जाता है, छोटे आदमी से कर वसूल करने के लिये आप हर उपाय ले लेते हैं, लेकिन जहां बड़े आदमियों का सवाल आता है तो आप यह कह देते हैं कि सीतलवाड़ से ओपीनियन ले रहे हैं और दफतरी का यह ओपीनियन है। जिस वक्त छोटे आदमी से कर वसूल करना होता है, उसके खिलाफ ऐक्शन लेना होता है, उस वक्त आप क्यों नहीं किसी वकील का ओपीनियन मांगते ? इस तरह से आप बड़े आदमी के साथ पक्षपात करते हैं। आज के समय में जब हम समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद की व्यवस्था करने जा रहे हैं, और लोगों को आगे बढ़ाना चाहते है तो आपको प्रोपर्टी टैक्स लगाना चाहिये। शहरी सम्पत्ति पर आप सीलिंग लगाने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहिये जैसा कि मद्रास ने किया है। प्रॉपर्टी टैक्स लगाते है तो सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी गई, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि करों की चोरी को आप रोकें और अपने अधिकारियों के व्यवहार को ठीक करें ।

अब मैं एक बात चैक पोस्ट के बारे में कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा क्योंकि आसन की तरफ से आदेश हो चुका है ।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट में आप खत्म करें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : चैकपोस्ट के बारे में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिस अधिकारी की नियुक्ति करेंगे वह एक साल के अन्दर दो लाख रुपये कमाकर दे, ऐसी व्यवस्था की गई है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो भी व्यवस्था आप को करनी हो, वह आप बैठकर बात करें। राजस्थान के लिये जिन करों की आवश्यकता है, वह करें जरूर होने चाहिए। और इसके लिए मैं यह भी कहूंगा कि जैसे राष्ट्रपति केनेडी ने करों को आधा कर दिया था तो उससे एक साल के लिये तो घाटा रहा लेकिन बाद में दुगुनी आमदनी होने लग गई। और जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, राजस्थान में जब आपने 6 प्रतिशत की बजाय दो प्रतिशत कर दिया तो आपको दुगुनी कमाई हो रही है। तो आज जो जगह जगह से आपके पास डेपुटेशन्स आ रहे हैं, हलवाइयों का डेपुटेशन आ रहा है, टैम्पो वालों का डेपुटेशन आ रहा है....

एक माननीय सदस्य : शराब वालों का भी आ रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : शराब की नहीं शराब के लिये भी सभी सदस्यों ने मांग की है। महिला सदस्यों ने भी मांग की है। हो सकता है उस वक्त माननीय मंत्रीजी, भाभीजी से लड़कर आये थे, इसलिये उन्होंने नहीं माना। जेवरात के लिये यहां हर महिला सदस्या ने कहा था, गांवों से आने वाले हर माननीय सदस्य ने यह मांग की थी कि जो जेवरात गरीब लोग पहनते हैं उन पर टैक्स नहीं होना चाहिए। सोने पर, सोने के बर्तनों पर और चांदी के बर्तनों पर जो बड़े आदमियों के काम में आते हैं, उन पर आप टैक्स डालें तो कोई बात नहीं, लेकिन चांदी के जेवरात जो गांव की महिलाएं पहनती हैं, गरीब महिलाएं पहनती हैं, उन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

पर टैक्स नहीं होना चाहिये। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने पड़ोसी राज्यों के समान ही अपने टैक्सेज रखें नहीं, तो यहां का सारा बिजिनेस बाहर चला जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टैक्सेशन विभाग की डिमांड जो सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है, उसके बारे मे, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान सेल्स टैक्स एक्ट के अंतर्गत बने रूल्स की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले समय में जब टैक्स रिकवरी मे डिफीकल्टीज आती थी असेसमेंट और सीजर के समय तुरन्त वसूली की जाती थी, उसमें राज्य सरकार ने समय समय पर अमेन्डमेंट्स किये हैं। लेकिन रूल्स के कम्प्लीकेटेड होने से और कानून के अन्दर डिसक्रीशन जहां असेसमेंट और सीजर के बारे में दिया जाता है तो उनमें चोरी होती है, राज्य सरकार को जितनी आमदनी होनी चाहिए वह नहीं होती है, और राज्य अधिकारियों की जेब भरी जाती है। तो, उपाध्यक्षजी, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने जिक्र भी किया है, अपने बजट भाषण में भावना भी व्यक्त की है कि टैक्स इवेजन के लूपहोल्स को हटाकर सभी से टैक्स की वसूली की जायेगी। कोई भी नया टैक्स नहीं लगाते हुए भी यदि जो टैक्सेज पहले से लागू हैं उनमें कानून की खामियां दूर करके, कानून की कमजोरियां दूर करके, अगर वसूल की जायें तो ज्यादा वसूली हो सकती है। इसके बारे में राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए और टैक्स रूल्स को सिम्प्लीफाइ करना चाहिए। छोटे-छोटे व्यापरियों को आपके सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर्स और ऑफिसर्स परेशान करते है। हमारा यह अनुभव रहा है कि जहां पर भी आपने टर्नओवर की बात रखी है, वहां ऐसी स्थिति में यह कर चोर लोग आपके टैक्स की वसूली नहीं करते। तो आपको डिस्क्रीशन की बात बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए।

इसके अलावा दूसरे करों में जहां भी आपने स्लेब सिस्टम किया है, लम्पसम टैक्स की वसूली की है, वहां तो आपको आमदनी हुई है, लेकिन बाकी कई जगहों पर आपके टैक्स वसूली का खर्चा आपकी टैक्स आमदनी से ज्यादा हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप विभाग को सतर्क करें और जो टैक्स रूल्स में लूपहोल्स हैं उनकी तरफ, जैसा कि मैंने निवेदन किया, ध्यान दें।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा जो भी इस साल आपने टैक्स लगाये, उनके रेट्स की यदि नेबरिंग स्टेट्स के रेट्स से कम्पेरीजन करें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि राजस्थान के रेट्स बहुत ही ज्यादा हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हमारे यहां जितनी टैक्स की वसूली होनी चाहिए वह नहीं होती है और दूसरी स्टेट्स इसका फायदा ले लेती हैं। एक उदाहरण मैं इसके बारे में आपके सामने पेश करूंगा। हमारे यहां गुजरात की बोर्डर लगती है। हमारे यहां मवेशी के सेल पर पांच प्रतिशत टैक्स है जबकि गुजरात में इस पर कोई टैक्स नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि मवेशी का हमारे

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

यहां सेल न हो कर गुजरात में होता है। इससे हमारे यहां सांचोर और रानीवाड़ा के मेलों में पशुओं की बिक्री नहीं होती है और वहां के लोगों में असन्तोष है। इसके साथ साथ आपकी इन्कम भी कम होती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि नेबरिंग स्टेट्स में जो टैक्स के रेट्स हैं उनको एग्जामिन करके, उनके प्रोपोर्शन में ही आप भी टैक्स लगावें तो आपके लोगों को भी सन्तोष होगा और आपकी टैक्स की वसूली भी ज्यादा होगी। इस बारे में, उपाध्यक्षजी, राज्य सरकार को विशेषतौर से सोचने की जरूरत है।

उपाध्यक्षजी, एक और बात की ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जालोर, पाली, सिरोही जिले में क्रूड ऑइल के पंपिंग सेट ज्यादा चलते हैं। राजस्थान में आप 30% टैक्स लेते हैं। इससे प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ता है क्योंकि पड़ोसी राज्य से टैक्स ज्यादा है। इसलिए पड़ोसी राज्य की रेट्स को देख कर ही समान स्तर पर टैक्स रखना चाहिए।

प्रोहिबिशन की जो पॉलिसी है उस पर भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि 70 वर्षीय नेता गोकुल भाई जी आमरण अनशन पर बैठे हैं और राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह 10 करोड़ का घाटा बरदाश्त करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस की शुरू से ही यह घोषित नीति है कि अप्रेल, 72 में पूरा प्रोहिबिशन कर दिया जायगा। भूतपूर्व वित मंत्री ने यह घोषणा की थी सदन में। अब वित्त मंत्रीजी ने राज्य सरकार की मजबूरियां बताई कि वे इस प्रकार का इस समय घाटा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। पार्टी की जो नीति रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूर होना चाहिए दूसरे रूप में टैक्स वसूल करते तो अच्छा होता। पहले घोषणा कर दी और वित्तीय स्थिति के कारण उसको वापिस ले लिया, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से बात करके गम्भीरता से विचार करने की बात है। जो नीति है उसको छोड़ कर दूसरी तरफ जायें यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। राज्य सरकार तुरन्त कदम उठाये। सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और प्रोहिबिशन लागू करने की नीति पर कायम रहने की आवश्यकता है।

बाड़मेर, जालोर, सिरोही में प्रोहिबिशन किया। इन जिलों में प्रोहिबिशन है यहां पर भी इम्प्लीमेन्टेशन करने में, यह विभाग असमर्थ रहा है। हजारों शराब की बोतलें आसानी से मिलती हैं। जोधपुर में ठेका लिया, प्रोहिबिटेड एरिया में शराब सप्लाई करते हैं। ऑफिसर्स क्या करते है? उनको नाजायज पैसा मिलता है। वह रोकने में असमर्थ है। मंत्रीजी, आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप इसको समय पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके तो इसको लागू ही न करें। मशीनरी की वजह से असमर्थता प्रकट करें यह उचित नहीं है। आप अपनी मशीनरी को सुधारिये। केसेज पकड़े जायं, रेस्पॉन्सिबिलिटी डाइरेक्ट हो या इन्डायरेक्ट हो, अफसरों को सजा देनी चाहिए। इस पर गम्भीरता से राज्य सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। कम से कम जिन जिलों में प्रोहिबिशन हुआ है वहां तो

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

इम्प्लीमेन्टेशन करें । पूर्ण प्रोहिबिशन कर दें, शराब पैदा ही न हो तो यह बीमारी फैले ही नहीं ।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा ट्रान्सपोर्ट विभाग में ग्राम लोग यह कहते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है । परमिट लेने में, एप्लाई करने में । बसेज चल नहीं रही है, हम सवाल करते हैं तो बसें परमिट लिये हुए हैं और नहीं चल रही है । ध्यान दिलाने पर भी कुछ नहीं होता । आपका इन्स्पेक्टर झूठी रिपोर्ट करता है । सिवाड़ से सांचौर तक बस रूट है बस नहीं चलती । जुर्माना तो करते हैं, लेकिन इन्स्पेक्टर लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं । वे कहते हैं कि बसें चलती है और वास्तव में नहीं चलती । हमारी आंखों में धूल झोंकते हैं । आइ. टी. ओ. ऑफिस में मिले रहते हैं । आप भ्रष्टाचार खत्म करने में असमर्थ हैं । मेकेनिकल इन्स्पेक्टर और इन्स्पेक्टर ट्रकों को पकड़ लेते हैं और रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं राज्य सरकार को इनकम नहीं हो रही है । उपाध्यक्षजी, मंत्रीजी का विशेषरूप से इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपकी जो आय है वह राज्यकोष में जाय और कर्मचारियों की जेबों में न जाय इसके लिये आपको सतर्क होकर कदम उठाने चाहियें । यदि इन्स्पेक्टर को तनख्वाह न दें और उनसे कहें कि पांच सौ रुपये जमा करा दें तो भी वे रिश्वत लेंगे । उनको कांट्रेक्ट बेसिस पर ही नौकरी पर रख लें । चौकियों पर क्या होता है आपको पता है । पांच सौ रुपये जमा कराते रहें राज्य कोष में तो अच्छा है, नौकरी करते रहें । तनख्वाह देने की आवश्यकता नहीं है । कितनी एप्लीकेशन्स हैं और कितनी सिफारिशें हैं राज्य सरकार को इसमें सुधार करने की आवश्यकता है । जितनी दरख्वास्तें आयें रैड हैंडेड पकड़ कर ऐसे अफसरों को बरखास्त करना चाहिये । इससे ईमानदार अफसरों का उत्साह बढ़ेगा । जो ईमानदार हैं वे कहते हैं ईमानदार रहना पाप है । दूसरों का गिरोह ज्यादा है भ्रष्ट अधिकारियों का बायकॉट किया जाय । हम भी प्रोत्साहन नहीं देंगे । राज्य सरकार का सबके साथ एक व्यवहार होना चाहिये । कहीं जाय सुनाई नहीं होगी । तब ही भ्रष्टाचार दूर हो सकता है ।

उपाध्यक्षजी, आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी का बिक्री कर की इनकम की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । जो ऑफिसर्स लगाये हैं । मेरे अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि सांचोर, मंडोर, आबू रोड पर आपके उड़नदस्ते हैं । गुजरात में चोरी से गई हुई मवेशी वगैरा का टैक्स का असेसमेंट करके इनकम करना चाहिये । इन जगहों पर असेसमेंट की पॉवर्स नहीं है । ए. सी. टी. ओ. बैठा रखा है, जीप है, टैलीफोन है और सब कुछ है । किसी को पकड़ा तो जोधपुर ले जाकर असेसमेंट करते हैं । उनको ही पॉवर देने में क्या दिक्कत है ? या तो आपको अफसरों पर विश्वास नहीं है । टैक्स की चोरी को रोकने की आवश्यकता है । जो चौकियां बोर्डर्स पर हैं उनको असेसमेंट के पावर देने चाहियें । जब हम पूछते हैं उनसे कि क्यों नहीं इनकम ज्यादा होती है ? तो वे कहते हैं कि पॉवर्स नहीं हैं । इसलिये इस सम्बन्ध में आपके द्वारा, उपाध्यक्षजी, माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में एक पॉलिसी निर्धारित होनी चाहिये । जिस मकसद से ऑफिसर्स को लगाते हैं वे आपको

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पूरी इनकम करके दें और उसके लिये उनको पॉवर्स चाहिये तो आपको चाहिये कि आप उनको पूरे पॉवर्स दें जिससे आपकी इनकम बढ़े । इस प्रकार से पॉलिसी का पूरी तरह से इम्प्लीमेन्टेशन भी होना चाहिये इससे भी अधिक इनकम बढ़ेगी । इन्हीं शब्दों के साथ में मेरे कट मोशन्स को सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीतसिंह ।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, जो डिमान्ड्स चल रही हैं आबकारी और करों के सम्बन्ध में उन पर मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे कट मोशन्स के द्वारा ।

आबकारी विभाग ऐसा विभाग है जो बहुत पुराना है और इससे हमेशा से राज्य को कुछ फायदा होता है और उस दृष्टिकोण से कर लगाये जाते हैं क्योंकि कर ही ऐसा माध्यम है कि करों के जरिये पैसा लेकर वापिस इलाकों की बहबूदी के लिये खर्च किया जाय । किस किस जगह से पैसा कैसे निकाला जाय तो आबकारी विभाग भी पैसा निकलवाने का साधन है । इसमें जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाय तो काफी हद तक सरकार को मुश्किलात हल हो सकती है ।

आज तीन जिले हैं वे प्रोहिबिशन एरिया में हैं । उस इलाके के जो नजदीक हैं जोधपुर, पाली वहां पर आबकारी विभाग की क्या हालत है, किस तरह से लूटखसोट की जा रही है, किस तरह का वहां पर स्टाफ है । और इसी महकमे को जहां कर की वसूली ढंग से हो अच्छे ईमानदार आदमी हों तो यह कलंक का टीका मिट सकता है । परन्तु यहां पर जिस तरह से कर लगाया गया, देशी शराब के ऊपर और जितना विदेशी शराब पर लगाया गया तो विदेशी शराब के ऊपर यदि टैक्स ज्यादा लगाया जाता तो जितने भी बड़े बड़े लखपति हैं और जिनकी आदतें इस जमाने में बिगड़ी हैं, शराब पीने से और जितने भी राज्य के बड़े बड़े कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार के नाम से और रिश्वत के नाम से जिस तरह से वह जनता के धन को बटोर रहे हैं उनके भी शाम को दिमाग इन विदेशी शराब की दुकानों की तरफ जाते हैं । उनके ऊपर यदि यह टैक्स लगाया जाता तो कोई खास बात नहीं थी । शाम के वक्त में मजदूर का दिमाग इन देशी शराब की दुकानों पर जाता है । परन्तु जितने बड़े बड़े आदमी हैं जहां कहीं भी आप क्लबों में चले जाइये बड़े बड़े कस्बे हैं जयपुर है, जोधपुर, उदयपुर है, बीकानेर है चाहे जहां चले जायें जहां भी धनाढ्य आदमियों के क्लब हैं हर क्लब में हजार दो हजार बोतलें आपको खुलती मिलेंगी । तो मेरा निवेदन करना यह है कि जब कर लगाना ही है तो ज्यादा मार बड़े आदमियों पर पड़ना चाहिए और आज पैसे उनके पास जिस तरह से आ रहे हैं इसको रोकना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि यह कर प्रणाली ही ऐसी बन गयी है । पहले भी कर की प्रणाली थी । जिस समय स्टेट का जमाना था उस समय भी कर की प्रणाली थी, कस्टम था और वह हमेशा लम्पसम लाया करते थे । और आज कर की प्रणाली दूसरी है, लम्पसम नहीं है । इसलिए इसमें आदमियों को काफी मौका मिलता है, इसलिए मेरा एक तो

(श्री रणजीत सिंह)

सुझाव यही है कि या तो शराब की बिक्री बन्द की जाय और अगर बन्द नहीं की जाय तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स विदेशी शराब के ऊपर लगाया जाये ताकि इसमें कम से कम गरीबों का शोषण कम हो। दूसरी जो देशी शराब है इसको ज्यादा मजदूर लोग शाम को पीते हैं। वे जितना भी पैसा कमा कर लाये शाम को शराब की दुकान पर देकर आ जायें। यह बुरी आदत है और छूटना बहुत मुश्किल है और छूट जाये तो जैसे गोकुल भाई ने अनशन किया है, अच्छा है कि किसी तरह से यह आदत छूटे लेकिन घर घर जाकर जहां जहां मजदूरों की बस्तियां हैं वहां जाकर अभियान चलाया जाये तो वह कुछ कामयाब होते और अनशन से तो वे अब 70 साल के होगये हैं कुछ साल और जीयेंगे, उससे तो मुझे कोई खास फायदा निकलता नहीं दीखता। ठीक है यह तो सरकार को प्रेस करने का तरीका है। लेकिन ये देशी शराब की दुकानें ऐसी जगह नहीं लगाई जायें जैसे धार्मिक स्थान हैं, मजदूरों की बस्तियां हैं, मिल हैं। जहां शाम को पैसा आने का श्रोत है वहां वह सीधे के सीधे पहले शराब की दुकान पर जाते हैं। तो कम से कम ऐसा कर दिया जाये कि ऐसी बस्तियों में ऐसी दुकानें न खोली जायें।

अब मैं बिक्री कर के संबंध में कहूंगा। यह एक अच्छा श्रोत है, पैसे लेने का, परन्तु जो बिक्री कर की हालत है अगर उस हालत के ऊपर जायें, बड़े शहरों में चले जायें, किसी भी व्यापारी के पास चले जाइये जो बड़ा व्यापारी वह भी दुखी है और जो छोटा व्यापारी है वह भी दुखी है। वह सरकार से दुखी नहीं है वे दुखी हैं राज्य की प्रणाली से। जो प्रणाली बनी है टैक्स वसूल करने की जिसमें राज्य के कर्मचारी लगे हुए हैं वह इतनी बड़ी मात्रा में हो गये हैं कि एक के बाद दूसरा उनकी दुकान पर जाता है। कोई नोटिस दे आता है और नोटिस देने के बाद कभी अगर छोटा व्यापारी है तो इसको पहले तो दफ्तर मिलना ही मुश्किल है। आज बड़ा व्यापारी अपना काम बन्धी देकर निकाल लेता है। आज कर के प्रति हाउस के प्रांगण पर नहीं, आप कहीं चले जाइये, शहर में किसी भी दुकान पर चले जाइये वह तो एक बात कहेगा कि हम तो राज्य के कर्मचारियों से दुखी हैं। हलांकि वह पैसा बंधा हुआ देते हैं—किसी इन्सपेक्टर के बंधे हुए हैं तो किसी ए.सी.टी.ओ. के बंधे हुए हैं तो किसी सी.टी.ओ. के बंधे हुए हैं और जब पैसा बंधा हुआ है तो राजस्थान सरकार क्या उम्मीद करती है कि हम पूरा टैक्स वसूल कर लेंगे? वह तो सिर्फ जनता को तकलीफ देने की बात है और जब भी जनता के पास जाइये तो हमेशा टैक्स प्रणाली की बात करती है तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि अगर टैक्स की प्रणाली को ठीक किया जाये और लम्बी चौड़ी फौज को कम किया जाये तो इसमें कुछ सुधार हो सकता है। हालांकि मैं यह नहीं कहता कि सभी गैर-ईमानदार हैं, लेकिन आज जो हालत चल रही है इसको देखते हुए जो भी आदमी राज्य के दफ्तर में ईमानदारी के तौर तरीके से रहते हैं उनको सब आदमी दूसरी नजर से देखते हैं। तो आज ईमानदार आदमी की इस सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में जगह नहीं है। इसमें उनको जगह बनाने के लिए इस डिपार्टमेंट में से भ्रष्ट आदमी हैं जिनके प्रति जनता की भावना अच्छी नहीं है, जनता की भावना उनके प्रति शुद्ध नहीं है, उन आदमियों

Page No 95

(श्री रणजीत सिंह)

को इस विभाग में जगह नहीं मिलेगी, अच्छे और ईमानदार आदमी आयेंगे तो राजस्थान का भी नक्शा ईमानदारी का कर प्रणाली का पैदा हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्रीजी को काफी दिक्कतें आयेंगी, लेकिन दिक्कतों के साथ में जो हाथ पैर फैलाने की जगह उनका कर प्रणाली का जो विभाग है उसमें जो राज्य के कर्मचारी काम करते हैं उनके ऊपर मुनस्सर है इसलिए वहां पर अच्छे आदमी आए जिससे पब्लिक को कहने का मौका नहीं मिले कि यह भ्रष्ट हैं। आज दफ्तर में जाकर देखिये बड़े व्यापारी और तरह से काम चलाते हैं और छोटा व्यापारी सुबह से शाम तक उनके ऑफिस में बैठा रहता है और फिर जवाब मिलता है कि आज नहीं कल आना। वह बड़ा व्यापारी नहीं है, वह कोई डी. सी. एम. का मालिक नहीं है, बड़ी फैक्टरी का मालिक नहीं है वह तो अपने छोटे मोटे साधनों से अपना गुजारा करता है। अगर उसको बैठा कर रखा जाए तो मेरा निवेदन है कि

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ऐसा दूसरा तरीका अपनाया जाये जिससे वह सीधे कर जमा करा दें, कहीं भी करा दें, पोस्ट आफिस में जमा करा दें जिससे आने जाने की दिक्कत नहीं हो।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मोटर वेहीकल्स की बात निवेदन करूंगा। यह मोटर वेहीकल्स एक्ट ऐसा बना है और इससे इस तरह की लूटखसोट चल रही है कि आज जहां कहीं भी जायें—ठीक है किसी की कार है कार अच्छी है और उसमें अच्छे आदमी बैठते हैं उनकी कार किसी ने नहीं रोकी वह दूसरी बात है, बाकी आप शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी रूट पर जाकर देख लें लूटखसोट चल रही है। उनको कहते हैं कि यह क्या है तो उनका कहना है कि हमें तो अपना पेट भरना है नहीं हमें तो ऊपर तक पेट भरना है। किसी ऑफिसर की बेगार आगयी है। इनकी बेगार के लिए जनता को परेशानियां और वह भी इस ढंग से परेशानी कि वह हमेशा सरकार को गाली निकाल देते हैं। इसलिए सरकार बदलेगी तो इस राज्य के कर्मचारियों के हाथों से बदलेगी। उल्टे काम ये आदमी करते हैं और कलंक का टीका राज्य सरकार पर आता है। इन्सपेक्टर पकड़ते हैं, पैसा वह लेते हैं और मोटर वाले कहते हैं कि राज्य सरकार खराब है। सरकार तंग कर रही है ? वहां सरकार कहां तंग कर रही है ? सरकार के जो कर्मचारी हैं वह तंग कर रहे हैं तो उस का सीधा सम्पर्क आर. टी. ओ. से रहता है इसलिए यह जो कर लगे हैं और जो सेल्स टैक्स और ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट है इसमें सुधार होना चाहिए। एक जो आपका इन्सपेक्टर है, मेरे ख्याल में, मैं अन्दाज करता हूं और अभी सदस्य दूसरे माननीय सदस्य रघुनाथजी भी कह रहे थे कि एक इन्सपेक्टर की एक साल की आमदनी एक लाख से कम नहीं होनी चाहिए। यह राजस्थान की हालत है। ऐसी हालत में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपका ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट है उसमें सुधार होगा या जो वेहिकल्स हैं उनमें सुधार होगा।

इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यह सोचा कि गांवों में जो काश्तकार ट्रेक्टर ले रहे हैं, ये शायद बहुत बड़े मालदार आदमी हैं, इसलिए इन पर भी थोड़ा बहुत टैक्स लगाया जाय। अरे, जो ट्रेक्टर लेता है

(श्री रणजीतसिंह)

तो वह किस हालत में लेता है। आज जो पश्चिमी राजस्थान है, उस पश्चिमी राजस्थान में बरसात हो जाय तो बरसात होने के बाद तीन दिन का सोइंग पीरियड होता है। बरसात होने के तीन दिन के अन्दर बुआई हो सकती है, चौथे दिन बुआई नहीं हो सकती। वहां ऐसी हवा चलती है कि उससे जमीन सूख जाती है और सूखने के बाद अगर आप बुआई करें तो वह व्यर्थ जाती है। तो पहले जो बैलों से बुवाई करते थे और 12 घण्टे तक एक दिन में बुआई करें तो भी वह काम पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए 36 घन्टे में जो बुआई होती थी वह पूरी नहीं हो सकती थी। आज ट्रैक्टर एक सुन्दर साधन उनके सामने आया। उसको गांव २ में इसलिए अपनाया कि तीन दिन के अन्दर, अगर तीन चार ट्रैक्टर गांव में हों तो रात दिन लग कर बुआई कर सकते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। गांव वालों ने कोऑपरेटिव बेसिस पर, हालांकि सरकारी तरीके से कोआॅपरेटिव नहीं बनी परन्तु उनका अपना पुराना धारा था, कलेक्टिव फार्मिंग की हैसियत से उन्होंने ट्रैक्टर लिया और थोड़ी बहुत हैसियत उनमें बनी और कुछ हैसियत बना करके कर्जे के जरिए से उन्होंने ट्रैक्टर लिया लेकिन आज वह शहर में जाना नहीं चाहते। जहां कहीं नजदीक में भी कोई बड़ा शहर है जहां ट्रैक्टर ठीक हो सकता है वहां पर भी जाने की हिम्मत उनमें नहीं है। अगर वे वहां गये और वहां पुलिस का आदमी मिल जाय, चाहे वह सिपाही ही हो, वही उनके लिए थानेदार और एस० पी० बना हुआ मिलता है और फिर ट्रांसपोर्ट का आदमी मिल जाएगा तो वह तो पहले से ही दुखी तो था ही और अब उस दुखी आदमी पर और टैक्स लगाकर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर में आप उसको घुमायेंगे तो उसकी क्या हालत होगी, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले को आप मेहरबानी करके छोड़ दीजिए। अगर आप ट्रैक्टर पर टैक्स काश्तकार से लेना ही चाहते हैं तो जो ट्रैक्टर पहले 12 हजार की कीमत का आता था आज उसकी कीमत 28 हजार हो गई है, दस साल में इतनी कीमत जिसकी बढ़ गई है परन्तु फिर भी वह अपना पेट पालने के लिए और तीन दिन की सोइंग को मजबूत बनाने के लिए ट्रैक्टर लेता है तो उसको आप राज्य कर्मचारियों के चरणों में दूर दूर तक ठोकरें खाने को मत डालो और टैक्स लगाना ही है तो 28 हजार की जगह पांच सौ रुपया और बढ़ा दो। जिस प्रकार काश्तकार एक ट्रैक्टर को खरीदने के लिए 28 हजार की व्यवस्था करता है उसी प्रकार 28 हजार के साथ पांच सौ की और व्यवस्था करेगा लेकिन अगर आप इनको ट्रांसपोर्ट के चरणों में डालोगे तो वह बर्बाद हो जाएगा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अभी एक मिनिट में समाप्त करता हूं। एक और बात की तरफ निवेदन करना चाहता हूं। अभी भाई रघुनाथजी ने भी कहा है और वह है चांदी के जेवरात का मामला। आज गांवों में जो महिलाएं हैं उनके पास सोना तो कोई बड़े घर में हो तो पता नहीं, लेकिन गरीब तबके के जो किसान वर्ग के लोग हैं उसके पास सोना नहीं, सोना तो अगरचे किसी आदमी की मृत्यु हो जाय और मृत्यु होने के बाद गांव में यह रिवाज है कि वहां पर आए तो स्नान के

(श्री रणजीतसिंह)

बाद यह कहा जाता है कि सोने के पानी के उसके छींटे दे दो, लेकिन इस जगहों पर तो इस समय के लिए भी सोना नहीं मिलता है। परन्तु चांदी के जेवर तो ऐसे हैं कि जिनको पहनने का ग्रामीण महिलाओं को थोड़ा बहुत शौक है और वही उनको पहनने को मिलते हैं। और उन पर भी अगर टैक्स लगायेंगे तो यह मामला बहुत छोटा है पर रूप इसका बहुत बड़ा है। आज महिलाएं क्या सोचेगी कि यह जो गवर्नमेंट नई बनी, समाजवादी गवर्नमेंट बनी और समाजवादी गवर्नमेंट बनने के बाद महिलाएं तो कुछ और आशाएं करती थी लेकिन उनके चांदी के जेवरात भी उनसे छीन लिए।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक मिनिट में समाप्त करता हूं। चांदी के जेवरात भी उनसे छीन लिए जायेंगे। आज कल गांवों की महिलाएं खुद तो अपनी मर्जी से सब काम नहीं कर सकती। उनके पति ही करते हैं, वे कह देंगे कि भाई क्या करें, राजस्थान सरकार ने टैक्स लगा दिया है, चान्दी बहुत महंगी हो गई है इसलिए चान्दी के जेवर भी नहीं बना सकते। टैक्स नोमिनल है लेकिन एक बात का मोटा बतंगड़ बन जाएगा। इसलिए चान्दी के जो जेवरात हैं इन पर तो कम के कम रहम बकशो और यह खाने पीने का और दाल वाल का मामला है तो गांव में जब आ जायेंगे तो आपको किसी गांव में घुसने नहीं देंगे, शहर में घुसने नहीं देंगे। हालांकि यह भी आपकी मुश्किल है कि टैक्स का पैसा आखिर आए कहां से, लेकिन यह रोटी और दाल पर तो रहम करो। हम किस मुंह से गांव में जायेंगे और अपने क्षेत्र में जाकर क्या कहेंगे कि हम दाल और रोटी पर टैक्स लगाकर आए हैं। जरा थोड़ी बहुत मेहरबानी करके और राजस्थान की जनता की भावनाओं को देखकर, छोटे मोटे व्यापारियों की भावना को देखकर यह दाल पर टैक्स है, रोटी पर टैक्स है, यह सेलसटैक्स है, जो ट्रांसपोर्ट का मामला है, ट्रैक्टरों के टैक्स का मामला है तो इन पर तो मेहरबानी कर दीजिए, इनको तो थोड़ी मुक्ति दिलाइए वरना टैक्स लेने के तरीके बहुत हैं। आप सीधा जनता से सम्पर्क करें, जनता के प्रतिनिधियों की कमेटी बनावें और कमेटी बनाकर आपको जनता के पास जाना चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए कि हमारा पैसा राजस्थान के शुद्ध कामों में लगेगा, राजस्थान की तरक्की में लगेगा राजस्थान में लगे टैक्स के पैसे का सदुपयोग होगा, जनता यह समझे कि यह हमारे बुढापे में काम आएगा, बुढ़ापे में सहारा मिलेगा तो वह खुशी खुशी टैक्स देगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर रोटी और दाल पर जो टैक्स लगाया है वह उचित नहीं है। आज जो कुछ टैक्स देते हैं वे कहते हैं कि यह सब चोर खा जायेंगे। अभी उनको यह विश्वास नहीं है कि चोर कौन है और साहूकार कौन है। जनता का आज विश्वास उठ गया है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जनता का विश्वास सरकार में होना चाहिए और मेहरबानी करके जो छोटे मोटे टैक्स, चान्दी के जेवरों पर, दाल रोटी पर और टैक्टरों पर इनको आप माफ कीजिए, और जो आपका स्टाफ हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट इनमें अच्छे और ईमानदार लोगों को रखें, जिससे आपका कर का कलेक्शन भी बढ जाएगा और लोगों को राहत भी मिलेगी।

(श्री रणजीतसिंह)

इन्हीं शब्दों के साथ राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि इन बातों की ओर आप थोड़ा बहुत गौर करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी जो साढे चार बजे जवाब देने वाले हैं उसके लिए तो मैं समझता हूं.......

श्री उपाध्यक्ष: साढे चार बजे नहीं, चार बजे देंगे।

श्री मीठालाल : साढे चार और चार में क्या फर्क है, लेकिन जो जवाब आप देने वाले हैं उसकी तो तैयारी पहले से ही घर से करके आए हैं। किन्तु सदन के माननीय सदस्यों की भावना को जरूर माननीय मंत्रीजी अपने मस्तिष्क में रखें विरोधी दल के ही नहीं आपके सत्ताधारी दल के माननीय सदस्यों ने, सभी ने कहा है कि कर्मचारी बहुत ज्यादा इस मामले में चोरी करते हैं, बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार करते हैं, हर डिपार्टमेंट में और माननीय सदस्य जो अभी बोल रहे थे उन्होंने तो यहां तक कहा कि जनता का विश्वास उठ गया है। यह सत्ताधारी दल के सदस्य कह रहे थे, विरोधी सदस्य नहीं कह रहे थे, इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि वास्तव में स्थिति क्या है। और मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई भी कर्मचारी साल में लाख रुपया खाये और वह लाख रुपया ऊंचे तक न पहुंच कर नीचे वाला ही पचा जाय। जैसा कि पहले भी कई भूतपूर्व मिनिस्टरों को भ्रष्टाचार के मामले में हटाया है और यह अभी भी प्रायः सभी को मालूम है कि आज भी लाखों रुपये कर्मचारी खाते हैं। वे कर्मचारी तो खाली बदनाम होते हैं, पैसा उनके हिस्से में कम बचता है, ज्यादा पैसा तो ऊपर तक जाता है और ऊपर तक में एक तरीके का लिंक रहता है, आज मंत्रीजी आज अनसुनी कर सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार है और खाने पीने की चीजें वहां सब चली जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बिक्री कर के मामले में भी कुछ निवेदन करना है। बिक्री कर जो लगता है वह किसी भी प्रकार का माल बेचे तो बिकने पर बिक्री कर लगता है और जो आपका बिक्री कर नियम है मेरा कहना है कि आपको इसकी प्रक्रिया को बदलना चाहिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। एक वाजिब बात कहना चाहता हूं। आपका जो यह बिक्रीकर है, कोई भी व्यापारी जो बिक्री कर देने वाला है, वह बिक्रीकर देने के लिये आपके दफ्तर में क्यों जाता है। इसलिये आज स्थिति यह है कि कोई भी इज्जतदार व्यक्ति जो हिसाब देने के लिये जाता है उसके साथ बड़ी बेइज्जती का व्यवहार किया जाता है। उसको दफ्तर के बाहर बैठा रहना पड़ता है और काफी देर बाद बुलाकर कहा जाता है कि बिक्री कम दिखाई है। बिक्री कर आपको लेना है, आपको उसका हिसाब लेना है तो आप उनकी दुकानों पर जाइये, जो व्यापारिक संस्थान हैं, उनके वहां पर जाइये आप खुद जाइये और देखिये कि कितना सामान बिका है और उसका कितना टैक्स है और वह टैक्स ले आइये। व्यापारी आपके

(श्री मीठालाल)

नौकर नहीं है कि वे दफ्तर में आकर बैठे रहें। आपके आफिसर उनको हीन भावना से देखते हैं। आप असेसमेंट करके पैसा लेते हैं। इसकी प्रक्रिया को बदलकर यह कहिये कि आपके दफ्तर के आदमी को दुकानदार के पास जाना चाहिये और जो सामान बिका है उसका बिक्रीकर वसूल कर लाना चाहिये।

एडवान्स टैक्स के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, कई बार हमारी राज्य सरकार घोषणा कर चुकी है कि वह नहीं लिया जायेगा। पोस्ट पर जाकर देख लीजिये। उपाध्यक्ष महोदय एक गुड के ट्रक पर 700 रुपयों का टैक्स होता है। और एडवान्स के रूप में 1200 से लेकर 1500 तक लिया जाता है। यह आप किस बात का लेते हैं गुड आयेगा और जयपुर में बिकेगा तो उस पर जो बिक्रीकर लगा हुआ है उसको आप लीजिये फिर यह किस बात का टैक्स आपने ले लिया। यह 700 रुपया होता है और 1500/– रुपयों की वसूली करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको जो असेसमेंट होता है, तीन साल बाद होता है। तीन साल बाद आपका जो दूसरा आफिसर होता है, कहता है यह रसीद जो एडवान्स की है, उसको बार्डर पर जाकर प्रमाणित कराकर लाओ। खुद के दफ़्तर की रसीद है, एक ही कार्यालय है और तीन साल बाद उसको देखते हैं, एडवान्स पैसा आपने ले रखा है, वसूली कर ली है। तो यह साफ बात है कि प्रमाणित कराने में क्या होता है या नहीं होता है। पैसा खर्च होता है, दिया जाता है। इसके लिये एक 18 नम्बर का फार्म है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस फार्म का क्या हो रहा है। यह नाम मात्र के लिये फार्म रह गया है। इस फार्म का कोई उपयोग नहीं किया जाता है और एडवान्स टैक्स वसूल किया जाता है। बीस हजार के टैक्स को असेस कर 50 हजार एडवान्स के रूप में लिया जाता है। असेसमेंट होने के बाद बीस हजार होता है और पचास हजार जमा कर लेते हैं। तीस हजार उनके पास पड़ा रहता है और उसको आप अगले साल के लिये जमा कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त अप्रेल का महीना समाप्त होते ही आफिसरों की टोलियां दुकानदारों के पास जाती हैं और बिना बिक्री हुए ही एडवान्स टैक्स की वसूली करते हैं कि यह टारगेट पूरा करना है। यह कौनसी बला है, उन्होंने क्या गुनाह किया है। आप उनसे एडवान्स टैक्स मांगते हैं और टैक्स नहीं देने पर उनके साथ क्या होता है, यह मन्त्री महोदय जानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एडवान्स टैक्स और टारगेट वाला मामला बन्द किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त कोई व्यापारी ईमानदारी से सेल्स टैक्स के दफ्तर में अपना असेसमेन्ट कराता है लेकिन उसके बावजूद भी आफिसर लोग उस पर पांच हजार, दस हजार की बिक्री एक्स्ट्रा करके बढ़ा देते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आफिसर व्यापारी को बेईमान बनाने की कोशिश करते हैं। इससे यह मतलब नहीं है कि सभी व्यापारी बेईमान हैं। मुश्किल से एक दो केस ऐसे मिलेंगे जिसमें आफिसर ने किसी व्यापारी के असेसमेन्ट बढ़ा कर नहीं किया हो। तो यह बेईमानी कराने की सरकार की नीति है। इसको छोड़ कर टैक्स के मामले में एक सरलीकरण होना चाहिये, इसको इस ढंग से करना चाहिये ताकि व्यापारी आराम से बिक्री कर दे सकें।

(श्री मीठालाल)

जयपुर में उद्योग धन्धे पर आपने बिक्री कर माफ कर दिया है। इससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन छोटे कस्बों में, शहरों मे वहां पर उद्योगों को क्या आप प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं। वहां पर बिक्री कर को क्यों नहीं माफ करना चाहते है। यह सरकार की भेदभाव की नीति खुद के लिये घातक है और उद्योगों के लिये भी बुरी है। इसलिये मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जयपुर में जैसे उद्योगों पर बिक्री कर माफ कर रखा है उसके अतिरिक्त जो शहरों में उद्योग हैं वहां भी माफ किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि टैक्स के बिना कोई सरकार नहीं चल सकती है। गोटेवालाजी ने यहां पर कहा कि प्रोपर्टी टैक्स लगना चाहिये। आप क्यों ऐसी बात कहते हैं। दस साल तक जो जो टैक्स जिन जिन चीजों पर लगाने हैं वह तो सरकार से पहले ही सोच रखा है। इसकी मन्त्री महोदय ने पहले से ही योजना बना रखी है। इन टैक्सों के बारे में भी ऐसा भेदभाव करते है कि इसमें गरीब ही ज्यादा मरा है और अमीर कम। जैसे चांदी के जेवर पर आपने टैक्स लगाया है। विलासिता की जो चीजें हैं उनमें से एक पर भी आपने टैक्स नहीं लगाया है। जैसे चांदी की थाली बनती है, उन पर ज्यादा बढ़ा देते तो यह बड़े लोग काम में लेते, उस पर भार पड़ता और किसानों और आदिवासियों को जो अधिकतर चांदी के जेवर इस्तेमाल करते हैं, उनको कुछ राहत मिलती। विलासिता की एक चीज पर भी आपने टैक्स नहीं लगाया है जब कि आपने अन्य छोटे वर्गों के लोग, वे चाहे किसान हो, हलवाई हो उन पर टैक्स लगाया? विलासिता पर नहीं लगाया है इसलिये अब भी समय है मन्त्री महोदय आप कुछ लोगों की वाहवाही लेकर अपनी मुस्कराहट से लोगों को आकर्षित करते हैं, उसी तरह से गांव वालों को भी आकर्षित करेंगे।

आबकारी के मामले में आज राजस्थान की जनता की ही नहीं सारे देश की जनता इस मामले में राज्य का दोष मानती है और सभी जगह, राज्यों में शराब बन्दी के मामले में जनता यह नहीं चाहती है कि शराब बन्दी न हो। सब लोग चाहते हैं कि शराब बन्दी हो। फिर भी शराब के टैक्स की चोरी हो रही है। लाखों, करोड़ों की बाकी है। वह सरकार वसूल नहीं कर पा रही है और फिर छोड़ देती है। अगर इसको वसूल किया जाता है तो जो आपने टैक्स लगाया है जैसे लगाने की आपको आवश्यकता नहीं होती। मैं समझता हूं कि इसमें जनता की ओर से आपको प्रोत्साहन मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यातायात विभाग है, वहां पर गाड़ियों का टैक्स लिया जाता है। अम्बेसडर वगैरह पर आप लगावें, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन पर दुगुना टैक्स लगा दीजिये परन्तु जो छोटे छोटे टैम्पो वाले हैं उन पर टैक्स को माफ कर देते तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और इसमें कितना भ्रष्टाचार होता है, वह मन्त्री महोदय माननीय सदस्यों की राय से अवगत हो गये होंगे। आज आप जयपुर शहर की सड़कों के किसी भी तरफ चले जाइये, आप वहां पर देखेंगे एक तारीख से 6 तारीख तक हर ट्रक से 10 से 20 रुपया लिया जाता है। आर. टी. ओ. साहब

(श्री मीठालाल)

अपने स्टाफ के साथ सड़क पर खड़े हो जाते हैं। हर ट्रक, मोटर का नम्बर उसके पास लिखा होता है। 5/6 तारीख तक उगाई होती रहती है। और कोई ट्रक 20/25 तारीख तक आया तो उसका भी हिसाब उनके पास में रहता है फलां महीने के जो दस, बीस रुपये बन्धे हुए हैं वह नहीं दिये गये हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सौ रुपया खर्च करके ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी प्रकार का आप ले सकते हैं। आर. टी. ओ. चाहे उसकी शक्ल नहीं जानता हो, हैवी या लाईट जैसा भी आप चाहें लाईसेन्स ले सकते हैं। आप किसी भी ढंग का लाइसेन्स प्राप्त कर सकते हैं। आर. टी. ओ. आफिस का काम दलालों की मारफत होता है। एक परसेन्ट भी काम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना पैसे के हो गया हो। इस ढंग से आर. टी. ओ. आफिस के आदमी सब के सब इस डिपार्टमेन्ट में पैसा उठाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके बारे में भी माननीय मन्त्री महोदय को जरूर सोचना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय पंजीयन कार्यालय। रजिस्ट्रियों के कराने के बारे में बहुत सारी शिकायतें मिलती है कि सम्पति किसी की थी और रजिस्ट्री कौन करा गया। कई बार यह होता है कि किसान लोग रजिस्ट्री तो गिरवी के लिए करवाने गये थे और उनकी बेचान की रजिस्ट्री कर दी। माननीय मन्त्री महोदय को कोई ऐसे साधन या ऐसी प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए जिससे लोगों को निश्चित रूप से मालूम हो जाय कि इस आदमी ने रजिस्ट्री जो करवाई थी वह बेचान की करवाई थी या गिरवी की। तहसीलों में भी इस प्रकार के कई मामलों में आज कोर्ट केस चल रहे हैं। जिनमें वे कहते हैं कि रजिस्ट्री गिरवी की कराई थी और रजिस्ट्री बेचान की हो गई।

अब मैं दूसरी चीज फार्म पंजीयन कार्यालय के बारे में निवेदन करूंगा। फर्म को पंजीयन कराने का कार्यालय फर्म रजिस्टर्ड कराने का आफिस सारे राजस्थान का जयपुर में है। जयपुर में कोई फर्म रजिस्टर्ड कराता है तो 5) रु० साथ में भेजने पड़ते हैं। उसके बाद में इस प्रकार का कोई जवाब नहीं मिलता है। इस प्रकार से नकल लेने में कि फर्म को रजिस्टर्ड कराया है तो उसकी नकल के 9)रु०देने पड़ते हैं। कई बार फर्म को रजिस्टर्ड कराने के लिए जो 5 रुपये भेजने पड़ते हैं और उसके बजाय किसी ने 2 या 3 रुपये भेज दिये तो उसकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगी। वापिस उसने पूछ लिया कि फर्म रजिस्टर्ड की या नहीं तो आप के उसके जवाब में पोस्ट कार्ड लिखना मना है। वे कहते हैं कि इस बात का प्रावधान नहीं है कि वापस जवाब दें। नकलें भेजने के लिए कहते हैं कि 40 हजार ऐसी फर्मों के प्रार्थना-पत्र हैं और सारे राजस्थान में एक दफतर है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, कई फर्में ऐसी हैं जिनके लाखों रुपये डूब गये रजिस्ट्री नहीं होने की वजह से। वह समझते हैं कि फर्म रजिस्टर्ड हो चुका है। कार्यालय से जवाब नहीं जाता है और फर्म अनरजिस्टर्ड रह जाती है किसी वजह से और उनके रु० मुकदमों में फर्म के अनरजिस्टर्ड रहने पर वह डूब जाते हैं। इस मामले में फर्म पंजीयन कार्यालय हर जिले के हैड क्वार्टर पर खोला जाय जिससे आपको सहूलियत हो, आपकी इनकम भी होगी, बेरोजगारी मिटेगी लोगों को राहत मिलेगी।

(श्री मीठालाल)

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, अधिक समय नहीं लेकर इस बिक्री टैक्स के बारे में दुबारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एडवान्स टैक्स जो आप वसूल कर रहे हैं उसके बारे में आज घोषणा करें कि भविष्य में एडवांस टैक्स नहीं लिया जायगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब सदन में हम आबकारी की अनुदानों पर चर्चा कर रहे हैं सदन के बाहर सारे राजस्थान में शराबबन्दी के प्रश्न को लेकर हमारे वयोवृद्ध नेता श्री गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में एक आन्दोलन चल रहा है। उन्होंने अपने जीवन को दाव पर लगा दिया है राजस्थान की कांग्रेस सरकार को यह बताने के लिए कि हम जहां जनता के सामने विकास और प्रगति की बातें करते हैं कि नये मन्त्रिमण्डल के द्वारा राजस्थान की जनता का चौमुखी विकास होगा, भ्रष्टाचार समाप्त किया जायगा, जनता को राहत मिलेगी, वहां एक अच्छा काम जो सुखाड़िया सरकार ने किया था और उस समय के वित्त मन्त्री ने घोषणा की थी पूर्ण शराब बन्दी की जो कि कोई नई बात नहीं थी क्योंकि हमारे संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स में लिखा है, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने अपने जीवन पर्यन्त संघर्ष किया है और भारत की जनता को अमर सन्देश दिया, बधाई देता हूं मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने यह सोचा कि आज गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व का प्रश्न नहीं है, उनके जीवन का जो दांव लगाया गया है राजस्थान में उसके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा हैं उसका प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो इस बात का है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है प्रश्न इस बात का है कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी की घोषणाओं के साथ में जिनका राजस्थान और भारत की जनता ने समर्थन किया था उन घोषणाओं का आज कोई मूल्य नहीं। क्या महात्मा गांधी के सिद्धान्तों का कोई मूल्य नहीं…

श्री श्रीराम गोटेवाला : शुक्र है कि आपने महात्मा गांधी के सिद्धान्त की बात तो की।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हमारे वित्त मन्त्री जी यहां कहते हैं यदि वह विरोधी पक्ष की ओर निकले आवाज ··

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप छोड़ते जा रहे हैं और वे लेते जा रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह बजट भाषण में कहते हैं कि हमें शर्म आती है। गोकुल भाई भट्ट के जीवन के साथ में खिलवाड़ करें आपको शर्म नहीं आती हैं? महात्मा गांधी के आदर्श को तिलांजलि देते हुए आपको शर्म नहीं आती? सीसोदियागार्डेन्स के अन्दर राजस्थान की नर्तकियों के अन्दर बैठ कर काकटेल पार्टी में भाग लेते हैं तो शर्म नहीं आती है, धन्ना सेठों के साथ में बैठकर शराब पीते हैं तो उनको शर्म नहीं आती है, गरीबों की दाल पर टैक्स लगाने में शर्म नहीं आती। उन्हें शर्म इस बात में नहीं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

आती है कि रोटी और दाल पर टैक्स लगाया है। खेतों में जो धान पैदा किया जाता है उस पर टैक्स लगाते हुए उन्हें शर्म नहीं आती। उनको शर्म इस बात पर नहीं आती कि जिस दाल और रोटीको लेकर राजस्थान की जनता को 73 नये पैसे देने वाली सरकार उस 73 नये पैसे वाले मजदूर की दाल और रोटी पर टैक्स लगाये। उस समय शर्म नहीं आती है और शर्म इस बात पर आती है। मुझे बड़ा विस्मय हुआ कि कांग्रेस के एक नहीं दो, तीन और चार-चार सदस्यों ने, किशनपोल बाजार से आने वाले, जोधपुर से आने वाले जालौर से आने वाले और ओसियां से आने वाले माननीय सदस्यों ने जब मेरी भाषा में करीब करीब दाल रोटी पर टैक्स बढ़ाने की बात को समाप्त करने की बात······

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप हमारी भाषा में बोल रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ····की और टैक्स को समाप्त करने की मांग की। मुझे बड़ा विस्मय हुआ जब उन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ में कहा कि मुझे शर्म नहीं आती। किस भाषा में वे कहते हैं, किस अहंकार के साथ में वे कहते हैं। माननीय वित मंत्रीजी, इसी अहंकार के साथ में मुरारजी भाई ने स्वर्णकारों के जीवन के साथ में खिलवाड़ किया था और मुरारजी भाई समाप्त हो गये राजनैतिक क्षेत्र से···· ···

श्री श्रीराम गोटेवाला : वो तो···

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप बोल चुके हैं तो कृपया मेरी बात भी सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप स्वयं जब बोलते हैं और अपने ही दल की आलोचना करते हैं तो कोई बात नहीं और जब मैं आलोचना करता हूं तो उस वक्त में आप यह करते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं सुन रहा हूं शान्ति से।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुझे इस बात की हैरानी है, वित्त मंत्रीजी कि साढ़े चार करोड़ के टैक्स जो आपने लगाये उन पर पुनर्विचार कीजिये शान्ति के साथ में। आप गोकुलभाई भट्ट के जीवन के साथ में खिलवाड़ करें, आप सर्वोदयी नेता के जीवन के साथ में खिलवाड़ करें, लेकिन 2॥, 4 या 5 करोड़ के टैक्स लगाकर क्या दाल का काल डालना चाहते हैं, क्या खाद्य पदार्थों को समाप्त करना चाहते हैं राजस्थान के अन्दर ? गरीब हलवाइयों की गुहार आप सुनने को तैयार नहीं। एक कचौरी बेचकर एक सेव बेचकर अपना गुजारा करता है उस पर आप टैक्स लगाते हैं। एक गरीब मजदूर होटल में बैठकर चाय पियेगा तो उसकी चाय की चुस्की पर टैक्स, क्या यही है आपका समाजवाद क्या यही वह चश्मा है जो दिल्ली से आपको मिलता है ? आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि ऐसे चश्मे राजस्थान में नहीं मिलते हैं, ऐसे चश्मे दिल्ली में मिला करते हैं। आपका चश्मा कैसे उतर गया था 67 के अन्दर ? क्या उसी कांग्रेसी सरकार ने, उसी दिल्ली ने आपको चश्मा दिया ? क्या उसी व्यक्ति ने जिसने आपका चश्मा उतारा उसी ने आपको यह चश्मा पहना कर कांग्रेस में बिठा दिया ? उस वक्त आपको

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

शर्म नहीं आई ? उसी कांग्रेस के सत्तारूढ़ दल के सहयोग से चुनाव लड़कर यहां आये और आप दाल पर टैक्स लगाना चाहते हैं, चाय पर टैक्स लगाना चाहते हैं होटल पर टैक्स लगाना चाहते हैं। और, गरीब किसान की पत्नी चांदी का जेवर पहिनकर आये तो उस पर टैक्स लगाना चाहते हैं। वित्तमन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही अहमियत का प्रश्न है। श्री मोहनलाल सुखाड़िया के बुरे काम को तिलांजलि अवश्य दी। लेकिन जो अच्छा काम है, उसको तो तिलांजलि मत दो। एक इन्सपेक्टर एक लाख कमाता है। आबकारी महकमें में इतना काण्ड हुआ है। मैं उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहूंगा। साढ़े 4 करोड़ के टैक्स लगाते हैं। मैं चाहूंगा वित्तमन्त्रीजी बतायें राजस्थान सरकार टेण्डर प्रणाली ईजाद करने के बाद दूसरी आज्ञा प्रसारित करें। दूसरे टेण्डर की जो स्वीकृत राशि है, उस पहिले और दूसरे में कितना अन्तर है। यह वह उत्तर देंगे। राजस्थान के गरीब किसानों और मजदूरों के प्रति कितना बड़ा हनन हुआ है। कितनी बड़ी हानि हुई है। उनका यह कहना कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है, जले पर नमक छिड़कना है। राजस्थान की जो हानि हुई है, उसके स्पष्ट रूप से वह जिम्मेदार होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्साइज एक्ट में उसके अन्दर रूल्स में टेण्डर को 7 'ए' और 7 'बी' के अन्दर टेण्डर सिस्टम पहले से हैं। यह कोई नया अविष्कार नहीं है। ओपन सिस्टम है, तो उसमें खुला नीलाम होता है। टेण्डर सिस्टम को हमारे वित्त-मन्त्रीजी ने कितना माना है। वह कहते हैं कि 15% लाभ हुआ है। वह यह क्यों नहीं कहते हैं, कि हमने राजस्थान की जनता को शराब में नहलाया है। 15% बढ़ोतरी हुई है। मैं यह निवेदन करूंगा कि शराब में नहलाने वालों की कमी पहिले भी नहीं रही है। प्रश्न यह है कि आपने जो शराब की राशि निर्धारित की है। उसमें कितना मिल सका। और आपकी नीति के कारण और आपके अज्ञान के कारण कितना कम मिला है। मैं एक उदाहरण दूंगा। जयपुर में हीदा की मोरी का टेण्डर 2,14,720 का, और इससे पहिले का टेण्डर 7,14,200 दूसरा 5,15,000 और तीसरा 7 लाख 2000, इसका मतलब निर्धारित राशि से धन कम था। यह घोटाला हुआ, यह किस प्रकार से हुआ है। आपने टेण्डर नोटिस निकाला है। जनरल फाइनेंस एण्ड अकाउ-ट्स रूल्स राजस्थान सरकार के बने हुये हैं। उसमें टेण्डर की एक प्रणाली है। उसमें पृष्ठ 419 के रूल नम्बर 12 में यह प्राव-धान रखा गया है—

If the approved suppliers fail either to supply goods of the prescribed specification or to deliver the goods within the specified period, the purchasing officer shall be at liberty to arrange supply either through re-tender or otherwise.

The Purchasing officer may give seven days notice in writing to the approved supplier to make good the failure, neglect or contravention complained of and should the contractor fail to comply with the notice within

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

seven days of the date of service thereof and in such cases if the Purchasing Officer thinks fit it be due to the contractor or to apply the amount of earnest money deposited by the supplier to make good the loss sustained or excess cost incurred by the State in arranging the supplies through any other agency.

जितना कम होता है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, एक प्वाइण्ट विशेषतौर से कहना चाहता हूं इस घोटाले के बारे में। यदि नीलाम या टेण्डर नोटिस जो माननीय वित्त मन्त्रीजी ने निकाला है। पहला टेण्डर स्वीकार होने के पश्चात् यदि टेण्डर देने वाला व्यक्ति शराब लेने के लिए रकम जमा नहीं करायेगा, तो दूसरा जो कम राशि वाला है, उसमें जो कमी होगी, उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। पहला 1 करोड़ का होगा जो स्वीकार हुआ है, उसका अन्तर 35 लाख का है। ये 35 लाख रुपये वित्त-मन्त्री महोदय ने रोक दिये। जनरल फाइनेन्स एण्ड अकाउन्ट्स रूल्स का पालन करते तो 35 लाख रुपया जयपुर के अन्दर पहले टेण्डर से वसूल कर सकते थे। इस रूल्स के अन्दर जो कि मैंने पढ़ कर आपको सुनाया नम्बर 18 में, टेण्डर देने वाले से पहले जान पहचान की जायेगी। यह नहीं होगा कि एक करोड़ का टेण्डर दिया फिर कहा कि बोगस निकला। एक करोड़ का टेण्डर देने वाले व्यक्ति का क्या वेरीफिकेशन नहीं कराया कि उसकी हैसियत क्या है? कहां से रुपया लगायेगा। यह क्यों नहीं किया? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मुख्य प्रश्न है, वित्तमन्त्रीजी ने यह क्यों नहीं किया? नियम की अवहेलना क्यों की है? यह नियम क्यों नहीं अपनाया है? जबकि वह दूसरे नम्बर से वसूल किया जाता है। सरकारी खजाने को कभी नुकसान नहीं होता। यह पहली बार है, माननीय वित्त मंत्री, चन्दनमल वैद को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनके द्वारा यह दो करोड़ का नुकसान राजस्थान की जनता को हुआ। आपने दाल पर टैक्स लगाया, आटे पर टैक्स लगाया, ट्रेक्टर टैक्स लगाया लेकिन यह बड़ी बड़ी संस्थायें हैं, जिनके लिए आप कहते हैं कि आप मोनोपोली को खत्म करना चाहते हैं। क्या यही तरीका है मोनोपोली को खत्म करने का? इससे आप मोनोपोली को पनपा रहे हैं, मोनोपोली को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, मोनोपोलिस्ट की पीठ को थपथपा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, यह सोचने की बात है। जनता आपके इन एक्शन से इन्फरेन्स निकालती है। इसको मैं दो करोड़ रुपये का स्केण्डल कहता हूं, दो करोड़ है, कितना है, वह आप खुद बतायें। उससे साबित होगा कि राजस्थान की सरकार को कितना नुकसान हुआ। लेकिन यह जो नुकसान हुआ है, इसके लिए राजस्थान के वित्त मंत्री और उनका विभाग ही जिम्मेदार है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने इस सदन में यह कहा कि 21 तारीख को उन्होंने कानून विभाग से राय ली कि दूसरा टेण्डर एक्सेप्ट हो सकता है या नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब यह सर्वमान्य सिद्धान्त था कि हाइएस्ट टेण्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए तो आपको राय लेने की क्या

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

आवश्यकता हुई, क्यों जरूरत महसूस हुई ? क्या जरूरत इस कारण महसूस हुई, जैसा कि कहावत है—चोर की दाढ़ी में तिनका। आपने क्यों राय ली, आपको कैसे वहम हो गया कि दो करोड़ का नुकसान होगा उसके लिये मुझे जिम्मेदार ठहराया जायगा, सदन में मुझ पर आरोप लगेंगे, जनता के कटघरे में खड़ा होकर मुझे जवाब देना पड़ेगा। आपने पत्र-व्यवहार किया, कानून विभाग से 21 तारीख को पत्र-व्यवहार चला। इसका कैसे ठेकेदारों को पता लगा जिनको 27 तारीख को, 30 तारीख को रकम जमा करानी थी, जो रकम जमा कराने वाले थे ? उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा राम राज्य कब मिलेगा, 30 लाख का फायदा बिना टेण्डर एक्सेप्ट हुए मिल रहा है, बिना रकम जमा कराये मिल रहा है, वह तीस लाख आपस में बांट लिये, किसमें बांटे, ठेकेदारों ने गुलछर्रे उड़ाये या क्या हुआ, किस तरह से हुआ-यह मैं नहीं कह सकता। एवं सबसे बड़ी बात है, जिसको कहते हुए मुझे दुःख होता है लेकिन जिसको सुनते हुए, माननीय वित्त मंत्रीजी, आपको शर्म नहीं आयेगी स्वभाव के अनुसार वह यह है कि आप इसकी जांच कराने के लिए तैयार नहीं हैं। इसकी जांच की मांग विरोधी पक्ष के लोगों ने की है, वह जांच अगर आप करायेंगे तो जांच से पर्दा खुल जायेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। अगर आप जांच करायें तो सत्य सबके सामने आ जायगा। लेकिन आप जांच नहीं कराना चाहते। जनतंत्र के अन्दर जांच नहीं कराई जाती है, तो उसका क्या अंजाम होता है, यह आप भी जानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन सारे तथ्यों के आधार पर मैं आज भी निवेदन करूंगा कि अगर आप अपना दामन साफ कराना चाहते हैं, अगर आप अपनी सफाई देने के लिए चिन्तित हैं, जो कलंक का टीका आपके माथे पर मंत्री महोदय लगा हुआ है, जिसके लिए आप स्वयं कहते हैं कि हम बेदागी को मंत्री बनाना चाहते हैं, दागी लोगों को निकालना चाहते हैं तो कम से कम यह प्रक्रिया तो आप काम में लीजिए। राम ने सीता को जुलाहे के कहने से, धोबी के कहने से अग्नि परीक्षा के लिए खड़ा कर दिया था। यह जांच की मांग केवल हम लोगों की ही नहीं है, उन माननीय सदस्यों की भी है जो आपके साथ में काम कर चुके हैं, जो कांग्रेस में रह चुके हैं, जिन्होंने मन्त्री पद को ग्रहण किया है, स्पीकर के पद को ग्रहण किया है, वह भी जांच की मांग कर रहे हैं, यह केवल जनसंघ दल की ही मांग नहीं है। आपके अपने लोग भी मांग कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने दल के सदस्यों को दबा सकते हैं, उनका गला घोंट सकते हैं, व्हिप लागू कर सकते हैं, उनको कह दें कि नहीं बोल सकते हैं लेकिन यहां विधान सभा से जाते हैं तो वहां पर इश्तिहार लगे हुए हैं जिन्हें सब पढ़ते हैं, दो करोड़ का घोटाला, दो करोड़ का घोटाला, दो करोड़ का घोटाला। आज इस घोटाले की आवाज राजस्थान की हर गली, हर सड़क पर, हर दुकान में, हर मकान में, हर खेत में, हर खलिहान में, हर कारखाने में, हर वाचनालय में, हर पुस्तकालय में गूंज रही है। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी, आपको शर्म नहीं आएगी—यह मैं जानता हूं क्योंकि आपने यह किया है और इस प्रकार से बेशर्मी के साथ में जनता के साथ में खिलवाड़ किया है।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

एक दूसरा और आपके सामने मैं उदाहरण दूंगा, आपके आबकारी महकमे ने प्रगति विवरण प्रकाशित किया है उसमें लिखा है, 1,48,55,095 रुपये ठेकेदारों में बकाया है। वित्त मंत्रीजी मैं जानना चाहता हूं यह 1,48,55,095 रुपये इन बड़े बड़े ठेकेदारों में कैसे बकाया है इसके लिए आपको क्या कहना है ? मैं जानना चाहूंगा, यह एक दिन में बकाया नहीं हो सकती है, यह कई सालों की बकाया होनी चाहिए। मैं नहीं कहता आप माननीय चन्दनमल वैद इसके लिए जिम्मेवार है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस शासन जिम्मेदार है, कांग्रेस के शासन के अन्दर से सुखाड़िया जी चले जायं, बरकतुल्ला खां साहब आजाय, मथुरादास माथुर चले जायं, चन्दनमल वैद आजाय इससे अन्तर नहीं पड़ता है। राजस्थान की जनता पार्टी को देखती है चाहे हीरालाल शास्त्री हों, चाहे जयनारायण व्यास हों, चाहे टीकाराम पालीवाल हो, चाहे मोहनलाल सुखाड़िया हों, चाहे बरकतुल्ला खां साहब हों। आप यह यहां खड़े होकर कह सकते हैं कि मेरी सरकार बनने के बाद यह बकाया नहीं हुआ। मैं नहीं समझ सकता, आपकी सरकार कैसे अब बनी, आपकी सरकार तो पच्चीस साल से है, लगातार आपकी सरकार जनता का शोषण कर रही है। इसलिए यह कह कर नहीं चल सकते हैं, भले ही चेहरे बदल गये हों। शराब वही है। बोतल बदल देने से काम नहीं चल सकता है। हृदय नहीं बदले हैं। आज कांग्रेस के लोगों ने ही कहा है कि नौकरशाही में इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है। मैं कह सकता हूं कि अगर बड़े बड़े मंत्री, जो सरकार का कार्य करने वाले हैं, वह भ्रष्टाचारी लोगों को पनाह नहीं दें तो भ्रष्टाचार कैसे पनप सकता है। इसलिए भ्रष्टाचार केवल यहां कहने से नहीं मिट सकता, वित्त मंत्रीजी। मैं आपको बताऊंगा कि प्रोहिबिशन के बावजूद जोधपुर में शराब का ठेका दिया गया, अगर इस पालिसी को आप इम्प्लीमेंट करते तो अच्छा होता। इस संबंध में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि वक्त नहीं है। लेकिन जालौर में ड्राई एरिया के अन्दर, मैं केवल आपको संकेत-मात्र देना चाहता हूं, कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। जैसलमेर के अन्दर व्हिस्की की चौदह बोतल अवैधरूप से ले जाते हुए पकड़ी गई, भीनमाल में 13 बोतल अवैध शराब पकड़ी गई, जालौर के अन्दर 425 अवैध शराब की बोतल पकड़ी गई, जगदीशवाल में 75 अवैध शराब की बोतल पकड़ी गई, बाड़मेर के अन्दर तीन हजार अवैध शराब की बोतल पकड़ी गई, आबू के अन्दर 250 बोतल अवैध शराब की पकड़ी गई। यह केवल एक संकेतमात्र है। आप मानकर चलिये, वित्त मंत्रीजी, जहां पर 25, या 75 या 3 हजार बोतल अवैध शराब की पकड़ी गई, वहां पर लाखों की तादाद में अवैध शराब का व्यापार होता है और आपकी नाक के नीचे होता है, वहां आपका प्रशासन है, वहां पर कांग्रेस का शासन है, बाड़मेर जालौर में दूसरी पार्टी का शासन कहां है, आपकी पार्टी का शासन है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा क्या यह तरीका है आप द्वारा भ्रष्टाचार को मिटाने का, यह तरीका है आपके द्वारा भ्रष्टाचार को छः महीने में समाप्त करने का। मैं यह मुख्य मंत्री जी से भी (समय समाप्ति सूचक घंटी) जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने हमेशा के लिए भ्रष्टाचार को वैध कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक नहीं अनेक उदाहरण

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

दे सकता हूं, अफीम के, अफीम के डोडों के। मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा आपसे पहले और माथुर साहब के बीच में एक नई सरकार बनी थी, अब तो आपकी नयी नयी सरकार है, दो नए शब्द आपकी सरकार के लिए मैं प्रयोग करता हूं, इसके बीच में शोभारामजी आए। उन्होंने घोषणा की, मैं फारिन लिकर, विदेशी शराब के अन्दर जो मोनोपोली चल रही है वह खत्म करूंगा। उन्होंने इस सदन में यह घोषणा की और जनता के सामने यह घोषणा की, फिर आपने उस घोषणा को क्यों ठुकराया, क्या रहस्यमय परिस्थितियां थीं। माननीय वित्त मंत्रीजी, क्या विदेशी शराब आपको ज्यादा मधुर लगती है, ज्यादा मीठी लगती है····

श्री चन्दनमल बैद : यह तो आप कह सकते हैं, ज्यादा मधुर है या नहीं। विदेशी शराब के स्वाद के बारे में आप कह सकते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप कह सकते हैं, आप सिसोदिया गार्डन में गये थे, राधा नर्तकी के नृत्य को देखने गये थे ···

श्री चन्दनमल बैद : आप गलत मत कहिये, मैं सिसोदिया गार्डन में नहीं गया, नहीं गया

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप नहीं गये तो आपके मंत्री गए।

श्री चन्दनमल बैद : आप यह साबित कर दें कि मैं सिसोदिया गार्डन में गया तो आप जो [illegible] दें वह कर दूं। आपको झूठी बात [illegible] पड़ गई है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप कह रहे हैं, सिसोदिया गार्डन में नहीं गये····

श्री चन्दनमल बैद : आप झूठी बात क्यों कर रहे हैं कि मैं गया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : और मंत्री गये, तो यह कलेक्टिव रेसान्सिबिलिटी की बात है।

श्री चन्दनमल बैद : कहीं जाना कलेक्टिव रेस्पान्सिबिलिटी नहीं है। आपने गलत बात कही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वित्त मंत्री, मुख्य मंत्री बतायें, उन्हें सदन के अन्दर जवाब देना पड़ेगा, 8 अप्रेल को फंक्शन किस लिए हुआ था, किस पार्टी के लोग वहां गये थे।

श्री चन्दनमल बैद : आप यहां कुछ भी कहें, आप यह कह देते हैं कि मैं गया था और अब आपने झूठ बात को माना है तो आप माफी मांगिये। आपको झूठी बात कहते शर्म नहीं आती····

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप नहीं गये थे····

श्री चन्दनमल बैद : आप बेशर्म है, आपको झूठी बात कहते शर्म नहीं आती।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपको शर्म नहीं आती जनता पर टैक्स लगाते हुए····

श्री चन्दनमल बैद : आप माफी मांगिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला। मैं इस विवाद के लिए निवेदन करना चाहता हूं, जनसंघ के नेता महोदय ने गलत बात कह दी है तो वह संशोधन कर लें और उन्होंने बहुत बार

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

महात्मा गांधी का रेफरेन्स दिया है तो महात्मा गांधी तो अपनी गलती स्वीकार कर लेते थे, आपसे गलती हुई है तो आप स्वीकार कर लें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप स्वीकार करें मुख्य मंत्री स्वीकार करें, आप कहें ..

श्री श्रीराम गोटेवाला : वित्त मंत्रीजी ने आपको चुनौती दी है, उन्होंने कहा है वह नहीं गये।

श्री चन्दनमल बैद : आप साबित कीजिये कि मैं गया हूं....

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप नहीं होंगे।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं तो आप माफी मांगिये। आपने कहा, मैं गया था, अब कहते हैं, नहीं गया। आप माफी मांगिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माफी आप मांगिये, आप विरोधी पक्ष के भाषण भी सुनना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि सिसोदिया गार्डन में नहीं गये, लेकिन राजस्थान की गरीब जनता पर एक तरफ टैक्स लगाते हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े सेठों में लाखों रुपया बकाया है। मैं आपको बताता हूं...

श्री चन्दनमल बैद : धमकी देने की जरूरत नहीं है। आपने गलत बात कही है, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिये। नहीं मांगते हैं तो आप बेशर्म हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : चार करोड़ का टैक्स जनता पर लगाते हैं लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं, चूसना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो चुका है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का बयान है, वह मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जो उन्होंने राजस्थान के हाई कोर्ट में दिया। श्री श्रीराम गोटेवाला ने थोड़ा संकेत किया है, मैं उसको एक मिनिट में कह कर समाप्त कर देता हूं। क्या डी.सी.एम. में चार करोड़ रुपया बकाया है? उन्होंने कहा, जे. के. सिन्थेटिक के अन्दर दो करोड़ रुपया व अन्य लाख रुपया बकाया है...

मैं उनसे कहना चाहता हूं माननीय श्री गोटेवाला सुनें और वित्तमंत्री माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने स्वीकार किया है।

Did M/s J. K. Synthetics Make a donation of Rs. 25 thousand to Udaipur DCC ?

Yes.

Did the New Delhi Cloth Mills make a donation to Udaipur DCC at your instance ?

Yes.

Did the Maharana Bhopal Electric Supply Co. make a donation of Rs. 25 thousand to Udaipur D.C.C.

Yes.

श्री भानकुमार शास्त्री : इससे बढ़कर शर्म की बात क्या होगी? चुनाव में पैसा ले लेते हैं...

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो आप भी ले लेते हैं। पिछली बार साहू जैन से यह बात साबित हो गई है...

श्री भानुकुमार शास्त्री : बिल्कुल गलत है।

(शोरगुल)

श्री श्रीराम गोटेवाला : सेठों के बलबूते पर आए हो, जनता ने तो आपको ठुकराया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह हाई कोर्ट का रेकार्ड है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कान खोलकर सुनिये- Was a donation of ten thousand made to Kota DCC?

Yes.

यह राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया का बयान है जिसको आज इन्दिराजी द्वारा मैसूर के राज्यपाल बनाकर बिठाया गया है जिसका स्वागत करने के लिए आपने इसी आलोक उद्योग गार्डन पर...

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो चुका।

श्री भानुकुमार शास्त्री : हमारा समय भी इनको दिया जाए।

श्री मीठालाल : हमारा समय भी इनको दिया जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बोल चुके हैं। अब बकाया हो तो बता दीजिये। समय तो जा चुका।

श्री उपाध्यक्ष : पौने चार बजे सरकार का उत्तर होगा। अभी और भी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आज मुखबंद भी है। समय बढ़ा नहीं सकते।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जल्दी समाप्त कर रहा हूं। आलोक उद्योग के उद्यान पर माननीय मोहनलाल सुखाड़िया और हमारे मुख्य मन्त्री श्री बरकतुल्लाखां के लिए एक ग्रांड पार्टी का आयोजन किया गया जिसका कार्ड मेरे पास भी आया लेकिन यह दूसरी बात है कि श्री बजाज के स्वर्गवास होने के कारण वह पार्टी नहीं हो सकी। आलोक उद्योग कौन है? जयपुर उद्योग के द्वारा एक जिला कांग्रेस कमेटी को 25 हजार दिया गया उसकी एन्ट्री मैंने बताई है। जे. के. सिन्थेटिक्स के द्वारा, दिल्ली क्लाथ मिल्स के द्वारा एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी के द्वारा, भोपाल इलेक्ट्रिक कम्पनी के द्वारा पैसे दिये गये। सारे राजस्थान के इतिहास को देखें। यह हाई कोर्ट का रेकार्ड है। श्री मोहनलाल सुखाड़िया का बयान है हाई कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर उन्होंने स्वीकार किया और कांग्रेस कमेटी का रेकार्ड है। मुझे हैरानी होती है कि मन्त्री को शर्म नहीं आती, धन्ना सेठों से रुपया लिया जाए और उनको छूट दी जाए, शर्म इस बात पर आती है। आलोक उद्योग के उद्यान पर जहां इतनी बड़ी पार्टी हुई उसमें पुराने दानी मुख्यमंत्री और वर्तमान बेदागी मुख्यमन्त्री भी थे। सदन में कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं। भला इस युग के अन्दर इनसे बढ़कर कोई बात हो सकती है? कार्ड छपे थे। सभी जानते हैं कि आलोक उद्योग और साहू जैन द्वारा सवाई माधोपुर में लाखों रुपये सरकार से सीमेंट की बिक्रीकर में छूट ले ली। ब्यावर में उनको लाइसेन्स दिया गया उस पर आज

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

तक वहां न कारखाना बना न लाइसेन्स रद्द किया, क्यों नहीं ? कारखाना 'बनता नहीं, जनता को रोजगार मिलना नहीं और लाइसेंस रद्द भी नहीं होना। यह आलोक उद्योग, साहू जैन, जयपुर उद्योग, दिल्ली क्लाथ मिल्स, एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी, भोपाल इलेक्ट्रिक कम्पनी के दलाल, इनको बताना चाहता हूं, हमारे सामने कहते हैं और राजस्थान के गरीब किसान पर टैक्स ट्रैक्टरों पर टैक्स लगाया खाद पर टैक्स लगाया, सोने और चांदी पर टैक्स लगाया धान रोटी पर टैक्स लगाया माननीय वित्त मंत्रीजी आपको अपनी भाषा पर संयम होना चाहिये। इस सदन में बोलने वाले कोई कार्यकर्ता हो, चाहे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के, उनका भाषण सुनने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिये और यदि आप बेशर्मी के साथ बोलते हैं तो हमें कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम आपकी बेशर्मी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। चश्मे लगाए, चश्मे उत्तर गए और चश्मे उतारे जायेंगे। भूल मत जाना जनता का शोषण।

एक बात और कहना चाहता हूं। पिछले दो सप्ताह के अन्दर स्टाम्प्स के अन्दर रजिस्ट्री के महकमे में एक एक तहसीलदार ने एक एक लाख, दो दो लाख रुपए कमाए। भूमि पर सीलिंग लगा रहे हैं। लाउड स्पीकर से घोषणा की गई और तहसीलदार ने कहा वाह वाह, एक के बाद एक। गंगानगर में दो करोड़ की रजिस्ट्रियां हुई। एक तहसीलदार ने एक रजिस्ट्री पर 25, 30, 40 कमाए। ऐसा बड़ा भ्रष्टाचार आज तक नहीं हुआ। न भूतो न भविष्यति। न भूत में हुआ न भविष्य में होगा। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और इतने बड़े भ्रष्टाचार की आप जांच करवाने को तैयार नहीं। यदि हम मांग करें तो विरोधी पक्ष की मांग है इसलिए कहेंगे इसको अस्वीकार करता हूं लेकिन वित्त मंत्री महोदय आप उसको अस्वीकार कर सकते हैं। आपका अनुदान पालन भी हो जायेगा लेकिन कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने, उसकी ओर ध्यान दीजिए। हमारी बात को छोड़िए। हम जनता के दरबार में जायेंगे जो कुछ होगा उसका निर्णय वह लेगी, जनता आंदोलन करेगी लेकिन वित्त मंत्री महोदय ..

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

अभी समाप्त करता हूं। अब ट्रांस्पोर्ट की बात करूंगा। ट्रांस्पोर्ट के बारे में आज कहा गया कि कुछ कानूनी अड़चनें हैं। क्या अड़चनें हैं? मैं जानता हूं हाई कोर्ट में पिछले 15 साल का इतिहास साक्षी है। राष्ट्रीयकरण की जितनी स्कीम्स बताई, जानबूझकर उनमें लेकूना रखे गए और डिटेक्ट करवाया और स्टे आर्डर्स हुए और निकम्मी सरकार की ओर से वकीलों को भेजा गया जो राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल के नाते काम करते हैं और वहां जाकर खड़े होते हैं। एक के बाद एक स्टे आर्डर कर दिया गया और इस कारण राष्ट्रीयकरण 10 साल से अवरुद्ध रहा। उदयपुर में क्यों नहीं किया गया ? बड़े बड़े ठेकेदारों से चन्दे मिलते थे। जोधपुर के ट्रांसपोर्ट इन्सपेक्टर ने मुझे बताया कि चुनाव के समय बस कन्डक्टर और बस मालिक आए। हमने उनसे कहा एक एक बस पर 250 देना पड़ेगा। आप क्यों कहलवाना चाहते हैं ? आप जानते हैं किस प्रकार से आप प्रशासन को भ्रष्ट कर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद जो आपके चमचे हैं उनकी जेबें भरने के लिए, उनकी थेलियां भरने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालते हैं और फिर कर्मचारियों से कहेंगे कि तुम भी खाओ, हम भी खायें। 500 वह खाएगा, 200 राजनेता को देगा। यह कच्चा चिट्ठा है। ईश्वर के लिए हमारी बात को तो छोड़िए, लेकिन अपने सदस्यों की बात को तो स्वीकार कीजिए। कम से कम खाद, दाल, देशी साबुन, ट्रैक्टर, चांदी के जेवर और छोटे होटलों का काम करने वाले हलवाई जो नमकीन बेचते हैं सुबह से शाम तक जीवन निर्वाह करते हैं। 145 के बहुमत से आने के बाद भी यह न्याय का तकाजा है कि आप इस युग में $2\frac{1}{2}$ करोड़ जनता की वाणी को अवरुद्ध नहीं कर सकते।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीमित वक्त में कुछ रचनात्मक सुझाव पेश करूंगा। मैं चाहूंगा उन सुझावों पर गौर किया जाय और वित्त मंत्रीजी जहां तक हो सके उनको लागू करने की कृपा करें।

हमारी पोलिसी यह है कि जो वर्ग टैक्स दे सकता है उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्सों का भार डाला जाय लेकिन जो साधन हीन हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, मजदूरी करते हैं उन लोगों पर और आम लोगों पर टैक्स का भार कम पड़े। हमारी यही बुनियादी मांग है और उसूल है जिसकी तरफ आपकी तवज्जुह दिलाना चाहूंगा।

सबसे पहले मैं सेल्स टैक्स के बारे में गुजारिश करूंगा। जैसा पार्टी का स्टैन्ड है, सेल्स टैक्स के बारे में हमारा कहना है कि जो चीजें लग्जरी गुड्स की तारीफ में आती हैं, ऐसी चीजें जो मालदार खरीद सकते है उन पर टैक्स बढ़ाया जाता है तो हमको आपत्ति नहीं है लेकिन ऐसी चीजे जो रोजमर्रा इस्तेमाल की हैं, खाने पीने की चीजे हैं उन पर टैक्स लादना उसका मतलब आम लोगों की परेशानियों और कठिनाइयों में इजाफा करना है।

सबसे पहले मैं यह गुजारिश करूंगा टैक्स में इजाफा किया है गेहूं पर नये टैक्स लगाये है खाने पीने की चीजों पर, दाल पर, मैं उनकी पूरी तरह से मजम्मत करता हूं और विरोध करता हूं और मैं चाहूंगा वित्त मंत्रीजी इस बात को दृष्टिकोण में रख कर इन टैक्सों को हटायेंगे ताकि आम लोगों को जो कठिनाइयां है उनमें और इजाफा नहीं करना चाहिये।

जो लोग गल्ला बेचते हैं वे तो उस टैक्स को बढ़ा कर नफा कमा लेंगे लेकिन जिसको रुपये का एक सेर गेहूं खरीदना पड़ता है, सवा सेर जो खरीदना पड़ता है उसकी कठिनाई है में इजाफा हो जावेगा। वित्त मंत्री साहब इस बात पर गौर करें और जो टैक्स खाने की चीजों पर लगाये गये हैं उनको तुरन्त हटाने की कृपा करें।

दूसरी चीज, आपने मिठाइयों पर जो टैक्स लगाया है उसका भी बड़ा असर उन गरीब लोगों पर पड़ता है जो थोड़ी बहुत मिठाइयां या ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं। आप गौर फरमाइये। आपने एक्जेम्पशन की मिलावट रखी है 80, 83 रुपया रोज। मिठाई बनाने वाला भी हिसाब रखे, सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर को रिश्वत दे और सब काम बन्द कर दे और सुबह शाम हिसाब किताब लिखे।

Page No 113

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

83 रुपये की मिठाई बनाने वाला दस पन्द्रह रुपया रोज बचाता होगा। एक दो आदमियों की तनख्वाह देगा तो नहीं बचेगी। इस मानवता के नाते वित्त मंत्री साहब को इस बात पर गौर करना चाहिये। ऐसे लोग अपने हाथों से मिठाई बनाते हैं, मिठाई कन्ज्यूम करते हैं उनको कम से कम राहत मिलनी चाहिये। यह चीज है। आप हर चीज पर टैक्स लगाकर आमदनी का जरिया बनाते हैं यह उस हद तक सही है जब आम लोगों पर असर न करें। इसलिये इस टैक्स पर गौर फरमाइये और वापिस लेने की कृपा करें।

एक और इजाफा किया है निजी साबुन बनाने वालों पर। एक दो आदमी मिलकर तैयार करते हैं, हैंडमेड होता है, घरों में तैयार करते हैं, किसी फैक्टरी या मशीन से नहीं बनाते हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। वे लोग जो थोड़ा सा व्यापार करते हैं, साबुन बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं उन पर यह बोझ डाला जाय यह समझ में आने वाला नहीं है। इसलिये इस टैक्स पर भी वित्त मन्त्री साहब गौर फरमाइये। इसको भी हटाने की कृपा करें।

सैल्स टैक्स से कुछ चीजें मुस्तसना हैं। जो ज्वेलरी का काम करते हैं पांच हजार रुपये तक का व्योपार पर टैक्स से मुस्तसना हैं। यह रकम कलील है और इसी तरह से गोटे पर एक्जम्प्शन लिमिट है वह 5 हजार है। एक्जम्प्शन लिमिट पर भी वित्त मन्त्री साहब को गौर करना चाहिये वह किस तरह बढ़ायें और किस तरह से लोगों को राहत मिले। छोटा-छोटा व्योपार करते हैं, थोड़ा-थोड़ा गोटा बनाते हैं और नगीनें लाकर तैयार करते हैं इसलिये ऐसा करेंगे कि इसमें इजाफा करेंगे तो छोटे लोगों को राहत मिलेगी।

टैक्स का जो बोझा है उसके लिये मेरी गुजारिश है कि आपने टैक्स का बोझ बसें, टेम्पों और स्कूटर पर लादा है, यह भी मैं अनुचित मानता हूं। छोटा आदमी टेम्पू स्कूटर रिक्शा में बैठता है, बस में बैठता है, उसको वैसे ही काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। आप उस पर और बोझ लादना चाहते हैं यह मुनासिब नहीं है। यह जुदा बात है। ट्रक्स पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगायें, हैवी व्हिकल्स पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगायें यह समझ में आने वाली बात भी है। ऐसी व्हिकल्स पर टैक्स लगाते हैं जिनका भार गरीबों पर पड़ता है वह गलत है चाहे किसी शक्ल में लगायें।

सेल्स टैक्स के बारे में आपको साधन बताऊंगा। आपने वाइन पर 10 परसेन्ट टैक्स लगाया। गोकुलभाई भट्ट के उपवास के मौके पर आप इस पर 30 परसेन्ट कर दीजिये। शराब पीने वाले टैक्स देंगे और और देना चाहिये। न तो यह इन्सान की जिन्दगी के पालन पोषण के लिये हैं स्मेटिक पर आप कर लगाओ। फेशनेबल औरतें सुबह शाम जो एक डिब्बा पाउडर का, क्रीम का खर्च कर देती हैं उस पर टैक्स लगाइये और साधन जुटाइये। अरबन प्रोपर्टी, जो जमीन खाली पड़ी हुई है उन पर टैक्स लिया जावेगा यह फैसला लिया गया था। उस पर हाई कोर्ट का रिट का बहाना लेकर नहीं लगाया जब कि रिट कभी की खत्म हो गयी। अरबन प्रोपर्टी है।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

पांच पांच हजार दस दस हजार गज जमीनें बेकार पड़ी है शहरों में वहां पर टैक्स लगाओ। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों पर जब टैक्स का बोझा पड़ता है तो उसको लगाने के लिये यह हुकूमत क्यों गुरेज करती है। यह हुकूमत उन पर कर नहीं लगाती। कार पर टैक्स लगाया वह कम है। और टैक्स लगाना चाहिये। जो लोग कार का इस्तेमाल कर सकते हैं वे 30) के बजाय 50 रुपया खर्च करें। जो मैंने सेल्स टैक्स लगाने का तरीका बताया, ऐसी चीजों पर टैक्स लगाइये आम आदमी पर टैक्स का बोझा नहीं पड़ता हो तो आपका यह बजट कामयाब होगा।

दूसरा इश्यू रखना चाहता हूं आपके सामने आबकारी को ग्रान्ट के बारे में गुजारिश किया चाहता हूं। हमारी पोलीसी यह नहीं कि प्रोहिबिशन खत्म हो। हमारी पोलीसी यह है, हम यह चाहते हैं कि प्रोहिबिशन का टैक्स शराब जो काम में लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं उन पर ज्यादा लादा जाना चाहिये। इस टैक्स में वृद्धि होनी चाहिये। और दूसरी बात जो मुझे गुजारिश करनी है वह यह है कि पहले भी गुजारिश की थी यह शराब की दुकानें शहरों के उन हिस्सों में फरोख्त की जाती हैं, नीलाम की जाती है जहां पर वर्किंग क्लास मजदूर तबके के लोग रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि आप न सिर्फ शराब के व्यापारी को अपनी रेवेन्यू ही बढ़ाने को देते हैं बल्कि एक दूसरा किरदार भी अदा कर रहे हैं। वह यह है कि जो गरीब हैं वे पैसे पैसे से मोहताज हो जाते हैं और अपने बच्चों के लिए भी परेशानी छोड़ जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि रेगरों की कोठी में यह फैसला किया कि वहां पर शराब की दुकान खोली जाये लेकिन जो संजीदे लोग थे उन्होंने कहा कि यहां दुकान कायम की गयी तो हम बोतलें तोड़ देंगे, हम अपनी लड़ाई शुरू करेंगे। तो मैं वित्त मन्त्री जी से यह अर्ज करूंगा कि शराब आप पिलाइये तो ऐसे लोगों को पिलाइये जो कि पैसे वाले हैं। आप मजदूरों की बस्ती में ये शराबखाने मत खोलिये, उनकी बस्ती से इनको उठा दीजिए और यह एक अच्छा फैसला है जिसको आपको लेना चाहिए। ऐसे लोग जो शराब के शौकीन है उनको चाहिए कि शहर से तीन मील दूर जाकर शराब पीयें। मैं गुजारिश करूंगा और आप देखिये वहां चलकर कि शराब पीने वाले लोग किस तरह से पड़े रहते हैं, कुत्ते उनके मुंह चाटा करते हैं और उनके बच्चे उनको रोया करते हैं, उनकी बीबी उनको रोया करती है, ऐसी हालत में मजदूरों की जिन्दगी गुजर रही है, मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आबकारी की ग्रान्ट आपके सामने आई है और गोकुल भाई भट्ट ने अपनी जिन्दगी की बाजी लगाई है इस मामले को दुरुस्त करने के लिए और आप यह फैसला कर लेते हैं कि गरीबों की बस्ती से शराबखाने हटा देंगे तो मुझे विश्वास है कि गोकुल भाई भट्ट आपसे इस मामले में काम्प्रोमाइज कर लेंगे। यह काम जल्दी से जल्दी उठाया जाये। यह शराब खाने यहां से हटाये जायें।

इसके बाद मैं तीसरा इश्यू लेना चाहता हूं। ट्रक्स के जो परमिट हैं इसकी प्रणाली की तरफ मैं आपकी तवज्जोह दिलाना चाहता

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

हूं। यह जो आपके परमिट्स देने का तरीका है यह इस किस्म का तरीका है कि इसमें इजारेदारी कायम होती जा रही है। एक आदमी के पास दस दस ट्रक्स हैं और उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का जिक्र करूंगा। यह फर्म दिल्ली में रजिस्टर्ड है और इनकी तकरीबन 150 ट्रक्स हैं और चारों तरफ इन्होंने अपना जाल फैला रखा है तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर। दिल्ली से परमिट लेते हैं जयपुर का और जयपुर से परमिट लेते हैं दिल्ली का और इसी तरह से मध्यप्रदेश से गुजरात से हर जगह से जहां जहां यह जाते हैं वहां के सिटीजन बन जाते हैं और लाखों रुपया यह बटोर रहे हैं। यह जो तरीका है कि एक आदमी के पास दस-दस ट्रक्स हैं। तो मेरा सुझाव है कि आप इस बात पर गौर फरमायें कि यह जो सिस्टम है यह किस तरह से बदला जाये और जो लोग इस तरह से पहले ज्यादा ट्रक्स ले चुके हैं उनके परमिट के कैंसिलेशन का तरीका निकाला जाये और इस बात पर भी गौर फरमायें कि जो लोग खुद चलाते हैं, जो खुद ड्राइवर हैं उनको प्रिफरेन्स दिया जाये और इस सिलसिले में मैं एक और गुजारिश करता हूं कि आज हमारे सामने बड़ा संकट है। पढ़े लिखे इन्जीनियर्स हैं, पढ़े लिखे डाक्टर्स हैं गली गली में ठोकरें खाते फिर रहे हैं उनके लिए कोई जिन्दगी के साधन नहीं हैं और आये दिन इस किस्म की खबर आती है। आज भी जोधपुर में एक आदमी ने कुए में कूदकर अपनी जान दे दी। तो आजादी हासिल करने के 25 साल के बाद भी इस बेकारी ने उतना ही भयंकर रूप धारण किया हुआ है जितना कि पहले था। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप ट्रक के परमिट्स देते हैं या पेट्रोल पम्प के परमिट्स देते हैं या इजाजत देते हैं वह इन्जीनियर्स को दें। जो बेरोजगार हैं उनको ही परमिट्स दिये जायें। उनको इस बात पर आमादा किया जाये कि ट्रक का पैसा वह बैंक से लें और उसके बाद वह इस कारोबार को चलायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह अर्ज किया चाहता था कि इस तरफ हमको बहुत जल्दी कदम उठाने चाहिए।

अब मैं स्टाम्प ड्यूटी के बारे में कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। यह स्टाम्प ड्यूटी का मसला बड़ा पेचीदा है। पहले जो विधान सभा थी उसके अन्दर भी कम्युनिस्ट विधायक ने यह सवाल उठाया था कि भवानी टाकीज जिसका नाम पहले गंगा टाकीज था उसको बेचा गया। और वह 3 लाख रुपये में बेचा गया और उसकी कीमत 10-15 लाख थी। इस सिलसिले में एक इन्क्वायरी कमेटी की बात भी की गयी थी और यह वायदा किया गया कि इन्क्वायरी कमेटी इसके बारे में फैसला ले लेगी लेकिन आज तक पता नहीं चला कि 7 लाख की स्टाम्प ड्यूटी बचाई महाराजा बीकानेर ने उसका क्या हश्र हुआ। तो मैं यह गुजारिश किया चाहता हूं कि ऐसे काम जिसमें आपको पैसा मिल सकता है, उस इन्क्वायरी ने आज तक सूरज की रोशनी नहीं देखी। हमें नहीं मालूम कि उसका क्या हश्र हुआ। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप इस बात पर गौर करें।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

एक बात और अर्ज कर दूं कि हमने वादा किया था कि जितने भी रूट्स हैं उनको नेशनेलाइज किया जायेगा और इनके ऊपर बसें चलाई जायेंगी । उसके बारे में, मैं यह गुजारिश किया चाहता हूं कि जितने रूट्स बाकी रह गये हैं—चाहे वह बसें किसी की भी हों, मेरी हों, आपकी हों, किसी रिश्तेदार की हों बगैर हिचकिचाहट के इन रूट्स का नेशनेलाइजेशन करना चाहिये ताकि हम अपने रेवेन्यू के साधन जुटा सकें और अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। तो यह सुझाव मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि जो बोझ गरीबों पर पड़ा है वह कम हो और जो ऐसा वर्ग है जा दे सकता है, उठा सकते हैं उस बोझ को वह उठायें ।

आखिर में, मैं बस यह निवेदन करूंगा कि जो गोकुल भाई का फास्ट है यह हमारे लिए चुनौती है । मैं उनकी जान बचाने के हक में जरूर हूं । उनकी बहुत बड़ी कुरबानियां हैं, देश के लिए उन्होंने बहुत बलिदान किया है । जब हम बच्चे थे उस जमाने से वह आजादी की जंग को लड़ रहे थे । तो मैं गवर्नमेन्ट से अपील करूंगा

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

कि इस तरफ उनको फौरन कदम उठाना चाहिये और उनसे बातचीत करके ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे हल निकल सके । उनको एतराज नहीं है कि बड़े आदमी शराब पीयें । उनको एतराज है कि मजदूरों के बीच में जो शराब बेची जाती है, पिकेटिंग के बावजूद बेची जा रही है यह तरीका गलत है और इसको फौरन रोका जाये और गरीबों को, मजदूरों को बचाया जाये । इसलिये मैं इन शब्दों के साथ यह गुजारिश करूंगा कि मैंने जो सुझाव रखे हैं उनके ऊपर बहुत ठंडे दिल से वित्त मन्त्रीजी को गौर करना चाहिये और मिठाइयों पर, नमकीन पर, साबुन पर टैक्स हटाना चाहिए और एग्जैम्पशन की लिमिट जो आपने मुकर्रर की है और गोटे के कारोबार पर 5 हजार रुपया और हीरे जवाहिरात पर एग्जैम्पशन की लिमिट को सोच कर बढ़ाना चाहिए ताकि छोटे व्यापारियों को उससे रिलीफ मिले ।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्रीजी !

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी महकमे जो कर वसूल करते हैं उनकी डिमाण्ड्स के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने जो विचार प्रकट किये उसके लिए मैं उनका आभारी हूं । कर वसूल करने वालों के बारे में यह कहा गया कि वह लोग व्यापारियों को भ्रष्ट करते हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि कर वसूल करने वाले लोगों में जैसे और दूसरे विभागों में भ्रष्टाचार है उनमें भी है । लेकिन यह कहना कि कर वसूल करने वाले व्यापारियों को भ्रष्ट करते हैं तो मैं यह भी कहूंगा कि व्यापारी भी कर वसूल करने वालों को भ्रष्ट करने में नहीं चूकते है । ये दोनों एक दूसरे को भ्रष्ट करते हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक मुश्किल इस बात में है कि जब हम अपने ए० सी० टी० ओ० का या इन्सपेक्टर का रिक्रूटमेन्ट करते हैं उस समय हमें केवल यही देखना पड़ता है कि जो इम्तिहान या मेरिट रखते हैं या पी० एस० सी० सलेक्ट करके जो व्यक्ति हमको

(श्री चन्दनमल बैद)

देती है उसको हमें लेना पड़ता है। किसी के चेहरे पर लिखा हुआ नहीं होता है कि अमुक आदमी ईमानदार है या नहीं है और न आज तक ऐसी मशीन ही ईजाद हुई है जिससे मालूम हो जाये कि यह आदमी बेईमान है या ईमानदार है। उसके बाद हमारी ड्यूटी यही रहती है कि जब कभी भी हमारे सामने इस तरीके के शिकायत आवें हम कड़ाई के साथ पेश आयें, लोगों को माफ नहीं करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कर वसूल करने के सिलसिले में या व्यापारियों को तंग करने की जब कभी इस तरह की शिकायत आएगी कि हमारे कर्मचारियों ने बेजारूप से तंग किया, इस तरह की भ्रष्टाचार की कोई शिकायत कभी भी आएगी, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके साथ कड़ाई के साथ पेश आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा कड़ाई के साथ कार्यवाही की जा सकती है अनुशासन की, मैं कार्यवाही करने का बराबर प्रयत्न करता रहूंगा।

अभी दो महीने पहले ही किसी केस में मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे पास शिकायत रखी और एक प्रश्न के द्वारा मामला उठाया। मैंने उसी समय एक्शन लिया और दो ए० सी० टी० ओज को सस्पेण्ड कर दिया और उस केस में जिन २ लोगों का हाथ है उसकी जांच कर रहा हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे कितना ही बड़ा या छोटा अफसर हो, अगर उसके खिलाफ शिकायत सही पाई गई तो उसको बख्शूंगा नहीं, एक्शन लूंगा और सजा दूंगा। यह मैं कह सकता हूं कि यह जो भ्रष्टाचार के मामले हैं निश्चितरूप से जैसे सब विभागों में है इसमें भी है। हमारी कोशिश बराबर यह होनी चाहिए कि हम कड़ाई के साथ, मजबूती के साथ, जो इस तरीके से भ्रष्टाचार करें उनको सजा दें। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका हो नहीं सकता। और सदन के माननीय सदस्यों को भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को जब सजा दी जा रही हो तो मेहरबानी करके उनकी सिफारिश लेकर न आवें। होता यह है कि जब आफिसर्स पकड़ में आ जाते हैं तो किसी तरीके से माननीय सदस्यों को गुमराह करके गलत बातें बता कर उनकी सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि माननीय सदस्यों की मार्फत हमारे अफसरान पर और मेरे पर दबाव डालें। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जब कभी मैं उनके खिलाफ कड़ाई से कार्यवाही करूं तो वे उनकी मदद न करें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप पब्लिक ट्रायल कीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : एक बात यह कही गई कि जिस अनुपात में हमारे यहां रेट बढ़ी है उस अनुपात में हमारे टैक्सेज नहीं बढ़े हैं हमारा खर्चा जो है वह ज्यादा हुआ है। मैंने इस बारे में कुछ आंकड़े एकत्रित किए हैं और मैं बताना चाहता हूं। तीन साल के मेरे पास में आंकड़े हैं। इन तीन सालों में हमारा प्रशासनिक खर्चा जो है वह कम हुआ है बढ़ा नहीं है।

1969-70 में हमारा टोटल एक्सपेंडीचर जो था कर्मशियल टेक्सेशन डिपार्टमेंट का वह 90.88 लाख था और रेवेन्यू

(श्री चन्दनमल वैद)

31,59,15,000, यह कुल रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ है। तो इस प्रकार जो खर्चा हुआ और जो इसका परसेंटेज आया वह 2.9 परसेंटेज है। इसी प्रकार 1970-71 मे हमारा एक्सपेंडीचर 92 लाख 30 हजार हुआ और रेवेन्यू 34,45,04,000 है। इसमें कुल रेवेन्यू का एक्सपेंडीचर जो है वह परसेंटेज है 2.68 परसेंट। इसी प्रकार पिछले साल हमारा खर्चा हुआ 1,00, 86,000 और हमारी रेवेन्यू हुई हुई 40,47,63,000 रेवेन्यू परसेंटेज आया 2.49 परसेंटेज। तो यह आप देखेंगे उपाध्यक्ष महोदय, कि तीन साल के जो आंकड़े है उनमें मैं यह साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा परसेन्टेज ग्राफ एक्सपेंडीचर है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले साल में 2.9 परसेंट था, फिर 2.68 परसेंट और फिर 2.49 परसेंट हुआ। मैं इससे यह साबित नहीं करना चाहता कि हम प्रशासन पर कम खर्चा करके कोई बहादुरी का काम कर रहे हैं। यह ऐसा विभाग है जहां सुपरविजन, चैकिंग और दूसरी तरीके के कामों पर स्टाफ पूरी मात्रा में रखना चाहिए। अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे इन्स्पेक्टर बेईमानी नहीं करें, अगर हम यह चाहते है कि हमारे ए. सी. टी. ओज ठीक से काम करें तो हमें बराबर चैकिंग करना पड़ेगा। आज हम देखते है कि टैक्स की चोरी होती है। व्यापारी कर तो वसूल कर लेते हैं, व्यापारी टैक्स तो वसूल कर ले, जनता की जेब से, जनता के पास से पैसा तो चला जाय लेकिन वह राज्य के खजाने में नहीं आए तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़ कर आपत्तिजनक बात और कोई हो नहीं सकती। यह भी देखने की कोशिश करनी पड़गी कि व्यापारी लोग धोखा तो नहीं दे रहे हैं, इसके लिए जगह जगह चैकिंग पार्टीज रखनी पड़ेगी फ्लाइंग स्क्वेड चेक पोस्ट, और दूसरी तरह के सुपरवाइजरी स्टाफ रखना जरूरी है। तो मैं यह कह कर कोई बहादुरी नहीं लेना चाहता कि हमने खर्चा कम किया है, लेकिन जो इसके अन्दर लूपहोल्स हैं, उनको बन्द करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी खर्चे और रेवेन्यू का जो रेश्यो निर्धारित है वह आगे बढ़े यह अच्छी बात नहीं हो सकती है। यह भी जरूरी, है कि कहीं खर्चा इतना ज्यादा नहीं बढ़ जाय कि रेवेन्यू को ही खा जाय। इस वास्ते यह जो यहां पर क्रिटिसिज्म किया गया है उसके बारे में मैंने अर्ज किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एडवांस टैक्स के बारे में भी काफी कहा गया। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि एडवांस टैक्स लेना कोई अच्छी बात नहीं है। जिन स्टेटों में एडवांस टैक्स लिया जाता होगा वहां पर उनके कानून में प्रोविजन होगा। लेकिन हमारे कानून में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। मैं समझता हूं कि एडवांस टैक्स लेना उचित नहीं है। जब पहली बार शायद पाक-हिन्द संघर्ष हुआ, कुछ रिसोर्सेज के लिए इसकी इजाजत दी गई होगी कि एडवांस टैक्स लिया जाय। उस समय यह जो सिलसिला शुरू हुआ तो यह सिलसिला दोहराया जाता रहा। मैं धीरे धीरे इसको बन्द करना चाहता हूं और मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे मैं इसको बन्द करने की पूरी कोशिश करूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब यह आप स्वीकार करते हैं कि इसका लीगल प्रोविजन नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : हम टैक्स ले सकते हैं लेकिन एडवांस टैक्स लेना भी बुरा मानता हूं।

श्री मीठालाल : धीरे धीरे बन्द करने का मतलब है कि अभी चालू रखेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि एडवांस टैक्स लेना धीरे धीरे बन्द कर दिया जाय। इसके साथ बन्द करने की बात इसलिए नहीं कह सकता कि सम्भव है इस साल नहीं कर सकूं और फिर शिकायत करने का मौका मिले ••

श्री रामानन्द अग्रवाल : ओवर ड्राफ्ट के कंसीडरेशन को वजह से भी शायद नहीं कर सकते।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय एक बात टैक्स की खामियों के बारे में और इसके सरलीकरण के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने कहा है। माननीय सदस्यों को इतनी सूचना देना चाहता हूं कि हमारे जो कमर्शियल टेक्सेशन के रिटायर्ड कमिश्नर श्री रामसिंहजी, जिनको न केवल टैक्सेशन डिपार्टमेंट का बल्कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर की हैसियत से काफी अनुभव है उनकी सदारत में एक कमेटी बनाई है जो सैल्स टैक्स एक्ट को दुबारा ड्राफ्ट कर रहे हैं और एक्ट के बारे में जो पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तो मैं बहुत जल्दी आपके सामने लाऊंगा और उस समय आप लोगों को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। मैं चाहता हूं कि टैक्स की जितनी दुरूहताएँ हैं, उसकी जितनी भी कठिनाइयां हैं, पेचीदगियां हैं उनको कम से कम कर सकें, उनको करने की कोशिश करें। जिस समय बिल आपके सम्मुख पेश होगा आप लोगों को अपने विचार बताने का, किस तरीके से इसे सरल किया जा सकता है, किस तरीके से टैक्स पूरा वसूल हो सकता है फिर भी व्यापारियों को तकलीफ न हो, आप इस तरफ सुझाव देंगे और आपको पूरा मौका मिलेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सरलीकरण कमेटी के तो अध्यक्ष आप भी रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बीच में न टोंके।

श्री चन्दनमल बैद : जिस समय मैं अध्यक्ष था काफी सुझाव रखे थे और उन पर अमल भी हुआ है। मैं समझता हूं कि उसके बाद काफी समय बीत गया और बहुत सी नई पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। उन पेचीदगियों को दूर करने के लिए दुबारा हम चाहते हैं कि सैल्स टैक्स एक्ट जो है उसको बिल्कुल दुबारा बनाया जाय और किसी एक्सपर्ट आदमी के द्वारा बनाया जावे। उनके अनुभव के साथ, माननीय सदस्यों का भी अनुभव है वह भी उसमें सन्निहित हो इसलिए आगे जाकर जब हम बिल को एक्ट का रूप देंगे, माननीय सदस्यों को विचार करने का मौका मिलेगा और इसको सरल बनाने का मौका मिलेगा।

टैक्सेज के बारे में, उपाध्यक्षजी, काफी बातें कही गईं। मैं पहले भी बजट स्पीच में इस बात की घोषणा कर चुका था कि जो भी टैक्स मैंने लगाए हैं इस बात की पूरी कोशिश की है कि कमजोर तबके को छोड़ा

(श्री चन्दनमल वैद)

जाय। हलवाइयों के बारे में काफी कहा गया। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हलवाइयों के बारे में तीस हजार के टर्न ओवर से नीचे के जो हलवाई हैं इसमें माफ किए गए है। तीस हजार से नीचे वाला माफ है, इसका मतलब यह हुआ कि 80)रु० रोज की बिक्री करने वाला हलवाई माफ है। एक तरफ हम हमारी पर कैपिटा आमदनी की बात करते हैं, 75 पैसे प्रतिदिन या छः सौ और कितने ही रुपये वार्षिक की आमदनी की बात करते है। 80) रु० की मिठाई बेचने वाला हलवाई मैं समझता हूं कि इस पर कैपिटा से बहुत ऊंचे जायेगा। तो यह कोई साधारण जनता पर टैक्स नहीं लगेगा। यह ऐसे तबके पर टैक्स लगेगा कि जो कम से कम एक सम्पन्न आदमी की अपनी चीजें बेचता है और 80)रु० रोज की चीजें बेचता है वह साधारण आदमी नहीं है। इस समय मैं टैक्सेज के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, जब एप्रोप्रियेशन बिल आपके सामने आएगा उस समय इसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो वातावरण बनाया जा रहा है एक मजदूर जो चाय का प्याला पीने जाएगा या दो पैसे की पकोड़ी खरीदेगा उस पर टैक्स लग जाएगा, यह गलत धारणा पैदा कर रहे हैं। यह जो कहा जा रहा है कि चाय का प्याला बेचने वाला, खोमचे वाला या रेहड़ी चलाने वाला कैसे हिसाब रखेगा तो मैं यह मानकर चलता हूं कि कोई भी खोमचे वाला या रेढ़ी वाला साल में तीस हजार की बिक्री नहीं कर पायेगा। तीस हजार की बिक्री बहुत बड़ी बात होती है।

साबुन के बारे में भी, उपाध्यक्षजी, बहुतसी बातें कही गई कि हाथ से साबुन बनाने वालों पर टैक्स लगा दिया। इस हाथ से बनाने के नाम पर बहुत से लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां बना ली है और वह चोरी करते थे उस चोरी को रोकना जरूरी था....

ऐसे आदमी पैदा हो गये जो दो दो लाख का साबुन बनाते थे और कहते थे कि हाथ से साबुन बना रहे हैं। इस चोरी को नहीं रोका जायेगा तो क्या होगा। एक छूट दे दो तो उसके भरोसे ये काम करते चले जायेंगे, यह अच्छा नहीं होगा। अब भी जो साबुन हाथ से बनता है उसके लिये खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना होता है। वह यह प्रमाणित करता है कि इनको सहायता बोर्ड द्वारा दी जा रही है। यह सर्टिफाइड कोपी जिनके पास होगी उनको टैक्स नहीं देना होगा। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि जो टैक्स लगाया है वह इस बात को सोच कर लगाया है कि जो विलास की चीजें हैं उन पर ही टैक्स लगे और जो आम लोगों के जरुरत की चीजें हैं उन पर टैक्स कम है। चांदी के गहने हमारे देहात की महिलाएं पहिनती है। परंवे इस जेवर को रोज नहीं खरीदती हैं। साल में एकबार खरीदती है। या फिर बेटे, बेटी के विवाह के अवसर पर खरीदती है। इस प्रकार रोजाना चांदी नहीं खरीदती है। रोज जो चीज खरीदी जाती है उस पर टैक्स नहीं लगाया गया है। चांदी सात रुपया आठ रुपया प्रति तोले के हिसाब से बिकती है और अगर चालीस पैसा टैक्स का और ले लें तो कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता है। यह गरीबों पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं। उस चीज पर लगा रहे हैं जो विलास की चीज है और जो जरूरत की चीज नहीं है। गोटा किनारी पर टैक्स लग गया तो हमारे किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य नाराज हो गये....

श्री श्रीराम गोटेवाला : इससे इन्कम कितनी हुई है।

श्री चन्दनमल बेद : मुझे नाराजगी है। इसके साथ साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम समाजवादी समाज की रचना की तरफ जा रहे हैं और इस बात को महसूस करना चाहिये कि हम विलास की चीजों पर ही टैक्स लगाना चाहते हैं। यह हमें मालूम है कि किन चीजों पर हमको टैक्स करना चाहिए और किन पर नहीं करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के बारे में यहां पर कहा गया है। गवर्नमेंट सोर्स से कितनी सिंचाई हो रही है, मैं समझता हूं कि मुश्किल से एक, दो परसेन्ट लोग हो सिंचाई कर पा रहे हैं। आप क्या यह चाहते हैं कि 95 प्रतिशत लोग जो गवर्नमेंट सोर्स से सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों पर इसका भार हो। मैं पहले ही बता चुका हूं कि गवर्नमेंट सोर्स से जो हमारी सिंचाई होती है, उन प्रोजेक्ट्स का मेन्टोनेन्स और उसको ब्याज के खर्चा में फर्क करीब 8 करोड़ होता है। तो क्या यह 8 करोड़ रुपया उन लोगों से वसूल करना चाहिए जिनके लिए गवर्नमेंट सोर्सेज से सिंचाई का इन्तजाम नहीं किया गया और जो सिंचाई बिलकुल ही नहीं करते हैं। तो क्या इन 5 प्रतिशत के मुकाबले 95 परसेन्ट को अपोज करना चाहते हैं। तो इनको समझना चाहिये। यह ठीक है कि आप जो आलोचना करना चाहते हैं उसके लिये आपको अधिकार है लेकिन सारी चीजें जो कि महत्वपूर्ण चीजें हैं उनकी तरफ भी आप ध्यान नहीं देंगे तो मैं भी आपके प्रभाव से, आपके असर से गलत रास्ते पर जा सकता हूं। इस वास्ते आप मेहरबानी करके सही बात बतावें, जिससे कि हम सही काम कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ प्रोहिबिशन के बारे में, हमारी एक्साइज की नीति के बारे में यहां पर बातें कही गई हैं। इसके बारे में पहले भी एक काल अटेन्शन मोशन की मारफत बात उठाई गई थी और मैं समझता हूं कि घन्टे दो घन्टे उसमें लगे होंगे और विस्तार के साथ सारी बातें यहां पर रखी गई थी। यह हो सकता है कि इतनी सफाई देने के बाद भी हमने यह कसम खा रखी है कि हम समझने के बाद भी समझेंगे नहीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह तो आपको ही समझना है।

श्री चन्दनमल बेद: उपाध्यक्ष महोदय, 27 तारीख की बात यहां पर कहीं गई। मैंने यह फाइल अध्यक्ष महोदय को दे दी है। 21 तारीख को आर्डर इश्यू हुए या किस तारीख को आप फाइल देख लीजिये। स्पीकर महोदय को फाइल उसी दिन दे दी गई थी। फिर भी उसमें 27 तारीख की बात जोड़ी जावेगी। यह नहीं कहेंगे तो 27 तारीख के बिना भ्रष्टाचार का मामला जुड़ेगा नहीं। टेन्डर लेने की लास्ट डेट थी 24 तारीख। 25 तारीख को टेन्डर खोले गये। उसके बाद आदेश जारी हुए 31 तारीख को। चूंकि 24 तारीख को टेन्डर आमंत्रित किये गये और 25 तारीख को खोले गये इस वास्ते 27 तारीख की बात जोड़कर भ्रष्टाचार की बात कही गई। भ्रष्टाचार की बात मिलाने के लिये ही यह 27 तारीख की बात कही गई है। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं और फिर भी जो

(श्री चन्दनमल बैद)

समझना चाहते हैं उनको समझाने के लिये मेरे पास में समय नहीं है। फिर भी जो समझना चाहते है उनके लिए निवेदन कर देना चाहता हूं। मैं मोनोपोलिस्ट को तोड़ना चाहता हूं। लिक्वर किंग्स बन गये हैं और जो अजमेर, जोधपुर, जयपुर में मनमाने ढंग से शराब बेचते हैं, उनकी इस मोनोपोली को तोड़ कर एक शहर में दस दस लाइसेन्स देना चाहते हैं। तो इस तरह से शराब में भ्रष्टाचार कैसे हुआ। इससे कमी होती है। उनको दर्द होता है और क्यों दर्द होता है। इस वास्ते दर्द होता हैं, स्टेट को रेवेन्यू कम होती है इसका उनको दर्द नहीं है। इस वास्ते होता है कि जो लिक्वर के किंग्स हैं, जो इसके मोनोपोलिस्ट हैं, उनके वे वकील हैं और उनकी वकालात करते हैं, इस सदन के अन्दर भी करते हैं और इस सदन के बाहर भी करते हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि लिक्वर किंग्स टूटें...

श्री भानु कुमार शास्त्री : आप इसका राष्ट्रीय करण क्यों नहीं कर देते ?

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह कोशिश की जाती है, यहां यह बताया जाता है कि जिन लोगों ने सब से बड़ा टेन्डर दिया उन लोगों को दुकानें क्यों नहीं दी गई। उदाहरण के तौर पर मान लीजिये फर्नीचर के लिये टेन्डर आमन्त्रित किये गये। एक आदमी ने दो रुपये का टेन्डर दिया परन्तु वह माल सप्लाई नहीं करता है तो क्या फिर टेन्डर लिये जायें। दुबारा टेन्डर तीन रुपये का दे दिया तो क्या इस तरह से यह विधान सभा बिना फर्नीचर के ही रह जाये ? एक आदमी ने पिछले साल का टेन्डर पांच लाख रुपये में लिया उस पर 15 परसेन्ट हमने और जोड़ लिया। हमने यह तय कर दिया है कि इससे कम नहीं लेंगे याने 5 लाख और 75 हजार रुपये। यह प्राइस तय कर दो, इससे कम हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब एक आदमी 5 लाख 75 हजार की जगह 25 लाख का एक झूठा टेन्डर दे देता है 25 लाख का टेन्डर है और उस पर दो परसेन्ट अरनेस्ट मनी पांच हजार रुपये होगी। उसका स्वीकार कर लेंगे और उसको कहेंगे तो वह अरनेस्ट मनी समय पर जमा नहीं करायेगा और इस प्रकार टेन्डर मन्जूर नहीं होगा। याने जब तारीख आयेगी, मान लीजिये 30 तारीख लास्ट डेट है तो उस पर वह जमा नहीं करादेगा और तब सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं रहेगा या तो वह दुबारा टेन्डर निकाले और दूसरी तरफ 30 अप्रेल को पुराने ठेकेदारों की मियाद खतम हो रही है। पुराने ठेकेदार इस बात का प्रयत्न करेंगे कि मियाद खतम हो रही है इसलिये सरकार उनको कहेगी कि 1 मई से तुम ही दुकान को चलाओ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह बताने का कष्ट करेंगे...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : डान्ट डिस्टर्ब प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : हम तो यह चाहते हैं कि 30 अप्रेल के बाद किसी भी पुराने ठेकेदार के पास ठेका नहीं रहे......

श्री गुमानमल लोढ़ा : पहले से क्यों नहीं प्रावधान बिठाया।

श्री चन्दनमल बैद : 30 अप्रेल के बाद यह नियम बना दिया है कि कोई भी पुराना ठेकेदार जिसने नया टेन्डर भरकर अपना लाईसेन्स रिन्यू नहीं कराया है उसको नहीं रहने दिया जावेगा। 30 अप्रेल को ऊंचा से ऊचा टेन्डर दिया और डिपोजिट जमा नहीं करायेगा तो सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं रहेगा और वे सोचते हैं कि सरकार इमसे बातचीत करेगी और पुरानी रेट पर ही हमारे ठेके जारी रखेगी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो लोग यह कहते हैं कि ऊंची टेन्डर वाले को क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं उस पर विचार किया गया ? यह दर्द इस बात का है, जब टेन्डर वाले ने जिसने टेन्डर दिया दुकान चल रही थी, उसकी दुकान जारी क्यों नहीं रही, क्योंकि उसकी वकालात इस सदन में भी कर रहे हैं और बाहर भी करते हैं। वे कहते हैं कि मैं नहीं करता हूं वकालात तो मैं यहां पर सबूत पेश कर सकता हूं।

अभी जो वकालत की गई है कि 145 लाख हमारा ठेकेदारों में बकाया है वह वसूल क्यों नहीं कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि वह वसूली की जाय ......

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरी वकालत से पहले आप वकालत कर चुके हैं। जहां तक वकालत का प्रश्न है यह इस सीमा में नहीं आती है। इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री खेतसिंह : आप डिस्टर्ब मत करिए।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : आप बार-बार डिस्टर्ब मत करिए, वर्ना हमको भी बोलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

श्री चन्दनमल बैद : कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता था.......

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 करोड़ 45 लाख का बड़ा शोर है।

एक तरफ तो इस सदन मे आप कहते हैं कि हमारी बड़ी धनराशि लैण्ड रेवेन्यू की वसूली नहीं हो रही है और उसको वसूल करना चाहिए—मैं भी चाहता हूं और मैंने आज ही इस बात का प्रबन्ध किया है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफिसर्स हैं जिनकी नेग्लीजेन्स के कारण से 1 करोड़ 45 लाख रुपया बकाया और जो एक साल की बकाया नहीं है 10 साल की बकाया होगी, वह वसूली नहीं हो रही है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, उनको चार्जशीट किया जाय, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उनका वकील कौन बनता है ? वे सदन के बाहर ही उनके वकील नहीं बने हुए हैं यहां सदन के अन्दर भी उनके वकील बने हैं और बड़ी तेजी से कह रहे थे कि चन्दनमल दो करोड़ रुपया खा गया......

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप माननीय सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं इधर के तो वह कौन है जो वकील बना है ?

श्री चन्दनमल वैद : श्री जी. एम. लोढ़ा कौन हैं ?

श्री गमानन्द अग्रवाल : क्या लोढ़ा साहब वसूली के बारे में इन ठेकेदारों के वकील बने हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां वकील बने हुए हैं। वकील बने हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने मेरे पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाया है……

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : अगर इस तरह से बार-बार उठ कर रिप्लाई को डिस्टर्ब किया जायगा तो हम भी बाध्य होंगे बोलने के लिए……

कई माननीय सदस्य: हां हां, बोलिए।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : माननीय मंत्रीजी के रिप्लाई को इस प्रकार से डिस्टर्ब करेंगे तो इस प्रकार से हाउस चलने वाला नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ओन ए पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन, सर। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि इस प्रश्न को टालना चाहते हैं मंत्री महोदय, आप कहें तो अभी या इसके बाद।

श्री खेतसिंह : आप बार-बार उठते हैं……

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप कन्डीशन ले नहीं कर सकते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहा हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वकालत की बात करके आपने चेलेन्ज किया है तो किस आधार पर किया है ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां किया है। यह मेरे पास दस्तावेज हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष, यह जो मदारी होता है और मदारी के साथ में उसका जमूरा होता है तो वह मदारी के कहने के साथ में तालियां बजाता है उसी तरह से यहां सदन के अन्दर वित्त मंत्री बोलते हैं तो उनकी चमचागिरी करने वाले लोग तालियां बजाते हैं।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : मदारी कौन है और जमूरा कौन हैं, यह सदन अच्छी तरह से जानता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अच्छी चीज करने के लिए कहते हैं तो उसको सुनना पसन्द करते हैं। चमचागिरी करने से कुछ नहीं होता है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : मदारी कौन है यह अच्छी तरह से मालूम हो गया है।

श्री मीठालाल : माननीय सदस्य जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। वे यदि इस प्रकार की भाषा बोलेंगे तो इस ओर से भी बोला जा सकता है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : आपके लीडर ने इस भाषा का इस्तेमाल किया है।

श्री चन्दनमल वैद : आप कल बोल लेना। आज मुझे बोलने दें।

Page No 125

श्री खेतसिंह : आज आप बहुत बार उठे हैं।

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं दोनों माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक राज्य के कानून का प्रश्न है तो हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में हमारी आस्था है और जब लोकतन्त्र में जिन लोगों की आस्था होती है तो वे कानून के राज्य का पालन करते हैं, और जब कानून के राज्य को मानते हैं तो कानून के राज्य में वकील होना अलग बात है और विधायक होना अलग बात है। आपको हम हर रोज कहते हैं तो असलियत तो मालूम होना चाहिए।

मुझे इसकी सूचना है·····

श्री उपाध्यक्ष : इस में व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री मनोहरलाल : लोकतन्त्र में वकालत करते हैं तो कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपका लोकतन्त्र तो मेज पर खड़ा हो जाता है।

श्री मनोहरलाल : माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में यह कहा था पैरा नं० 71 में,···फिर भी गैर योजना मद में 27.94 करोड़ का घाटा रह जायगा। हमें आशा है कि यह घाटा केन्द्र सरकार से मिलने वाली विशेष सहायता तथा उनके द्वारा अधिक साधन जुटाने के प्रयत्नों से मिलने वाले राज्य के हिस्से से, पूरा हो जायेगा। उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान का अनुच्छेद 267।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसमें व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री मनोहरलाल : संविधान के अनुच्छेद 267-268 और 269 में यह प्रावधान है कि इसमें हमें मिलेगा···

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : माननीय वित्त मंत्री महोदय का रिप्लाई सुनें या इनका रिप्लाई सुनें।

श्री मनोहरलाल : वित्त मंत्री महोदय इस बात का जवाब दें कि इन्होंने सदन के साथ में······

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री भानुकुमार शास्त्री : इनको मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष : इतने माननीय सदस्यों का एक साथ भाषण कैसे हो सकता है।

श्री मनोहरलाल : एक करोड़ रुपये का अनुदान केन्द्रीय सरकार की योजना में नहीं है·······

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : माननीय उपाध्यक्ष, सदन में व्यवस्था आपके सामने बहुत स्पष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन के समस्त माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप शान्तिपूर्वक सुनें कोई बीच में न उठें। कोई विशेष प्रश्न होगा तो उसका मैं ध्यान रखूंगा।

श्री खेतसिंह : थैंक यू।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री गुमानमल लोढ़ा के खड़े होने पर) मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मनोहरलाल : दूसरा बजट आपको पास करना पड़ेगा······

श्री चन्दनमल बैद : करना पड़ेगा उसका जवाब मैं कल दूंगा।

श्री मनोहरलाल : ''' वित्त मंत्री महोदय ने हमारे विशेषाधिकारों का हनन किया है और उन्होंने सारी बातें सदन के बाहर बताई हैं ''

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

''''केन्द्रीय सरकार, मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा''''

श्री खेतसिंह : ओन ए पाइंट आफ आर्डर, सर''''

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : माननीय सदस्य बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं चेयर की आज्ञा का।

श्री मनोहरलाल : आपको कहने का अधिकार नहीं हैं। आपको एक्स्ट्रा वेतन मिलता है इस बात का।

श्री चन्दनमल बैद : अलवर से आने वाले और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात की जिज्ञासा प्रकट की है कि यह ठेके वाले मामले में वकील कब से हैं तो मेरे पास में एक नकल है सर्टिफाइड वह पढ़कर सुनना चाहता हूं। जज का आर्डर है 9 मई 1972 का "Shri G. M. Lodha for the Petitioner.

The recovery of Rs. 2,32, 104.35 be stayed provided that the petitioner, gives an undertaking..."

श्री केदारनाथ : प्रश्न यह है कि वकील तो बन सकते हैं लेकिन जिसमें पर्सनल इन्ट्रेस्ट हैं उसमें कवेश्चन रेज नहीं कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : He cannot raise the question in the House.

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष, यदि आप अनुमति दें ......

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को अनुमति दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : कल तैयार होकर आइयेगा, किताब पढ़कर आइयेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष, रूल्स में प्रावधान है कि किसी सदस्य पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसको पर्सनल एक्स्प्लेनेशन देने का अधिकार है।

श्री खेतसिंह : बाद में।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने को दो करोड़ के घोटाले से बचाने के लिए दूसरों पर झूठा आरोप लगाया है और उस आरोप का स्पष्टीकरण सुनने को तैयार नहीं हैं। यह आपके ऊपर है कि आप समय नहीं देना चाहें, तो न दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : He has got a right of personal explanation. It is for the Chair to allow him time.

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, कि मुझे स्पष्टीकरण का अवसर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य को पर्सनल एक्स्प्लेनेशन देने का नियमों के अनुसार अधिकार है, पर कौन-सा समय दिया जाय यह अधिकार आसन का है।

श्री चन्दनमल वैद : मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए एक्साइज डिपार्टमेंट को काली कोठरी की संज्ञा दी थी और यह कहा था कि इसमें जो भी जाता है उसके काली लीक लगती ही है। वे यहाँ पर अभी मौजूद नहीं हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि काली कोठरी में वित्त मंत्री नहीं गया और काली काजल की कोठरी में उपर बैठने वाले माननीय सदस्य ही गये हैं और लीक किसे लगी है ? मुझे लीक नहीं लगी और लीक उधर बैठने वाले माननीय सदस्य के लगी है। मैं प्रोहिबिशन..........

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अगर कोई डामर पोत कर काली कोठरी में चला जाय तो उसको क्या लगेगा ?

श्री चन्दनमल वैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रोहिबीशन के आधार पर कुछ अलग से कहना चाहूंगा। वैसे अलग से एडजर्नमेण्ट मोशन है, उसके आधार पर चर्चा करेंगे। लेकिन 5–7 मिनिट का समय है। मेरा निवेदन है कि गोकुल भाई भट्ट हमारे बहुत सम्मानीय नेता हैं। हम चाहे इधर बैठे हैं, या उधर बैठे हैं, उन सब का उनके प्रति सम्मान और बड़ी श्रद्धा है। क्योंकि उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है।

(म.प. 4.22 बजे)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

उनके अनशन से मुझे बहुत बड़ी वेदना है। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी बहुत श्रद्धा करता हूं। खादी बोर्ड में उनके पास रहकर मुझे भी काम करने का मौका मिला है। उनकी यह घोषणा कि वह अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि सरकार ने प्रोहिबिशन पर पुनर्विचार कर लिया है। हमें दुःख है, हम कई बार उनके पास जाकर मिले हैं। कैबिनेट के जो 7 मन्त्री हैं, उनके पास गये हैं। उनके पास यह प्रार्थना करने के लिए गये कि मेहरबानी करके ऐसा निर्णय न लें। आज हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। हमारी प्रार्थना पर वह पुनर्विचार करें। आखिर वह हमारे बुजुर्ग हैं। श्रद्धेय हैं। आखिर उन्होंने यह जरुरी समझा और हमारी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया है। हमें सचमुच दुःख हैं, यह कहते हुये कि जिस स्थिति में हम आज हैं, हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि हम 10 करोड़ का रेवेन्यू छोड़ दें। अभी हमारे सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि उनका समाज वाद तो टेबुल पर खड़े होने का है। (माननीय सदस्य श्री मनोहर लाल के कुछ व्यवधान पर) आज आर्थिक स्थिति जो कुछ भी है, वह बजट स्पीच में मैंने खुलासा-तौर पर कह दी है। कुछ छुपाने का नहीं है, 31 मार्च को 88 करोड़ था। वह आगे चलकर 99 करोड़ पहुंच गया है। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि 99 करोड़ 60 लाख से 68 करोड़ 96 लाख का है। वह काटा है जो 19 करोड़ इनकम टैक्स से हिस्सा मिलता है। साढ़े 11 करोड़ रुपया जो प्लान के सिलसिले में ग्राण्ट लोन मिलने वाला था, वह 30 करोड़ 98 लाख उन्होंने काटा है। जो अब 28 नान प्लान का घाटा बताया था। दोनों को

(श्री चन्दनमल बैद)

मिलाकर 59 करोड़ पहुँच जाता है। मैंने केन्द्रीय फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने का समय लिया है ताकि उनसे विस्तृत रूप से जाकर चर्चा करूं। लेकिन एक तरफ तो 59 करोड़ का प्लाण्ड और नॉन-प्लाण्ड में घाटा है और इधर 10 करोड़ की रेवेन्यू हो रही है। यह 69 करोड़ पर पहुँचा दें, इसके लिए हमारी तैयारी नहीं है। टैक्स लगाना बहुत बुरा काम है। बड़ा अप्रिय काम है। मैं समझता हूं कि मैंने जिन्दगी में अगर कोई अप्रिय काम किया है तो यही किया है। इस प्रकार की वित्तीय स्थिति से निकलने के लिए जल्द से जल्द अगर हम अपना मानस नहीं बनायेंगे तो फिर हम निकल नहीं सकते हैं। क्योंकि यह मानकर चलेंगे कि भारत सरकार करेगी तो भारत सरकार हमारी मदद करने वाली नहीं हैं। कहावत यह है कि जो खुद अपनी मदद नहीं करता तो भगवान भी उसकी मदद नहीं करता है। ऐसी हालत में हम भी अपनी मदद कर रहे हैं। पहले हमने 92 लाख की इकानामी की है। लेकिन वह डेढ़ करोड़ तक पहुंच गई है। हम धीरे धीरे एक तरफ आमदनी बढ़ायेंगे। उधर हम टैक्स लगाकर आमदनी बढ़ायेंगे। इस तरह से अपनी स्थिति को हम खुद संभालना चाहते हैं। साथ ही भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वह भी मदद करें। आज 59 करोड़ प्लान और नॉन प्लान का घाटा है। ये सारी बातें हमने जयप्रकाशजी से की भी हैं, गोकुल भाई से भी की है। फिर भी उन्होंने यह निर्णय लिया। यह उनका अपना निर्णय है। हमें इसका दुःख है। मैं फिर चाहता हूं जो यह मौका मुझे मिला है, इस मौके के जरिये से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन्होंने जो अनशन का निर्णय लिया है, वह हमारे ऊपर कृपा करें और अपना अनशन स्थगित कर दें। क्योंकि वित्तीय स्थिति ठीक होने तक मैं कर नहीं सकूंगा। लेकिन प्रोहिबीशन की नीति से हम डिगे नहीं हैं। हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जो डिमाण्ड रखी गई हैं, उनको सदन पारित करें।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : साढ़े चार बजे हैं, मैं मुख बन्द करने का प्रयोग करता हूं।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय,.... मुझे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुखबंद के समय कोई बात हो नहीं सकती है।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, दो मिनिट....

श्री अध्यक्ष : मुखबंद हो जाता है तो कोई बात नहीं होती है।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर अभी पधारे हैं....। मुझे यह कहा गया है....

श्री अध्यक्ष : मुझे सब पता है। मुखबन्द का प्रयोग होने पर कहा नहीं जाता है।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं समय नहीं देता हूं।

श्री खेतसिंह : मुखबन्द होने पर किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है।

शेष अनुदान की मांगों का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10 राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,67,13,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11 - गाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 24,02,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,06,15,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल के संबंध 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,32,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14–स्टाम्प्स के सम्बन्ध में 31 मार्च 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,12,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15–पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,97,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक था–राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में 31 मार्च

(श्री अध्यक्ष)

1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,49,05,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-18-संसद, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 89, 20,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,61,81,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 92,53,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,06,62,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,86,97,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,40,38,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30, मुख्य शीर्षक 65 – निवृत्ति वेतन और अन्य लाभ 72—निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,27,96,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31. मुख्य शीर्षक 66-प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,00,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित हैं, प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71-विविध के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,18,97,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36 मुख्य शीर्षक 76-अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 77,44,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6.80.13,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक-120- निवृत्ति वेतनों के संराशिकृत मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 18,00,000 रुपये तक की राशि,

Page No 132

(श्री अध्यक्ष)

जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

पुरःस्थापित किये जाने वाला विधेयक।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां पक्ष को नींद आ गई है, जगा दें।

[विधेयक का पुरःस्थापन]

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1972

श्री चन्दनमल बैद (वित्तमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी समय है।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 4 बजकर 37 मिनट पर बृहस्पतिवार दिनांक 18-5-72 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)।

परिशिष्ट—1

ता. प्र. सं. 556 की सूची

तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ में क्रैश योजना के अन्तर्गत 1971–72 में स्वीकृत हुए कार्यों का विवरण।

क्र.सं.	नाम कार्य	स्वीकृति दिनांक	व्यय हुई राशि
1.	छाटी खेड़ा (वन विभाग)	13/10/71	12817-45
2.	अकलेरा-मनोहर थाना महाराजपुरा सड़क (भवन व पथ)	,,	12079·88
3.	रतनपुरा (भू-संरक्षण)	,,	8350-00
4.	ल्हासी (भू-संरक्षण)	,,	3400-00
5.	घोड़ाखेड़ा (भू-संरक्षण)	,,	3026·00

परिशिष्ट 2

ता॰ प्र॰ सं॰ 558 की सूची

Copy of Govt. Notification No. F.2(b) (67) FD/ E-R) /66. dated 9th Aug. 1963 from the Financial Commissioner and Secretary to the Govt., Finance Deptt., Raj., (Rules) Jaipur, to all concerned.

Sub:- Rajasthan Civil Services (Revised pay) Rules, 1961- Biformation of Medical & Collegiate Service-Special Pay to them.

In exercise of powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Government of Rajasthan hereby makes of the following Rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised pay) Rules, 1961, namely:-

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised pay) Amendment Rules, 1968.
2. They shall be deemed to have come into force with effect from 1-4-1966.
3. In the Rajasthan Civil Services (Revised pay) Rules, 1961 Schedule -II- Part '4'- Medical & Health Department the following shall be inserted as remarks against the entry at Serial Number 11 "C.A.S. in Rural Dispensaries and Public Health Centres appearing under 3 (B)(ii) of Finance Department, Notification No. F. 2 (b) (18) FD (E-X)/65-I. dated 28-7-1966.

The Special Pay of Rs. 75/—is admissible to C. A. S. posted Public Health Centres situated in places other than Municipal Towns subject to the following conditions:-

(i) that the places are not Tehsil Headquarters.
(ii) that the places are Tehsil Headquarters, but have population below 5000 Souls.
(iii) C. A. S. resides at the places as in (i) & (ii).

MEDICAL AND HEALTH DIRECTORATE,
RAJASTHAN JAIPUR.

No. EG/585(G). Dated, the 27th. Aug. 1968

Copy forwarded to ALL THE ADMINISTRATIVE OFFICERS of this Department for information and necessary action.

(D. Rai)
Sd.- 27/8.

परिशिष्ट—3

ता. प्र. सं. 566 की सूची

चम्बल की बायीं मुख्य नहर से सिंचित बूंदी जिले के क्षेत्र की सूची

वर्ष	खरीफ (एकड़ों में)	रबी (एकड़ों में)	योग (एकड़ों में)
1	2	3	4
1960	—	25117	25117
1961	1639	37909	39546
1962	1750	40220	41970
1963	3525	70199	73724
1964	10005	88699	98704
1965	14602	77730	92332
1966	4807	74776	69583
1967	7997	103671	111668
1968	20018	128298	148316
1969	17789	130065	147854
1970	19195	131454	150649
1971	21284	—	—

परिशिष्ट 4

ता० प्र० सं० 567 की सूची

नियोजन सेवा को समृद्ध एवं प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को निम्न कार्यक्रमों को चालू करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजे गये थे :—

(क) 25000 से ऊपर की आबादी वाले स्थानों पर नियोजन कार्यालय की स्थापना ।

(ख) व्यवसायों की खोज एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों की प्रभावी सेवा देने हेतु आयोजना ।

(ग) नियोजन कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 के प्रभावी प्रतिपालन हेतु आयोजना ।

(घ) क्षेत्रीय कुशलता सर्वेक्षण एवं जनशक्ति की आवश्यकता व पूर्ति के सर्वेक्षण व सुझाव करने हेतु आयोजना ।

(ङ) व्यावसायिक अध्ययन केन्द्रों की स्थापना ।

(च) मूल्यांकन व प्रतिपालना प्रकोष्ठ की स्थापना ।

(छ) राज्य व्यावसायिक अनुभाग का प्रसार एवं पुनर्गठन की आयोजना ।

(ज) विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं व्यावसायिक मार्ग-दर्शन केन्द्रों की स्थापना ।

(झ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं के प्रशिक्षण समितियां एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना ।

———

परिशिष्ट–5

(अ. ता. प्र. सं. 211 की सूची)

गंग कैनाल सिस्टम की नहरें तोड़ने व पाइप लगाकर पानी
चोरी करने की घटनाओं की सूची

क्र.सं.	नाम वर्ष	नहर तोड़ने की घटनाओं की संख्या	पाइप लगाकर पानी लेने की घटनाओं की संख्या	पुलिस में दर्ज किए गये मामलों की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	1967–68	13	9	9	
2.	1968-69	14	25	24	
3.	1969–70	21	15	24	
4.	1970–71	16	10	17	
5.	1971–72	13	11	18	
		77	70	92	

सूची भाखड़ा नहर तोड़ने एवं पाइप लगाकर पानी चोरी करने हेतु।

क्र.सं.	नाम वर्ष	नहर तोड़कर घटनाओं की संख्या	पाइप लगाकर पानी लेने की घटनाओं की संख्या	पुलिस में दर्ज किए गये मामलों की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	1967-68	97	9	22	
2.	1968-69	108	10	53	
3.	1969-70	92	4	36	
4.	1970-71	57	2	24	
5.	1971-72	48		17	
	योग	402	29	152	

Page No 139

परिशिष्ट 6

(प्र. ता. प्र. सं. 213 की सूची)

लेखा शीर्ष 9 भू-राजस्व तथा 19 सामान्य प्रशासन में वर्ष 1970-71 का मदानुसार व्यय निम्न प्रकार है

	9 भू-राजस्व		
	अधीक्षण	1,45,290	
	जिला व्यय	3,05,87,197	
(नोन प्लान)	सुधार योजना	22,00,394	
	आयोजना व्यय :—	2,39,149	
	प्रशिक्षण विद्यालय, टोंक	1,57,779	
	पटवार स्कूलें	1,20,385	
	कुल व्यय :—	3,34,50,194	3,34,50,194
	19 सामान्य प्रशासन		
	राजस्व मण्डल	9,12,418	
	जिला स्थापना	93,29,7291,425	
	तहसील स्थापना	1,78,60,945	
	भू. अवाप्ति अधिकारी	56,835	
	राजस्व अपील अधिकारी	2,62,440	
	घा-निर्माण कार्य	55,707	
	कुल व्यय :—	2,84,79,526	2,84,79,526
9	भू-राजस्व तथा 19 सामान्य प्रशासन का कुल योग		6,19,29,720

Page No 140

परिशिष्ट 7

(प्र. ता. प्र. सं. 215 की सूची)

तहसीलवार खुदरा शक्कर विक्रेताओं की सूची— जिला जालौर

(1) तहसील जालोर
1. श्री मैसर्स बलवीर राज मूलचन्द जालोर
2. ,, बागमल राजू जी, किशनगढ़
3. ,, रामचन्द्र सुरेश कुमार बांगरा
4. ,, विजयराज सिमरथमल ऐलाना
5. ,, रिखब चन्द्र हजारीमल जीवाणा
6. ,, गणगौरी लाल प्रभुलाल सियाणा
7. ,, धर्मचन्द चमनाजी साघ
8. ,, ललित कुमार खीमराज जालोर
9. ,, मांगी लाल श्रीराम खंडेलवाल गेगलवा
10. ,, व्यवस्थापक, जालोर को-ऑपरेटिव सो० लि० जालोर

(2) तहसील आहोर
1. ,, मदन लाल बनेचन्द आडोर
2. ,, बृहत प्राथमिक कृषि ऋणदात्रि समिति गुड़ा बालोतरा
3. ,, विजयसिंह भारत सिंह भादरा जून
4. ,, बाबूलाल धनराज, हरजी

(3) तहसील भीनमाल
1. ,, माणकचन्द पदमाजी भीलवाड़ा
2. ,, सोहन लाल मालाजी बड़गांव
3. ,, भभूतमल तुलछाजी रानीवाड़ा कलां
4. ,, शान्तिलाल बंशीलाल मुड़तरासिली
5. ,, कैलाश चन्द्र धर्मनारायण भरकी
6. ,, सम्पतराज कैलाश चन्द्र मोदरा
7. ,, डूंगरमल लादूराम रामसीन
8. ,, नरसीलाल बेरलाल जसवन्तपुरो
9. ,, देवकरण केशरीमल पावली

10. श्री पीराराम नरीगाजी चाटवाड़ा
11. ,, रामचन्द्र शान्ति कुमार भीनमाल
12. ,, घासखां सावखां जजाणी
13. ,, सोहनलाल सरसीलाल राजकावास
14. ,, रावताराम पताजी कागमाला
15. ,, काशीराम रघुराम कूडा
16. ,, सेवाराम सुजाजी नरसीया
17. ,, अजबसिंह जैतसिंह बागलसपटा
18. ,, गणेशाराम उकाराम पुन्नासा
19. ,, सोनाराम इसराम वाडाबाडवो

(4) तहसील सांचोर

1. श्री मैसर्स वरधाराम रणजीताराम सांचोर
2. ,, ,, ,, (डभाल, धनाणा, कारोला, हाडेतर)
3. ,, ताराचन्द देवीचन्द चौरा
4. ,, समरथमल बाबूलाल सुराचन्द
5. ,, किस्तूर चन्द पूनम चन्द चितलवाना
6. ,, किस्तूरचन्द जांवतराज मडबल
7. ,, हुकमनाथ जामूनाथ जाखल
8. ,, अमलू राम बसजी नेनोल
9. ,, केशाराम तुलछीराम डूंगरी
10. ,. हीमताराम सरदार सिंह भाब
11. ,, चुन्नीलाल प्रतापजी हाडेचा
12. ,, नारायण राम साजनाराम पांचला
13. ,, अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति, सांकड़ केन्द्र सरनाऊ ।

परिशिष्ट 8

अ- ता. प्र. सं 217 की सूची

अलवर

	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति		
वर्ष	पंजीयन	नियोजित	आशार्थी जो साक्षात्कार हेतु भेजे गये	पंजीयन	नियोजित	आशार्थी जो साक्षात्कार हेतु भेजे गये
1967	843	55	624	253	28	175
1968	897	31	410	268	15	181
1969	845	15	858	313	17	236
1970	908	32	485	553	16	449
1971	844	51	538	321	17	360

भरतपुर

1967	380	35	325	37	2	25
1968	477	21	347	40	2	27
1969	498	9	262	29	3	27
1970	263	16	354	42	2	27
1971	462	36	293	45	6	34

सवाई माधोपुर

1967	661	50	798	220	14	402
1968	692	58	899	311	10	501
1969	577	28	781	188	8	367
1970	716	12	782	223	6	410
1971	748	60	757	336	15	356

Page No 143

परिशिष्ट 9

(अ. ता. प्र. सं. 227 की सूची)

मोबाइल पूगल (बीकानेर) यूनिट द्वारा देखे गये रोगियों व गांवों का विवरण
जनवरी 1971 से दिसम्बर, 1971

वर्ष		कुल मरीज साल भर में चिकित्सा सहायता पा सके	ग्राम जिनमें भ्रमण चिकित्सालय ने भ्रमण किया
1971			
जनवरी	332 मरीज	कुल मरीज सालभर में इलाज पा सके कुल नं० 717 मरीज	1–सूजड़ा
फरवरी	186 ,,		2–अगनेऊ
मार्च	46 ,,		3–शेखवाला
अप्रेल	निल ,,		4–गोकल
मई	निल ,,		5–बरसलपुर
जून	58 ,,		6–रनजीतपुरा
जुलाई	47 ,,		7–जालवाली
अगस्त	17 ,,		8–मोतीगढ़
सितम्बर	निल ,,		9–कुम्हारवाली
अक्टूबर	31 ,,		10–गनेशावली
नवम्बर	निल ,,		11–खाजूवाला
दिसम्बर	निल ,,		12–माचागढ़
			13–रसूलसर
			14–खुबेर
			15–सियासर चौगान
			16–किसनपुर
			17–पानकासा
			18–सलपुर
			19–भीकमपुर
			20–मिठड़िया
			21–मौडायत
			22–सरदारपुरा

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 17 मई, 1972)

पृष्ठ क्रम संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1		2	3	4
3		1	—	(श्री ओंकारलाल चौहान)
4	अन्तिम से	6	रक्त जरूरत	रक्त की जरूरत
6	,,	14	मांर्गों	मार्गों
,,	,,	4	राष्ट्रीकरण	राष्ट्रीयकरण
7	,,	4	बिम्तार	विस्तार
12	,,	3	प्रासीजर	प्रोसीजर
13	,,	10	एक्सन	एक्शन
14	,,	13	निश्चत	निश्चित
18	,,	1	श्री भावरमल सुन्डा	श्री भावरमल सून्डा
27	,,	5	बैठकें	बैठकों
28	,,	13	श्री बद्रा प्रसाद	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
28	,,	15	श्रीबद्री प्रसाद गुप्ता बोसूर	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता बानसूर
29	,,	5	उपलाव	उपरा
33	,,	13	कब्जों को	कब्जों का
33	,,	13	यह	इन
44	,,	3	इस पांव	इस पर पांच
55	,,	8	श्री भानुकुमार शास्त्री	श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर)
57	,,	2	श्रीमनोहर कोठारी	श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा)
58	,,	3	श्रीगिरधारी लाल भार्गव :	श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल जयपुर)
61		12	केलकुलेशन	केलकुलेट
72	अन्तिम से	5	श्री ब्रजेन्द्रनाथ	श्री ब्रजेन्द्रपालसिंह

1	2	3	4
88	अन्तिम से 16	ग्रामीण विध्यतीकरण	ग्रामीण विद्युतीकरण
98	6	पूर्वाभाष	पूर्वाभास
110	7	बेचनी	बेचैनी
111	3	सैसन	सेशन
123	3	तुन्रत	तुरन्त
125	अन्तिम से 10	रश्मी	रहमी
129	,, 10	जनसंघ सदस्यों	जनसंघ के सदस्यों
138	,, 1	प्रोसिडिंगस	प्रोसिडिंग्स
143	,, 3	आफिसरस्	आफिसर्स
145	,, 1	श्री केसरीमल	श्री केशरीमल
147	,, 1	श्री केसरीमल	प्रोफेसर श्री केदारनाथ
163	ऊपर से 11	श्री श्री राम गोंटेवाला	श्री श्री राम गोटेवाला
167	,, 3	श्री राम गोटेवाला	,, ,,
193	अन्तिम से 9	बकशो	बख्शो
202	,, 9	चुका है	चुकी है
207	,, 19	वित्तृ मन्त्री जी	वित्त मन्त्री जी
218	,, 3	श्री भानकुमार	श्री भानुकुमार शास्त्री
222	,, 13	आडर्स	आर्डर्स
226	,, 9	स्मेटिक	कास्मेटिक
241	,, 15	मेन्टोनेन्स	मेन्टीनेन्स
244	,, 7	श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय	श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया
253	15	उपर	उधर
,,	अन्तिम से 6	उन	हम
256	5	प्रोहिविशन	प्रोहिबिशन
261	अन्तिम से 1	खानुदान	लेखानुदान
262	,, 5	निबृत्ति	निवृत्ति